



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032025-261516
CG-DL-E-08032025-261516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]
No. 149]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 मार्च, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/233.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:
परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) इश्युअर (निर्गमकर्ता) द्वारा लाए जाने वाले राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम) के संबंध में इन विनियमों में किए गए प्रावधान राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से 31वें दिन लागू होंगे, और उन राइट्स इश्यू के मामले में लागू होंगे, जिन्हें इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा इन विनियमों के लागू होने की तारीख के बाद मंजूरी प्रदान की गई हो:

परंतु यह कि जिन राइट्स इश्यू को इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी गई हो, उन राइट्स इश्यू के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के वही प्रावधान आगे भी लागू रहेंगे, जो इन संशोधन विनियमों के जरिए संशोधन किए जाने से पहले लागू थे।

परंतु यह और कि विनियम 3 [LX, LXI, LXII, LXV, LXVIII, LXIX, LXX, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXVII, XC(iii)(क), XCIV और XCV] में किए गए संशोधन इन विनियमों के लागू होने की तारीख के बाद दाखिल किए जाने वाले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेजों (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के मामले में लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

i. खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) “सहयोगी” (सहयुक्त / असोसिएट) का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई एंटीटी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (6) के अनुसार या फिर लागू लेखा मानकों के अनुसार एक सहयोगी हो;”

ii. खंड (ड) में, शब्द “बोर्ड” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)” आ जाएंगे।

iii. खंड (ण) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(णक) “वित्तीय वर्ष” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (41) में इसके लिए दिया हुआ है;”

II. विनियम 3 में,

i. खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों “साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू);” के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न “जहाँ इश्यू का कुल मूल्य पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक हो;” हट जाएंगे;

ii. पहला परंतुक हट जाएगा।

III. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के परंतुक में,

i. खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार संबंधी स्कीम’ (एस.ए.आर. स्कीम) के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए उन मौजूदा ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकारों’ (एस.ए.आर.) के प्रति लागू नहीं होंगे, जिनका पूरा-पूरा प्रयोग, यथास्थिति, प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस (बुक-बिल्डिंग वाले इश्यू के मामले में) या फिर प्रॉस्पेक्टस (नियत कीमत वाले इश्यू के मामले में) दाखिल करने से पहले इक्विटी शेयरों के लिए किया गया हो, और प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकारों’ और स्कीम की जानकारी दी गई हो और ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करने की वजह से दिए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या भी बता दी गई हो।”

ii. मौजूदा खंड (ख) अब खंड (ग) बन जाएगा।

IV. विनियम 8 में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण.- प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख तक जितने भी शेयर हों, उतने शेयरों की संख्या को ध्यान में रखकर ही ऊपर खंड (क) और (ख) में बताई गई सीमाओं की गणना की जाएगी, और ऐसा करते समय उन शेयरों की कुल संख्या को भी ध्यान में रखना होगा जिनकी पेशकश आम जनता को “विक्रय के लिए प्रस्ताव” (ऑफर फॉर सेल) के जरिए की जाए और उन शेयरों की कुल संख्या को भी ध्यान में रखकर की जाएगी जिन्हें इश्यू लाए जाने से पहले किसी और को बेचा गया हो।”

- V. विनियम 14 में, स्पष्टीकरण के खंड (I) में, उप-खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प” के बाद और शब्द तथा अंक “विनियम 5” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.)” जोड़े जाएँगे।
- VI. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमोटर्स (संप्रवर्तकों) के न्यूनतम अंशदान में किस भाव (कीमत) के शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्कूरिटीज़) को नहीं गिना जाएगा, इसके लिए एक शेयर का भाव, इश्युअर द्वारा कंपनी कार्रवाइयों (कारपोरेट एक्शन) [जैसे शेयर स्प्लिट (शेयरों का विभाजन), बोनस इश्यू (बोनस निर्गम) आदि] को हिसाब में लेने के बाद तय किया जाएगा;”
- VII. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण में, शब्दों तथा चिह्नों “भवन तथा संयंत्र (प्लांट) और मशीन के संबंध में की जाने वाली खरीद, आदि” के बाद शब्द तथा चिह्न “और उस (उन) मौजूदा उधार (उधारों) को चुकाना, जो ऐसे पूंजीगत व्यय के प्रयोजनार्थ लिए गए हों” जोड़े जाएँगे।
- VIII. विनियम 17 में,
 i. परंतुक में,
 क. खंड (क) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के तहत” से पहले, शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;
 ख. खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के अनुसार” से पहले, शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;
 ii. स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “(iii) खंड (क) एवं (ख) के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरों में वे इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम के तहत दिए गए इक्विटी शेयरों की एवज में लाए गए किसी बोनस इश्यू के तहत आबंटित (अलॉट) किए गए हों।”
- IX. विनियम 23 में, उप-विनियम (8) में, शब्दों तथा चिह्नों “अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्कूरिटीज़ लॉ) के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसे व्यक्ति को अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर नियुक्त करेगा जो एक कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) हो, और जो प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” आ जाएँगे;
- X. विनियम 26 में,
 i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “उसे दाखिल किए जाने” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी किए जाने” आ जाएँगे;
 ii. उप-विनियम (2) में, शब्द “दिनों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कार्य-दिवसों” आ जाएँगे।
- XI. विनियम 29 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(4) इश्युअर इश्यू के खुलने की तारीख से कम से कम दो कार्य-दिवसों पहले निम्नतम सीमा (फ्लोर प्राइस) या फिर मूल्य दायरे की घोषणा ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ में करेगा, और यह घोषणा उसी फॉर्मेट में जारी की जाएगी जो अनुसूची-X के भाग-क में दिया गया है तथा उन्हीं समाचारपत्रों में जारी की जाएगी जिनमें विनियम 26 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”
- XII. विनियम 43 में,
 i. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इश्युअर, कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस [बही-निर्माण वाले निर्गम (बुक बिल्ट इश्यू) के मामले में] या प्रॉस्पेक्टस [नियत कीमत वाले निर्गम (फिक्सड प्राइस इश्यू) के मामले में] दाखिल किए जाने के बाद, इश्यू से पहले तथा मूल्य दायरे के संबंध में जारी किए जाने वाला विज्ञापन उन्हीं समाचारपत्रों में जारी करेगा जिनमें विनियम 26 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”

ii. उप-विनियम (2) में,

(क) शब्दों “निर्गम से पूर्व दिया जाने वाला” के स्थान पर शब्द “इश्यू से पहले तथा मूल्य दायरे के संबंध में जारी किया जाने वाला” आ जाएंगे;

(ख) परंतुक हट जाएगा।

XIII. विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा किए गए लेनदेन और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले किए गए लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

54. (1) इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख और इश्यू के बंद होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए समस्त लेनदेन की सूचना (रिपोर्ट) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), को ऐसे लेनदेन किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, दी जाए।

(2) यदि आई.पी.ओ. लाने से पहले ही शेयर आदि दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा हो और उसकी जानकारी प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो, तो ऐसे में इश्युअर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही इस तरह से आई.पी.ओ. लाने से पहले कोई शेयर आदि दिए जाएँ (चाहे सभी या कुछ), तो इस तरह से शेयर आदि दिए जाने से चौबीस घंटों के भीतर ही उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे दी जाए।”

XIV. विनियम 56 में, शब्दों तथा चिह्नों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (एंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम)” के बाद तथा शब्दों “के अनुसरण में” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएंगे।

XV. विनियम 59 में,

i. उप-विनियम (5) में, शब्द “दिनों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कार्य-दिवसों” आ जाएंगे;

ii. उप-विनियम (9) में, शब्दों “उसे दाखिल किए जाने” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (10) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी किए जाने” आ जाएंगे;

iii. उप-विनियम (10) में, शब्द “दिनों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कार्य-दिवसों” आ जाएंगे।

XVI. विनियम 59 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) के दूसरे परंतुक में,

i. मौजूदा उप-खंड (ii) अब उप-खंड (iii) बन जाएगा।

ii. मौजूदा उप-खंड (i) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ii) ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार संबंधी स्कीम’ (एस.ए.आर. स्कीम) के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए वे मौजूदा ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार’ रखे जा सकते हैं, जिनका पूरा-पूरा इस्तेमाल, यथास्थिति, प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस (बुक-बिल्टिंग वाले इश्यू के मामले में) या फिर प्रॉस्पेक्टस (नियत कीमत वाले इश्यू के मामले में) दाखिल करने से पहले इक्विटी शेयरों के लिए किया गया हो, और प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) तथा प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे ‘स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकारों’ और स्कीम की जानकारी दी गई हो और ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करने की वजह से दिए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या भी बता दी गई हो।”

XVII. विनियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संदर्भ तारीख

60. राइट्स इश्यू के माध्यम से निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) का प्रस्ताव लाने वाला इश्युअर, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किए जाने के समय और बोर्ड तथा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्ताव-पत्र दाखिल किए जाने के समय इस अध्याय में दी हुई शर्तों को पूरा करेगा, बशर्ते कि इस अध्याय में कोई और प्रावधान न किया गया हो।”

XVIII. विनियम 61 में,

- i. खंड (ग) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा।
- ii. खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-
“घ) यदि संदर्भ तारीख तक की स्थिति के अनुसार इश्युअर के इक्विटी शेयरों में हो रही ट्रेडिंग को कोई अनुशासनिक कदम उठाते हुए निलंबित किया गया हो।”
- iii. स्पष्टीकरण में, शब्दों “विवर्जित किया गया हो और विवर्जन की अवधि बोर्ड” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “रोका गया (विवर्जित किया गया) हो और इस प्रकार रोके जाने की अवधि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)” आ जाएंगे।

XIX. विनियम 62 में,

- i. उप-विनियम (2क) में, शब्द तथा चिह्न “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट)”, जहाँ भी दिए हुए हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा चिह्न “प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)” आ जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों “करने वाले” के स्थान पर शब्द “करने वाला” आ जाएंगे, और शब्दों “सिवाय वहाँ जहाँ त्याग संप्रवर्तक समूह के भीतर हो” के बाद शब्द तथा चिह्न “या किसी विशेष निवेशक (किन्हीं विशेष निवेशकों) के पक्ष में किया जाए, जैसा इन विनियमों के अनुसार इश्युअर द्वारा बताया जाए” जोड़े जाएंगे।

XX. भाग-IV के शीर्षक में, शब्द और चिह्न “अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर्स) और अन्य” हट जाएंगे।**XXI. विनियम 69 में,**

- i. उप-विनियम (1), (2) और (3) हट जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
“(4) इश्युअर उन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) को नियुक्त करेगा, जो बोर्ड से रजिस्टर हों और नियुक्त करने से पहले इसका भी आकलन करेगा कि वे मध्यवर्ती अपनी बाध्यताएँ पूरी करने में काबिल हैं या नहीं।”
- iii. उप-विनियम (5) में,
A. शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-II में निर्धारित फॉर्मेट में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के साथ करार (एग्रीमेंट) करेगा, और अन्य” हट जाएंगे;
B. पहले परंतुक में, शब्द तथा चिह्न “अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), अन्य” हट जाएंगे।
- iv. उप-विनियम (7) में, -
1. पहले परंतुक में, शब्दों “यदि निर्गमकर्ता स्वयं” के बाद शब्द “ही” आ जाएगा।
2. दूसरा परंतुक हट जाएगा।

XXII. विनियम 70 में,

- i. उप-विनियम (2) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “भाग-ख या भाग-ख-1, जो लागू हो,” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “भाग-ख” आ जाएंगे;

- ii. उप-विनियम (3) और (4) हट जाएँगे;
- iii. उप-विनियम (5) में, शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे;
- iv. उप-विनियम (6) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्ताव-पत्र और संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “और प्रस्ताव-पत्र” आ जाएँगे;
- v. उप-विनियम (7) में, शब्द तथा चिह्न “और संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र” हट जाएँगे।

XXIII. विनियम 71 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल करना

71. (1) इश्युअर प्रारूप प्रस्ताव-पत्र स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास दाखिल करेगा और उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास:

- क. यदि उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) व्यक्ति हों, तो उनकी स्थायी खाता संख्या (पैन), बैंक खाता संख्या और पासपोर्ट संख्या प्रस्तुत करेगा; और यदि उसका संप्रवर्तक बाँड़ी कारपोरेट (निगमित निकाय) हो, तो उसकी स्थायी खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, कंपनी की पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) संख्या या वैसी ही कोई अन्य संख्या और उस कंपनी रजिस्ट्रार का पता प्रस्तुत करेगा, जिसके यहाँ वह संप्रवर्तक रजिस्टर हो,
- ख. यदि असंप्रवर्तनीय ऋण लिखतें (कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रुमेंट) जारी की जा रही हों, तो ऐसे में अनुसूची-V के प्ररूप-ख के अनुसार डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) द्वारा दिया जाने वाला पूरी सावधानी बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र (पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र / ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करेगा।

(2) इश्युअर स्टॉक एक्सचेंजों / नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल करेगा।

(3) इश्युअर बोर्ड की जानकारी हेतु और बोर्ड की वेबसाइट पर डलवाने हेतु बोर्ड के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) प्रस्तुत करेगा, और साथ ही उतनी फीस भी अदा करेगा जितनी का जिक्र अनुसूची-III में किया गया है।”

XXIV. विनियम 72 में,

- i. उप-विनियम (1), (2) और (3) हट जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (4) में, शब्दों तथा चिह्न “निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव-पत्र” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)” आ जाएँगे और शब्दों तथा चिह्न “दाखिल किए गए प्रस्ताव-पत्रों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव-पत्र और प्रस्ताव-पत्र” आ जाएँगे;
- iii. उप-विनियम (5) में, शब्द तथा चिह्न “अग्रणी प्रबंधक और” हट जाएँगे।

XXV. विनियम 73 में, उप-विनियम (1) में, शब्द तथा चिह्न “अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के परामर्श से,” हट जाएँगे।

XXVI. विनियम 74 में, उप-विनियम (3) और परंतुक हट जाएँगे।

XXVII. विनियम 75 में,

- i. शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्न “संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रस्ताव-पत्र” आ जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (1) हट जाएगा;
- iii. उप-विनियम (2) में, शब्द “संक्षिप्त” हट जाएगा।

XXVIII. विनियम 77 में,

- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (2) में, शब्द “संक्षिप्त” हट जाएगा;
- iii. उप-विनियम (3) में, शब्द तथा चिह्न “या अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” हट जाएँगे।

XXIX. विनियम 77क के बाद और विनियम 78 से पहले, निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“अमुक निवेशकों को आबंटन (अलॉटमेंट)

77ख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, अमुक निवेशक का अर्थ होगा – ऐसा कोई निवेशक जो इश्युअर के राइट्स इश्यू में हिस्सा लेने के लिए पात्र हो और -

(क) जिसका नाम इश्युअर द्वारा इन विनियमों के विनियम 84 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के उप-खंड (i) के तहत बता (डिस्कलोज़ कर) दिया गया हो;

(ख) जिसका नाम इश्युअर द्वारा इन विनियमों के विनियम 84 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के उप-खंड (ii) के तहत बता (डिस्कलोज़ कर) दिया गया हो;

(2) विशेष निवेशक खंड (क) के अनुसार आवेदन, इश्यू के खुलने के पहले दिन सुबह 11 बजे तक, प्रस्तुत कर देगा (देंगे), और इश्युअर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को यह सूचित करेगा कि विशेष निवेशक (निवेशकों) ने आवेदन दाखिल किया है या नहीं, ताकि वह जानकारी इश्यू के खुलने के पहले दिन सुबह 11:30 बजे तक प्रसारित की जा सके।

(3) विशेष निवेशक (निवेशकों) की ओर से खंड (क) के अनुसार आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद, आवेदन (आवेदनों) को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

(4) विशेष निवेशक खंड (ख) के अनुसार आवेदन आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने से पहले प्रस्तुत करेंगे, और उसके साथ उतनी रकम भी जमा करवाएँ जितनी रकम लगाने के लिए आवेदन किया गया हो।”

XXX. विनियम 81 में, उप-विनियम (2) हट जाएगा।

XXXI. विनियम 82 में, उप-विनियम (1) में, शब्द तथा चिह्न “यदि इश्यू का आकार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता हो, तो” हट जाएँगे।

XXXII. विनियम 84 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. शब्दों तथा चिह्नों “संक्षिप्त प्रस्ताव-पत्र और आवेदन फॉर्म के प्रेषण के पूरा होने की तारीख” के स्थान पर संख्या, शब्द तथा चिह्न “(क) प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) और आवेदन फॉर्म पूरी तरह से प्रेषित किए जाने की तारीख” आ जाएँगे और मौजूदा खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) अब क्रमशः खंड (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) बन जाएँगे;

ख. इस प्रकार बने खंड (ग) में, शब्द तथा चिह्न “या अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर्स)” हट जाएँगे;

ग. इस प्रकार बने खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(च) अमुक निवेशक (निवेशकों) के विवरण:

- i. अमुक निवेशक का (निवेशकों के) [यानि कि त्याग का फायदा पाने वालों के] नाम, संप्रवर्तक (प्रमोटर) का (संप्रवर्तकों के) / संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का (यानि कि त्याग करने वाले का) नाम और उन राइट्स एन्टाइटलमेंट की संख्या जिनका त्याग किया गया, जहाँ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) / संप्रवर्तक समूह ने अपने राइट्स एन्टाइटलमेंट का त्याग इन विनियमों के विनियम 62 के उप-विनियम (3) और विनियम 86 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार किया हो;

ii. अमुक निवेशक का (निवेशकों के) नाम, जहाँ निर्गमकर्ता राइट्स इश्यू के ऐसे किसी हिस्से का आबंटन इन विनियमों के विनियम 90 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) के अनुसार करना चाहता हो, जिस हिस्से में पैसा न लगाया गया हो (जो हिस्सा सब्सक्राइब न किया गया हो)।”

ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक इस बात से संतुष्ट हो जाए (जाएँ)” के स्थान पर शब्द “इश्युअर इस बात से संतुष्ट हो जाए” आ जाएँगे।

XXXIII. विनियम 85 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“इश्यू का खोला जाना

85. राइट्स इश्यू को उतनी समयावधि के भीतर खोला जा सकेगा जो बोर्ड समय-समय पर बताए, बशर्ते कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया जाए।”

XXXIV. विनियम 86 में, उप-विनियम (1) में, परंतुक में, खंड (ख) में, शब्दों “त्याग संप्रवर्तक समूह के भीतर हो” के बाद शब्द तथा चिह्न “या फिर जहाँ त्याग उस विशेष निवेशक (उन विशेष निवेशकों) के पक्ष में किया जा रहा हो, जिसका (जिनके) नाम इश्युअर द्वारा इन विनियमों के अनुसार बता दिया गया हो (दिए गए हों)” जोड़े जाएँगे।

XXXV. विनियम 87 में, शब्दों “साधिकार निर्गम अभिदान हेतु कम से कम सात दिनों की अवधि के लिए और अधिक से अधिक तीस दिनों की अवधि के लिए खुला रखा जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “राइट्स इश्यू पैसा लगाने (सब्सक्रिप्शन / अभिदान) हेतु उतनी अवधि के लिए खुला रखा जाएगा जितनी बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताई जाए,” आ जाएँगे।

XXXVI. विनियम 90 में,

i. उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“घ) यदि खंड (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार पूरा आबंटन किए जाने के बाद भी ऐसा कुछ हिस्सा रह गया हो जिसमें पैसा न लगाया गया हो (जिसे सब्सक्राइब न किया गया हो), तो ऐसे में इश्युअर द्वारा जिस विशेष निवेशक का नाम बता (डिस्कलोज़ कर) दिया गया हो [जिन विशेष निवेशकों के नाम बता दिए गए हों], उसे (उन्हें) इश्यू खुलने से पहले आबंटन किया जा सकेगा।”;

ii. उप-विनियम (3) में, शब्द “अग्रणी प्रबंधक तथा” हट जाएँगे।

XXXVII. विनियम 91 में,

i. उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “और अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेंगे” के स्थान पर शब्द “यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे;

iii. उप-विनियम (3) में, चिह्न तथा शब्द “, और अग्रणी प्रबंधक इस बात को सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” हट जाएँगे।

XXXVIII. विनियम 92 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे, और शब्दों तथा चिह्नों “निर्धारित प्रतिभूतियाँ खाते में जमा कराए जाने (क्रेडिट किए जाने) की तारीख तथा सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख, आदि से संबंधित ब्यौरे देते हुए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र, व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र और उस स्थान पर व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के एक दैनिक समाचारपत्र में जारी किया जाता है जहाँ निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रमाणपत्रों का प्रेषण किए जाने की तारीख या निर्धारित प्रतिभूतियाँ खाते में

जमा कराए जाने (क्रेडिट किए जाने) की तारीख तथा सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख, आदि से संबंधित व्यौरे देते हुए एक विज्ञापन, विभिन्न गतिविधियों के पूरा हो जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर उस अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र, उस हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जिस प्रदेश में इश्युअर का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के उस दैनिक समाचारपत्र में एक विज्ञापन जारी किया जाए जिस दैनिक समाचारपत्र को काफी ज्यादा लोग पढ़ते हों।” आ जाएंगे।

XXXIX. विनियम 93 में, -

- i. शीर्षक में, शब्द तथा चिह्न “अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” हट जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (1) हट जाएगा;
- iii. उप-विनियम (2) में, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज” आ जाएँगे, और शब्दों तथा चिह्नों “नज़र रखेगा (रखेंगे)” के स्थान पर शब्द “नज़र रखेगा” आ जाएँगे;
- iv. उप-विनियम (3) में, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्युअर” आ जाएँगे, शब्दों तथा चिह्नों “बना रहेगा (बने रहेंगे)” के स्थान पर शब्द “बना रहेगा” आ जाएँगे और शब्दों “प्राप्त न हो जाए” के बाद शब्द “आवेदन की रकम लौटा न दी जाए” जोड़े जाएँगे, और उप-विनियम (4) में शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द “इश्युअर” आ जाएँगे और शब्दों तथा चिह्नों “करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “करेगा” आ जाएगा;
- v. उप-विनियम (5) में शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों)” के स्थान पर शब्द “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज” आ जाएँगे और शब्दों “वे विधिवत रूप से उसकी रिपोर्ट बोर्ड को देंगे” के स्थान पर शब्द “वह विधिवत रूप से उसकी रिपोर्ट बोर्ड को देगा” आ जाएँगे, और उप-विनियम (6) में शब्दों तथा चिह्नों “अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा” आ जाएँगे, और उप-विनियम (7) में शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज” आ जाएँगे और शब्दों तथा चिह्नों “जानकारी देगा (देंगे)” के स्थान पर शब्द “जानकारी देगा” आ जाएँगे।

XL. विनियम 94 में, -

- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द “इश्युअर” आ जाएगा;
- ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्गम” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम)” आ जाएँगे।

XLI. विनियम 95 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संप्रवर्तकों (प्रमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) द्वारा किए गए लेनदेन और इश्यू लाए जाने से पहले किए गए लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

95. (1) इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) या प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किए जाने की तारीख और इश्यू के बंद होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान संप्रवर्तकों (प्रमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए समस्त लेनदेन की सूचना (रिपोर्ट) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, ऐसे लेनदेन किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, दी जाए।

(2) यदि इश्यू लाने से पहले ही शेयर आदि दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा हो और उसकी जानकारी प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) में दी गई हो, तो ऐसे में इश्युअर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही इस तरह से इश्यू लाने से पहले कोई शेयर आदि दिए जाएँ (चाहे सभी या कुछ) तो इस तरह से शेयर आदि दिए जाने से चौबीस घंटों के भीतर ही उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे दी जाए।”

- XLII. विनियम 96 में, शब्दों “अग्रणी प्रबंधक” के स्थान पर शब्द “इश्युअर” आ जाएगा और शब्दों तथा चिह्नों “प्रस्तुत करेगा (करेंगे)” के स्थान पर शब्द “प्रस्तुत करेगा” आ जाएँगे।
- XLIII. विनियम 97 में, -
- i. शब्दों तथा चिह्नों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (एंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम)” के बाद तथा शब्दों “के अनुसरण में” से पहले, शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;
 - ii. खंड (क) हट जाएगा;
 - iii. खंड (ख) में,
 - क. शब्द तथा चिह्न “अन्य निर्गमों के मामले में,” हट जाएँगे;
 - ख. शब्द “बोर्ड” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)” आ जाएँगे।
- XLIV. विनियम 99 हट जाएगा।
- XLV. विनियम 100 हट जाएगा।
- XLVI. विनियम 113 में, स्पष्टीकरण में, खंड (I) में, उप-खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प” के बाद तथा शब्दों तथा अंक “विनियम 5 के” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.)” जोड़े जाएँगे।
- XLVII. विनियम 115 में, स्पष्टीकरण में, शब्दों तथा चिह्नों “भवन तथा संयंत्र (प्लांट) और मशीन के संबंध में की जाने वाली खरीद, आदि” के बाद शब्द तथा चिह्न “और उस (उन) मौजूदा उधार (उधारों) को चुकाना, जो ऐसे पूंजीगत व्यय के प्रयोजनार्थ लिए गए हों” जोड़े जाएँगे।
- XLVIII. विनियम 121 में, उप-विनियम (8) में, शब्दों तथा चिह्नों “अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉ)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसे व्यक्ति को अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर नियुक्त करेगा जो एक कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) हो, और जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” आ जाएँगे।
- XLIX. विनियम 124 में,
- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “उसे दाखिल किए जाने” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी किए जाने” आ जाएँगे;
 - ii. उप-विनियम (2) में, शब्द “दिनों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कार्य-दिवसों” आ जाएँगे।
- L. विनियम 127 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(4) इश्युअर बोली के खुलने की तारीख से कम से कम दो कार्य-दिवसों पहले निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या फिर मूल्य दायरे की घोषणा ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ में करेगा, और यह घोषणा उसी फॉर्मेट में जारी की जाएगी जो अनुसूची-X के भाग-क में दिया गया है तथा उन्हीं समाचारपत्रों में जारी की जाएगी जिनमें विनियम 124 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”
- LI. विनियम 139 में,
- i. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इश्युअर, कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस [बही-निर्माण वाले निर्गम (बुक बिल्ट इश्यू) के मामले में] या प्रॉस्पेक्टस [नियत कीमत वाले निर्गम (फिक्सड प्राइस इश्यू) के मामले में] दाखिल किए जाने के बाद, ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ उन्हीं समाचारपत्रों में करेगा जिनमें विनियम 124 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”

ii. उप-विनियम (2) में,

क. शब्दों “निर्गम से पूर्व दिया जाने वाला” के स्थान पर शब्द “इश्यू से पहले तथा मूल्य दायरे के संबंध में जारी किया जाने वाला” आ जाएँगे;

ख. परंतुक हट जाएगा।

LII. विनियम 150 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा किए गए लेनदेन और प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने से पहले किए गए लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

150. (1) इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख और इश्यू के बंद होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए समस्त लेनदेन की सूचना (रिपोर्ट) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, ऐसे लेनदेन किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, दी जाए।

(2) यदि प्रस्ताव (ऑफर) लाने से पहले ही शेयर आदि दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा हो और उसकी जानकारी प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो, तो ऐसे में इश्युअर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही इस तरह से प्रस्ताव (ऑफर) लाने से पहले कोई शेयर आदि दिए जाएँ (चाहे सभी या कुछ), तो इस तरह से शेयर आदि दिए जाने से चौबीस घंटों के भीतर ही उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे दी जाए।”

LIII. विनियम 152 में, शब्दों तथा चिह्नों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (एंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम)” के बाद तथा शब्दों “के अनुसरण में” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे।

LIV. विनियम 184 में, उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्नों “अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉ)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसे व्यक्ति को अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर नियुक्त करेगा जो एक कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) हो, और जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” आ जाएँगे।

LV. विनियम 187 में,

i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “उसे दाखिल किए जाने” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी किए जाने” आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (2) में, शब्द “दिनों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “कार्य-दिवसों” आ जाएँगे।

LVI. विनियम 189 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(4) इश्युअर इश्यू के खुलने की तारीख से कम से कम दो कार्य-दिवसों पहले निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या फिर मूल्य दायरे की घोषणा ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ में करेगा, और यह घोषणा उसी फॉर्मेट में जारी की जाएगी जो अनुसूची-X के भाग-क में दिया गया है तथा उन्हीं समाचारपत्रों में जारी की जाएगी जिनमें विनियम 187 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”

LVII. विनियम 200 में, उप-विनियम (1) में, शब्द “होंगे” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “उन्हीं समाचारपत्रों में जारी किए जाएँगे जिनमें विनियम 187 के उप-विनियम (2) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी” आ जाएँगे।

LVIII. विनियम 209 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा किए गए लेनदेन और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले किए गए लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

209. (1) इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख और इश्यू के बंद होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में किए गए समस्त लेनदेन की सूचना (रिपोर्ट) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), को ऐसे लेनदेन किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, दी जाए।

(2) यदि आई.पी.ओ. लाने से पहले ही शेयर आदि दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा हो और उसकी जानकारी प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो, तो ऐसे में इश्युअर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही इस तरह से आई.पी.ओ. लाने से पहले कोई शेयर आदि दिए जाएँ (चाहे सभी या कुछ), तो इस तरह से शेयर आदि दिए जाने से चौबीस घंटों के भीतर ही उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे दी जाए।”

LIX. विनियम 219 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) इश्युअर किसी ऐसे व्यक्ति को अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर नियुक्त भी करेगा जो कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) हो, और जो इस अध्याय के तहत दी गई बाध्यताओं का पालन सुनिश्चित करेगा, और भारत की सीमाओं (राज्यक्षेत्रीय सीमाओं) के भीतर ही कार्य करेगा।”

LX. विनियम 228 में,

i. खंड (घ) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा;

ii. खंड (घ) के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित नया खंड (ङ) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ङ) यदि कोई मौजूदा (बकाया) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) हों या कोई अन्य अधिकार हो, जिससे कि कोई व्यक्ति इश्युअर के इक्विटी शेयर प्राप्त करने के किसी विकल्प का हकदार बन जाए:

परंतु यह कि इस खंड के प्रावधान:

(i) इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 का पालन करते हुए या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए संबंधित गाइडेंस नोट या लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स), यदि कोई हों, का पालन करते हुए लाई गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के तहत कर्मचारियों (चाहे वे वर्तमान में कर्मचारी हों या न हों) को प्रदान किए गए मौजूदा (बकाया) विकल्पों के मामले में लागू नहीं होंगे;

(ii) उन पूर्णतः समादत्त (फुली पेड-अप) मौजूदा (बकाया) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटी) के मामले में लागू नहीं होंगे, जिन्हें, यथास्थिति, प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस [बुक-बिल्डिंग (बही-निर्माण) वाले इश्यू के मामले में] या प्रॉस्पेक्टस [नियत कीमत (फिक्स्ड प्राइस) वाले इश्यू के मामले में] दाखिल करने की तारीख तक बदलना (संपरिवर्तित / कन्वर्ट करना) जरूरी हो।”

LXI. विनियम 229 में,

i. उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों “अंकित मूल्य पूंजी (फेस वैल्यू कैपिटल)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “समादत्त पूंजी (पेड-अप कैपिटल)” आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(4) यदि कोई इश्युअर कंपनी या बॉडी कारपोरेट (निगमित निकाय) बनने से पहले प्रोप्राइटर या भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) रहा हो, तो वह इश्युअर आई.पी.ओ. (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव / इनिशियल पब्लिक ऑफर) तभी ला सकेगा जब प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करने से पहले उस इश्युअर कंपनी को बने कम से कम एक वित्तीय वर्ष का समय बीत चुका हो:

परंतु यह कि कंपनी या बॉडी कारपोरेट बनने के बाद उस इश्युअर कंपनी के रीस्टेटेड वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल स्टेटमेंट) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(5) यदि इश्युअर के सभी प्रोमोटर (संप्रवर्तक) ही बदल जाएँ या इश्युअर के ऐसे नए प्रोमोटर (संप्रवर्तक) बन जाएँ जिन्होंने इश्युअर की पचास प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी (शेयरहोल्डिंग) हासिल कर ली हो, तो ऐसे में इश्युअर इस तरह से अंतिम बदलाव होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद ही प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करेगा।

(6) कोई इश्युअर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर / आई.पी.ओ.) तभी ला सकेगा, जब इश्युअर को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वित्तीय वर्षों में कामकाज से कम से कम ₹1 करोड़ का मुनाफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट / परिचालन लाभ) [ब्याज, मूल्यह्रास और कर की रकम घटाने से पहले की आमदनी] हुआ हो।”

LXII. विनियम 230 में,

i. उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ड) में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा, और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि पक्के इंतजाम किए जाने जरूरी हों और प्रोजेक्ट (परियोजना) के लिए कुछ पैसा बैंक (बैंकों) / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से लिया जा रहा हो, तो ऐसे में बैंक (बैंकों) / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) द्वारा इस संबंध में मंजूरी हेतु जारी किए गए पत्र (पत्रों) के ब्यौरे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) और प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में देने होंगे।”

(ख) खंड (ड) और उसके स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(च) “विक्रय करने वाले शेयरधारकों” द्वारा लाए जाने वाले “विक्रय के लिए प्रस्ताव” (ऑफर फॉर सेल) का आकार इश्यू के कुल आकार के बीस प्रतिशत से ज्यादा न हो;

(छ) “विक्रय करने वाले शेयरधारकों” द्वारा जिन शेयरों को बेचने का प्रस्ताव दिया जा रहा हो, वे शेयर उनके पास इश्यू लाए जाने से पहले पड़े शेयरों (पूरी तरह से डाइल्यूटेड) के पचास प्रतिशत से ज्यादा न हों;

(ज) इश्यू के उद्देश्यों में संप्रवर्तक (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) या किसी दूसरे (संबद्ध पक्षकार / रिलेटेड पार्टी) से लिए गए उधार की चुकौती करना (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) शामिल न हो।”

ii. उप-विनियम (2) में,

(क) शब्द “पञ्जीस” के स्थान पर शब्द “पंद्रह” आ जाएगा;

(ख) शब्द “प्रतिशत” के बाद और शब्दों “से अधिक नहीं होगी” से पहले शब्द तथा चिह्न “या ₹10 करोड़ रुपये (जो भी कम हो)” जोड़े जाएंगे।

LXIII. विनियम 236 में, स्पष्टीकरण में, खंड (I) में, उप-खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प” के बाद तथा शब्दों “आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.)” जोड़े जाएंगे।

LXIV. विनियम 237 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में,

i. मौजूदा परंतुक में, दिए हुए चिह्न “;” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

ii. मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमोटर्स (संप्रवर्तकों) के न्यूनतम अंशदान में किस भाव (कीमत) के शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) को नहीं गिना जाएगा, इसके लिए एक शेयर का भाव, कीमत इश्युअर द्वारा कंपनी कार्रवाइयों (कारपोरेट एक्शन) [जैसे शेयर स्प्लिट (शेयरों का विभाजन), बोनस इश्यू (बोनस निर्गम) आदि] को हिसाब में लेने के बाद तय किया जाएगा;”

LXV. विनियम 238 में, उप-विनियम (ख) में, शब्दों तथा चिह्न “अधिक संप्रवर्तकों की धारिता आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रुद्ध हो जाएगी।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “से ज्यादा जितने भी शेयर संप्रवर्तकों (प्रमोटर) के पास होंगे, वे निम्नानुसार लॉक-इन रहेंगे:” आ जाएँगे, और उनके नीचे निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(i) संप्रवर्तकों (प्रमोटर) के न्यूनतम अंशदान से ज्यादा जितने भी शेयर संप्रवर्तकों के पास पड़े होंगे, उनमें से पचास प्रतिशत शेयर आई.पी.ओ. के तहत आबंटन (अलॉटमेंट) होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे; और

(ii) संप्रवर्तकों (प्रमोटर) के न्यूनतम अंशदान से ज्यादा जितने भी शेयर संप्रवर्तकों के पास पड़े होंगे उनमें से बाकी के पचास प्रतिशत शेयर आई.पी.ओ. में आबंटन (अलॉटमेंट) होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे।”

LXVI. विनियम 239 में,

i. परंतुक में,

क. खंड (क) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के अनुसार कर्मचारियों” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के अनुसार” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;

ii. मौजूदा स्पष्टीकरण अब “स्पष्टीकरण-I” बन जाएगा;

iii. मौजूदा स्पष्टीकरण के बाद, एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण-II. खंड (क) एवं (ख) के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरों में वे इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम के तहत दिए गए इक्विटी शेयरों की एवज में लाए गए किसी बोनस इश्यू के तहत आबंटित (अलॉट) किए गए हों।”

LXVII. विनियम 244 में, उप-विनियम (8) में, शब्दों तथा चिह्नों “अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लाँ) के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ऐसे व्यक्ति को अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के तौर पर नियुक्त करेगा जो एक कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) हो, और जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” आ जाएँगे;

LXVIII. विनियम 245 में, उप-विनियम (2) में,

i. खंड (क) में, शब्दों तथा चिह्न “में उल्लिखित प्रकटीकरण; और” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “के अनुसार दी जाने वाली जानकारी (प्रकटीकरण / डिस्क्लोज़र);” आ जाएँगे;

ii. खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्न “में उल्लिखित प्रकटीकरण।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “के अनुसार दी जाने वाली जानकारी;” आ जाएँगे;

iii. खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के व्यौरों के अनुसार दी जाने वाली जानकारी; जैसे कि रजिस्टर कर्मचारियों की संख्या, अदा की गई रकम, आदि;

(घ) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] द्वारा इश्युअर के यहाँ किए गए दौरे (साइट विजिट) के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट जाँच के लिए अहम दस्तावेज के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ङ) किसी भी रूप में / किसी भी नाम से / किसी भी उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] को अदा की गई फीस की जानकारी।”

LXIX. विनियम 246 में, मौजूदा उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नया उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) जिस एसएमई एक्सचेंज (जिन एसएमई एक्सचेंजों) में निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाए जाने का प्रस्ताव हो, उसके (उनके) पास अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) अनुसूची-V के प्रारूप-क के अनुसार ‘पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र’ (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट/सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करेगा (करेंगे), जिसके साथ अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा इश्युअर के यहाँ किए गए दौरे (साइट विजिट) के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट भी लगाई जाएगी, और वे अतिरिक्त पुष्टियाँ भी की जाएँगी (पुष्टिकरण भी किए जाएंगे), जिनका जिक्र अनुसूची-V के प्रारूप-छ में किया गया है और साथ ही प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) भी प्रस्तुत किया जाएगा।”

LXX. विनियम 247 में,

- i. शीर्षक में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” से पहले शब्द “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज और” जोड़े जाएँगे;
- ii. मौजूदा उप-विनियम (1) और (2) अब क्रमशः उप-विनियम (4) और (5) बन जाएँगे;
- iii. मौजूदा उप-विनियम (1) से पहले, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(1) एसएमई एक्सचेंज के यहाँ दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट), उसे दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम इक्कीस दिनों की अवधि तक, आम जनता की टिप्पणियों के लिए, इश्युअर, एसएमई एक्सचेंज [जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो] और इश्यू से जुड़े अग्रणी प्रबंधक [लीड मैनेजर] की वेबसाइटों पर डालकर रखा जाएगा।

(2) इश्युअर, एसएमई एक्सचेंज के यहाँ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, एक ऐसे अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में, एक ऐसे हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जिस प्रदेश में इश्युअर का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के उस समाचारपत्र में एक सार्वजनिक घोषणा जारी करेगा जिसे काफी ज्यादा लोग पढ़ते हों, और उसमें यह बताएगा कि एसएमई एक्सचेंज के यहाँ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल कर दिया गया है और साथ ही आम जनता से यह कहेगा कि वह प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में दी गई जानकारी के संबंध में एसएमई एक्सचेंज, इश्युअर या अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) को अपनी टिप्पणियाँ दे।

(3) अग्रणी प्रबंधक, उप-विनियम (1) में बताई गई अवधि समाप्त होने के बाद, एसएमई एक्सचेंज के पास यह जानकारी प्रस्तुत करेगा (करेंगे) कि उस अवधि के दौरान प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में उसे (उन्हें) या इश्युअर को आम जनता से क्या-क्या टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं और साथ ही एसएमई एक्सचेंज को यह भी बताएगा कि तदनुसार प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में क्या बदलाव आदि करने जरूरी हैं।”

LXXI. विनियम 250 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(4) इश्युअर इश्यू के खुलने की तारीख से कम से कम दो कार्य-दिवसों पहले निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) या फिर मूल्य दायरे की घोषणा ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ में करेगा, और यह घोषणा उसी फॉर्मेट में जारी की जाएगी जो अनुसूची-X के भाग-क में दिया गया है तथा जो एक ऐसे अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र, एक ऐसे हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र और जिस प्रदेश में इश्युअर का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के ऐसे समाचारपत्र में जारी की जाएगी, जिसे काफी ज्यादा लोग पढ़ते हों।”

LXXII. विनियम 251 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों या छोटे व्यक्तिगत शेयरधारकों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ ‘न्यूनतम रकम लगाने हेतु’ के लिए आवेदन करने वाले ‘एकल (इंडिविजुअल / व्यक्तिगत) निवेशकों’ या ‘छोटे एकल (इंडिविजुअल) शेयरधारकों’,” आ जाएँगे।

LXXIII. विनियम 253 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. खंड (क) में,

(क) शब्दों “छोटे व्यक्तिगत” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “एकल (इंडिविजुअल / व्यक्तिगत)” आ जाएँगे;

(ख) शब्दों तथा चिह्नों “एकल (इंडिविजुअल / व्यक्तिगत) निवेशकों” से पहले चिह्न तथा शब्द “ ‘न्यूनतम रकम लगाने हेतु’ के लिए आवेदन करने वाले” जोड़े जाएँगे;

ii. मौजूदा उप-विनियम (2) अब उप-विनियम (3) बन जाएगा;

iii. मौजूदा उप-विनियम (2) से पहले, निम्नलिखित नया उप-विनियम और उसका परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(2) बुक-बिलिंग (बही-निर्माण) की प्रक्रिया अपनाकर लाए जाने वाले इश्यू के मामले में, ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी को आबंटन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) के लिए उपलब्ध हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार दो लॉट से ज्यादा का किंतु ₹10 लाख के बराबर के लॉट तक का हो;

(ख) ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) के लिए उपलब्ध हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिनके आवेदन का आकार ₹10 लाख रुपये से ज्यादा का हो:

परंतु यह कि खंड (क) या खंड (ख) में जिन उप-श्रेणियों (उप-वर्गों) का जिक्र है, उनमें से यदि किसी भी उप-श्रेणी के अंतर्गत जितने हिस्से का आबंटन पूरा न हुआ हो, उतने हिस्से का आबंटन ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की किसी अन्य उप-श्रेणी के आवेदकों को किया जा सकेगा।”

iv. मौजूदा उप-विनियम (2) में,

क. खंड (क) में,

(क) शब्दों “छोटे व्यक्तिगत” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “एकल (इंडिविजुअल)” आ जाएँगे;

(ख) शब्दों तथा चिह्नों “एकल (इंडिविजुअल) निवेशकों” से पहले चिह्न तथा शब्द “ ‘आवेदन के न्यूनतम आकार’ के लिए आवेदन करने वाले” जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (ख) में, उप-खंड (i) में, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों से भिन्न व्यक्तिगत आवेदकों को” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ ‘न्यूनतम रकम लगाने हेतु आवेदन करने वाले’ एकल (इंडिविजुअल) आवेदकों को” आ जाएँगे;

ग. स्पष्टीकरण में,

(क) चिह्नों तथा अंक “(2)” के स्थान पर चिह्न तथा अंक “(3)” आ जाएँगे;

(ख) शब्द “छोटे व्यक्तिगत”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “एकल (इंडिविजुअल)” आ जाएँगे;

(ग) शब्दों तथा चिह्न “के प्रयोजनार्थ,” के बाद दिया हुआ शब्द “यदि” हट जाएगा, और शब्दों “आनुपातिक आधार पर” से पहले दिए हुए शब्दों “निवेशक संबंधी वर्ग” के स्थान पर शब्द

तथा चिह्न “निवेशकों की जिस श्रेणी (के जिस वर्ग) ने न्यूनतम रकम लगाने हेतु आवेदन किया हो, यदि वह” आ जाएँगे;

(घ) शब्दों तथा चिह्न “हकदार हो, तो” के बाद शब्द “उन” आ जाएगा।

LXXIV. विनियम 262 में,

- i. उप-विनियम (1) में, शब्दों “एक सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर चिह्न, अंक तथा शब्द “₹50 करोड़” आ जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(5) जिस इश्यू के मामले में इश्युअर के लिए इस विनियम के तहत अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी को नियुक्त करना जरूरी न हो, उस इश्यू के मामले में इश्युअर पब्लिक इश्यू [जिसमें ‘विक्रय करने वाले शेयरधारकों’ द्वारा लाया गया ‘विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल)’ शामिल नहीं है] जारी करके जुटाई गई रकम के इस्तेमाल के संबंध में लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) का प्रमाणपत्र एसएमई एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ तिमाही वित्तीय परिणाम दाखिल करते समय तब तक प्रस्तुत करता रहेगा, जब तक कि इश्यू से आए पैसों (प्रोसीड्स) का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए।

(6) जो इश्यू वर्किंग कैपिटल जुटाने के उद्देश्य से भी लाया गया हो और उस उद्देश्य से जुटाई गई रकम पाँच करोड़ रुपये से अधिक हो जाए, तो उस इश्यू के मामले में इश्युअर पैसे (फंड) का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए किए जाने के संबंध में लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) का प्रमाणपत्र [ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में बताए गए फॉर्मेट में] एसएमई एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ तिमाही वित्तीय परिणाम दाखिल करते समय, तब तक प्रस्तुत करता रहेगा जब तक उस उद्देश्य के लिए जुटाए गए पैसों (प्रोसीड्स) का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए।”

LXXV. विनियम 264 में,

- i. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इश्युअर, कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस दाखिल किए जाने के बाद, ‘इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन’ उन्हीं समाचारपत्रों में करेगा जिनमें विनियम 250 के उप-विनियम (4) के तहत सार्वजनिक घोषणा जारी की गई थी।”

- ii. उप-विनियम (2) में,

क. शब्दों “निर्गम से पूर्व दिया जाने वाला” के स्थान पर शब्द “इश्यू से पहले तथा मूल्य दायरे के संबंध में जारी किया जाने वाला” आ जाएँगे;

ख. परंतुक हट जाएगा।

LXXVI. विनियम 267 में,

- i. उप-विनियम (2) में,

क. शब्दों “एक लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “दो लॉट का” आ जाएँगे;

ख. शब्द “होगा” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि न्यूनतम रकम हेतु किया जाने वाला आवेदन ₹2 लाख से अधिक का होगा।”

- ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों, चिह्नों, अंक तथा अक्षर “निर्गमकर्ता न्यूनतम आवेदन की रकम के गुणकों में आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसका उदाहरण अनुसूची-XIV के भाग-ख में दिया गया है” के

स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इश्युअर लॉट के आकार के हिसाब से ही आवेदन आमंत्रित करेगा” आ जाएँगे।

LXXVII. विनियम 268 में,

- i. उप-विनियम (1) में, शब्द “पचास” के स्थान पर शब्द “दो सौ” आ जाएँगे;
- ii. उप-विनियम (3) में,
 - क. दिया हुआ शब्द “छोटे” हट जाएगा;
 - ख. शब्दों “और एंकर निवेशकों” से पहले चिह्न तथा शब्द “, संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर)” जोड़े जाएँगे;
- iii. मौजूदा उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(3क) संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी में आवेदन का जितना न्यूनतम आकार निर्धारित है, उससे कम की निर्धारित प्रतिभूतियों (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) किसी संस्थागत निवेशक से भिन्न निवेशक (गैर-संस्थागत निवेशक / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) को आबंटित (अलॉट) नहीं की जाएँगी [बशर्ते कि संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी में शेयर उपलब्ध रहें], और शेष शेयरों (यदि कोई हों) का आबंटन इन विनियमों की अनुसूची-XIII में इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।”
- iv. उप-विनियम (4) में, शब्द, चिह्न तथा अक्षर “भाग-क” के स्थान पर शब्द, चिह्न, अक्षर तथा अंक “भाग-क और भाग-क-2” आ जाएँगे।

LXXVIII. विनियम 274 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा किए गए लेनदेन और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले किए गए लेनदेन की सूचना देना (रिपोर्टिंग)

274. (1) इश्युअर यह सुनिश्चित करेगा कि, यथास्थिति, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख और इश्यू के बंद होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान संप्रवर्तक (प्रोमोटर) तथा संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए समस्त लेनदेन की सूचना (रिपोर्ट) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), को ऐसे लेनदेन किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, दी जाए।

(2) यदि आई.पी.ओ. लाने से पहले ही शेयर आदि दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा हो और उसकी जानकारी प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो, तो ऐसे में इश्युअर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जैसे ही इस तरह से आई.पी.ओ. लाने से पहले कोई शेयर आदि दिए जाएँ (चाहे सभी या कुछ), तो इस तरह से शेयर आदि दिए जाने से चौबीस घंटों के भीतर ही उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे दी जाए।”

LXXIX. विनियम 276 में, शब्दों “अंकित मूल्य पूँजी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)” आ जाएँगे।

LXXX. विनियम 277 में, शब्दों “अंकित मूल्य पूँजी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)” आ जाएँगे।

LXXXI. विनियम 278 में, शब्दों तथा चिह्नों “कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (एंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम)” के बाद तथा शब्दों “के अनुसरण में” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे।

LXXXII. विनियम 280 में, उप-विनियम (2) में,

- i. शब्दों “अंकित मूल्य पूँजी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)” आ जाएँगे;

ii. मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि जहाँ बाद में कोई इश्यू लाने की वजह से [फिर चाहे वह राइट्स इश्यू जारी करके लाया जाए या फिर प्रेफरेंशियल इश्यू (अधिमानि निर्गम) जारी करके लाया जाए, या फिर बोनस इश्यू (बोनस निर्गम) जारी करके लाया जाए] समदत्त पूँजी (पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल) ₹25 करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना हो, वहाँ इश्युअर ऐसा इश्यू, एसएमई एक्सचेंज से मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) पर स्थानांतरित हुए बिना ही ला सकेगा, बशर्ते कि इश्युअर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के उन प्रावधानों का पालन करने का वचन दे जो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के मामले में लागू हैं।”

LXXXIII. मौजूदा विनियम 281 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के बाद असहमति (विसम्मति) प्रकट करने वाले शेयरधारकों के लिए निकास (एक्जिट) का अवसर

281क. यदि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में बताए गए उद्देश्यों में कोई बदलाव हो रहा हो या उन उद्देश्यों से संबंधित करार आदि (कॉण्ट्रैक्ट) की शर्तों आदि में कोई फेरबदल हो रहा हो, तो ऐसे में इश्युअर के संप्रवर्तक (प्रमोटर्स) या जिन शेयरधारकों के हाथों में इश्युअर का नियंत्रण हो वे शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उन शर्तों के अनुसार और उसी प्रकार, असहमति (विसम्मति) प्रकट करने वाले शेयरधारकों के लिए निकास का प्रस्ताव (एग्जिट ऑफर) लाएँगे जैसा अनुसूची-XX में बताया गया है:

परंतु यह कि निकास का प्रस्ताव वहाँ लाना जरूरी नहीं होगा, जहाँ यह स्पष्ट पता न चल सके कि इश्युअर के संप्रवर्तक (प्रमोटर्स) कौन हैं और वे शेयरधारक कौन हैं जिनके हाथों में इश्युअर का नियंत्रण है।”

LXXXIV. विनियम 288 में, उप-विनियम (1) में,

i. परंतुक में,

क. खंड (क) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के अनुसार” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे;

ख. खंड (ख) में, शब्दों “कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम” के बाद तथा शब्दों “के अनुसार” से पहले शब्द तथा चिह्न “या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम” जोड़े जाएँगे।

ii. मौजूदा स्पष्टीकरण अब “स्पष्टीकरण-I” बन जाएगा;

iii. मौजूदा स्पष्टीकरण के बाद, एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण-II. खंड (क) एवं (ख) के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरों में शामिल होंगे – ऐसे कोई इक्विटी शेयर, जो किसी बोनस इश्यू के तहत उन इक्विटी शेयरों की एवज में आबंटित किए गए हों, जो कर्मचारी स्टॉक विकल्प या कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम या स्टॉक मूल्य-वृद्धि अधिकार (एस.ए.आर.) संबंधी स्कीम के अनुसरण में आबंटित किए गए थे।”

LXXXV. अनुसूची-I में, शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंक तथा चिह्न “69(2),” हट जाएँगे।

LXXXVI. अनुसूची-II में, -

i. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंक तथा चिह्न “69(5), 71(2),” हट जाएँगे;

ii. खंड (1) में, उप-खंड (ख) में, शब्द तथा चिह्न “या प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर)” हट जाएँगे;

- iii. खंड (2) में, उप-खंड (ख) में, शब्द तथा चिह्न “या प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर)” हट जाएँगे।

LXXXVII. अनुसूची-III में, -

- i. शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)” आ जाएँगे;
- ii. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंकों तथा चिह्नों “71(1), 71(6), 100(1),” के स्थान पर अंक तथा चिह्न “71(9),” आ जाएँगे;
- iii. खंड (1) में, शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में और” के बाद और शब्दों तथा चिह्न “प्रस्ताव-पत्र के संबंध में” से पहले दिया हुआ शब्द “प्रारूप” हट जाएगा;
- iv. खंड (2) में, ‘राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम)’ से संबंधित उप-खंड (ख) में, पहली सारणी का तीसरा कॉलम [जिसका शीर्षक है – “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अभिमत पत्र (संप्रेक्षण पत्र / ऑब्जर्वेशन लेटर) की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर फाइल करने हेतु फीस की रकम / दर”] हट जाएगा:

LXXXVIII. अनुसूची-IV में, -

- i. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंकों तथा चिह्नों “71(1)” के स्थान पर अंक तथा चिह्न “71(3)” आ जाएँगे;
- ii. मौजूदा खंड अब खंड (1) बन जाएगा, और मौजूदा खंड के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(2) राइट्स इश्यू के मामले में, इश्युअर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) बोर्ड के प्रधान कार्यालय [जिसका पता ऊपर खंड (1) में दिया हुआ है] में दाखिल करेगा।”

LXXXIX. अनुसूची-V में, -

- i. “प्रारूप-क” में, -
 - क. शीर्षक में, शब्द तथा चिह्न “या प्रारूप प्रस्ताव-पत्र” हट जाएँगे;
 - ख. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, दिए हुए अंक तथा चिह्न “71(2)(ख), 100(2)(क),” हट जाएँगे;
 - ग. विषय वाली पंक्ति में, शब्द “सार्वजनिक” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/ साधिकार” हट जाएँगे;
 - घ. चिह्न तथा शब्द “/ प्रारूप प्रस्ताव-पत्र”, जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, हट जाएँगे;
 - ङ. “प्रारूप-कक” से पहले दी हुई टिप्पणी हट जाएगी;
- ii. प्रारूप-ख में, -
 - क. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंक, चिह्न तथा अक्षर “100(2)(ख),” हट जाएँगे;
 - ख. पते में, प्रेषिती के नाम में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड” के बाद चिह्न तथा शब्द “/ स्टॉक एक्सचेंज” जोड़े जाएँगे;
- iii. प्रारूप-ग में, -
 - क. शीर्षक में, चिह्न तथा शब्द “/ प्रस्ताव-पत्र दाखिल करते समय” हट जाएँगे;
 - ख. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंक, चिह्न तथा अक्षर “, 71(7)(ख)” हट जाएँगे;

- ग. विषय वाली पंक्ति में, शब्द “सार्वजनिक” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/ साधिकार” हट जाएँगे;
- घ. खंड (1) में, -
- (i) शब्द “रजिस्ट्रीकृत” के स्थान पर शब्द “दाखिल किए गए” आ जाएँगे और चिह्न तथा शब्द “/ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल प्रस्ताव-पत्र (साधिकार निर्गम के मामले में)” हट जाएँगे;
- (ii) शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न “या प्रस्ताव-पत्र” हट जाएँगे;
- ड. “प्ररूप-गक” से पहले दी हुई टिप्पणी हट जाएगी;
- iv. प्ररूप-घ में, -
- क. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, अंक, चिह्न तथा अक्षर “, 71(7)(ग)” हट जाएँगे;
- ख. विषय वाली पंक्ति में, शब्दों “का सार्वजनिक” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/ साधिकार” हट जाएँगे;
- ग. शब्द “रजिस्ट्रीकृत” के स्थान पर शब्द “दाखिल किए गए” आ जाएँगे, और चिह्नों तथा शब्दों “/ नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल प्रस्ताव पत्र (साधिकार निर्गम के मामले में) और अनुवर्ती संशोधनों” के स्थान पर शब्द “और उसमें बाद में किए गए संशोधनों” आ जाएँगे;
- v. प्ररूप-घक में, विषय वाली पंक्ति में, शब्दों तथा चिह्नों “सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू)” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)” हट जाएँगे;
- vi. प्ररूप-ड में, -
- क. शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्नों “तीव्र-पथीय निर्गम (फास्ट ट्रेक इश्यू) के लिए प्रस्ताव दस्तावेज / प्रस्ताव-पत्र के साथ दिये जाने वाले सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त पुष्टिकरण / प्रमाणन” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रस्ताव दस्तावेज के साथ दिए जाने वाले ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट (पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र / सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र) में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त पुष्टियाँ (पुष्टीकरण) / दिया जाने वाला अतिरिक्त प्रमाणपत्र” आ जाएँगे;
- ख. शीर्षक के बाद, कोष्ठक में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में, दिए हुए अंक, चिह्न, अक्षर तथा शब्द “100(2)(क) और” हट जाएँगे;
- ग. विषय वाली पंक्ति में, शब्द “सार्वजनिक” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/ साधिकार” हट जाएँगे;
- घ. खंड (1) में, चिह्न तथा शब्द “/ प्रस्ताव पत्र (साधिकार निर्गम के मामले में)” हट जाएँगे;
- ड. खंड (2) में, -
- (i) कोष्ठक में दिए हुए शब्द तथा अंक “साधिकार निर्गमों के मामले में विनियम 99 और” हट जाएँगे;
- (ii) शब्दों “प्रस्ताव दस्तावेज” के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द “/ प्रस्ताव-पत्र” हट जाएँगे;
- च. खंड (3) में, चिह्न तथा शब्द “/ संक्षिप्त प्रस्ताव पत्र” हट जाएँगे;

क्र. सं.	विज्ञापन जारी किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इश्यू लाए जाने से पहले कितने शेयर हो जाएँगे, उसके ब्यौरे			इश्यू लाए जाने के बाद आबंटन किए जाने पर कितने शेयर हो जाएँगे, उसके ब्यौरे (3)			
	शेयरधारक	इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर पड़े थे (2)	मूल्य दायरे के अनुसार निचली सीमा (₹[●]) पर		मूल्य दायरे के अनुसार ऊपरी सीमा (₹[●]) पर	
				इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर हो जाएँगे (2)	इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर हो जाएँगे (2)
1.	संप्रवर्तक 1 [नाम]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	संप्रवर्तक 2 [नाम]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	संप्रवर्तक समूह(1)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
2.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
3.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

9.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
10.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
11.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

टिप्पणियाँ:

- 1) संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) में जो शेयरधारक हैं – वे हैं [●], [●] तथा [●]।
- 2) इनमें वे सभी विकल्प (ऑप्शन) शामिल हैं जिनका प्रयोग प्रॉस्पेक्टस की तारीख तक कर लिया गया है, और साथ ही इनमें मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ट्रांसफर किए गए वे इक्विटी शेयर भी शामिल हैं जो इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए गए विज्ञापन तथा मूल्य-दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन की तारीख के बाद से प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद की अवधि के दौरान ट्रांसफर किए गए।
- 3) [●] के इश्यू प्राइस के आधार पर और जिनमें आबंटन (अलॉटमेंट) के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बदलाव हो सकते हैं।”

ग. खंड (9) में, उप-खंड (क) में,

(i) मद (2) में, उप-मद (ख) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि निम्नलिखित के संबंध में ऐसा प्रमाणपत्र उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया जा सकेगा, जिसके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी रहे:

- (i) उन अवधियों के संबंध में, जिनके लिए मौजूदा लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) ने लेखापरीक्षा न की हो; अथवा
- (ii) उस उधार के संबंध में जिसे चुकाए जाने का प्रस्ताव हो, वह किसी सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) द्वारा लिया गया हो और जहाँ इश्यूअर का मौजूदा लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) उसकी सहायक कंपनी का लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) न हो।”

(ii) मद (5) में, शब्दों तथा चिह्नों “यदि निर्गम का एक उद्देश्य दीर्घावधि कार्यकारी पूँजी के लिए निर्गम से आए पैसों (आगमों) का उपयोग है, तो एकल आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किये जाएँगे” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि इश्यू का एक उद्देश्य यह हो कि उस इश्यू से आए पैसे का इस्तेमाल (लॉंग टर्म वर्किंग कैपिटल) के लिए किया जाए, तो लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार, नीचे बताई गई कुछ और जानकारी दी जाए (हर एक की अलग-अलग - हर एक अलग-अलग वित्तीय विवरण के आधार पर)” आ जाएँगे;

(iii) मद (5) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि समेकित वित्तीय विवरणों को रीस्टेट किया गया हो / रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण में कोई समायोजन (एडजस्टमेंट) किए गए हों और उनका असर लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो, तो ऐसे में ऐसे एकल वित्तीय विवरणों को रीस्टेट किया जाएगा।”

घ. खंड (9) में, उप-खंड (ट) में, मद (1) में, उप-मद (च) में,

(i) शब्दों तथा चिह्न “नीचे दिया गया है:” के बाद उदाहरण के तौर पर दी गई मौजूदा सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी आ जाएगी:-

“

(1)	समायोजन (एडजस्टमेंट) के बाद आमदनी प्रति शेयर (ई.पी.एस.) और समायोजन के बाद घटी हुई ई.पी.एस.	
	(क) वित्तीय वर्ष-1	₹ 0.41**
	(ख) वित्तीय वर्ष-2	₹ 8.39 **
	(ग) वित्तीय वर्ष-3	₹ 13.82 **
	(घ) वेटेड एवरेज (भारित औसत)	
(2)	इश्यू प्राइस (निर्गम कीमत) के संबंध में कीमत / आमदनी अनुपात (पी/ई रेशियो)	
	(क) आमदनी प्रति शेयर – वित्तीय वर्ष-3 के आधार पर	37.63
	(ख) उद्योग (इंडस्ट्री) का कीमत / आमदनी अनुपात	
	(i) अधिकतम	61.2
	(ii) न्यूनतम	0.8
	(iii) औसत	25.3
	(*यह जिक्र करें कि आँकड़े कहाँ से लिए गए हैं)	
(3)	शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर मुनाफा	
	(क) वित्तीय वर्ष-1	27.36 प्रतिशत**
	(ख) वित्तीय वर्ष-2	28.77 प्रतिशत **
	(ग) वित्तीय वर्ष-3	33.45 प्रतिशत **

	(घ) वेटेड एवरेज (भारित औसत)	
(4)	शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू)	
	(क) वित्तीय वर्ष-3 के अंतिम दिन तक की स्थिति के अनुसार	₹ 46.40
	(ख) इश्यू लाए जाने के बाद	₹ 94.29
	(ग) इश्यू प्राइस	₹ 520.00

”

(ii) उदाहरण के तौर पर दी गई मौजूदा सारणी के बाद दिए हुए पहले स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित दूसरा स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“** ऊपर सारणी में जो आँकड़े दर्शाए गए हैं, वे महज उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए हैं। लीड मैनेजर (अग्रणी प्रबंधक) आँकड़े पूरी जाँच-परखकर करके ही डाले (डालें)।”

ड. खंड (10) में, उप-खंड (ड) में, मद (घ) के बाद और मद (ड) से पहले, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

“(घक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क के खंड-5क के अनुसार करारों (एग्रीमेंट) के ब्यौरे।”

च. खंड (11) में, उप-खंड (I) में, मद (ख) में,

(i) उप-मद (ii) में,

(क) शब्दों तथा चिह्न “मटिरीयलिटी थ्रेसहोल्ड के नीचे हो।” के बाद तथा शब्दों “जिन मामलों में” से पहले निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएँगे:

“इश्युअर कंपनी इस प्रकार ली जाने वाली हिस्सेदारी (किए जाने वाले अर्जन / एक्विजिशन) से पड़ने वाले असर की जानकारी देने के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी [उन वित्तीय अवधियों हेतु जो इश्युअर कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएँ], बशर्ते कि वे प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँ, और उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।”

(ख) शब्दों “मार्गदर्शन टिप्पण” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों” आ जाएँगे;

(ii) उप-मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद आ जाएगी, अर्थात्,-

“(iii) **प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण** - इश्युअर उन मामलों में उन सभी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सब्सिडियरी) या कारोबारों [जिनके आँकड़े समेकित वित्तीय विवरणों में (या तो अलग-अलग या तो सबको मिलाकर) देने ही होंगे] के प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा [लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिसके या जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो] द्वारा यथा प्रमाणित}, जिन मामलों में इश्युअर या उसकी सहायक कंपनियों ने पिछली अवधि [जिस अवधि की वित्तीय जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो] के बाद किंतु प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से पहले या तो कोई हिस्सेदारी ली हो या निकाली हो (जिसमें उसका भी जिक्र आ जाएगा, जिसका सौदा लगभग तय हो चुका हो)। इस उद्देश्य से, ली गई या निकाली गई हिस्सेदारी को तब अहम माना जाएगा, जब जिस कारोबार या सहायक कंपनी में हिस्सेदारी ली गई हो या से हिस्सेदारी निकाली गई हो, उसका योगदान इश्युअर के सबसे अंत के समेकित वित्तीय विवरण में दिए हुए टर्नओवर, दी हुई शुद्ध-मालियत (दिए हुए नेटवर्थ) या कर की रकम काटे जाने से पहले हुए मुनाफे की दी हुई रकम में कुल-मिलाकर 20% या उससे अधिक हो। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण कम से कम पिछले पूरे वित्तीय वर्ष और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के लिए तैयार किए जाएँगे। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण आई.सी.ए.आई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्वोरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँगे तथा उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो। इश्युअर कंपनी ने जो भी हिस्सेदारी ली या निकाली हो, उसके प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण वह स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी, (i) फिर भले ही वे उपरोक्त मटिरीयलिटी थ्रेसहोल्ड के नीचे क्यों न हों, या फिर (ii) यदि हिस्सेदारी लेने या निकालने की प्रक्रिया उस पिछली अवधि (उन पिछली अवधियों) से पहले ही पूरी कर ली गई हो, जिनके संबंध में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में वित्तीय जानकारी दी गई हो। इसके अलावा, प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण उतनी वित्तीय अवधियों के लिए प्रदान किए जा सकेंगे, जितनी अवधियों के लिए इश्युअर कंपनी प्रदान करना चाहे। इश्युअर ने जिस कारोबार या सहायक कंपनी में हिस्सेदारी ली हो अथवा जिस कारोबार या सहायक कंपनी से हिस्सेदारी निकाली हो उसके वित्तीय विवरण भी स्वेच्छा से प्रस्तुत कर सकेगी, बर्शते कि ऐसे वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक (ऑडिटर) [जो उस कारोबार या सहायक कंपनी का लेखापरीक्षक हो, जिसमें हिस्सेदारी ली जा रही हो या जिससे हिस्सेदारी निकाली जा रही हो] या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो। एक से ज्यादा बार हिस्सेदारी लेने का निकालने के मामले में, प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरणों का एक संयुक्त सेट प्रस्तुत किया जाए। जिस कारोबार में हिस्सेदारी ली गई हो या से निकाली गई हो, यदि वह कोई अलग एंटिटी न हो, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे कारोबार के संबंध में आम तौर पर तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण (जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट) उपलब्ध न हों। ऐसे

मामलों में, ऐसे कारोबारों के संबंध में आई.सी.ए.आई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त (कम्बाइंड) / कार्व-आउट वित्तीय विवरण तैयार किए जाएँ। इसके अलावा, लगाई गई / निकाली गई जो हिस्सेदारी अहम न हो उसकी जानकारी भी दी जाए, यह बताया जाए कि कितनी धनराशि अदा की गई / ली गई और उसके लिए पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया गया, और इस जानकारी को इश्युअर कंपनी के उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।”

छ. खंड (11) में, उप-खंड (II) में, मद (ख) में,

(i) उप-मद (ii) में,

(क) शब्दों तथा चिह्न “मटिरीयलिटी थ्रेसहोल्ड के नीचे हो।” के बाद तथा शब्दों “जिन मामलों में” से पहले निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएँगे:

“इश्युअर कंपनी इस प्रकार ली जाने वाली हिस्सेदारी (किए जाने वाले अर्जन / एक्विजिशन) से पड़ने वाले असर की जानकारी देने के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी [उन वित्तीय अवधियों हेतु जो इश्युअर कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएँ], बशर्ते कि वे प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँ, और उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।”

(ख) शब्दों “मार्गदर्शन टिप्पण” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों” आ जाएँगे;

(ii) उप-मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद आ जाएगी, अर्थात्,-

“(iii) **प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण** - इश्युअर उन मामलों में उन सभी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सब्सिडियरी) या कारोबारों [जिनके आँकड़े समेकित वित्तीय विवरणों में (या तो अलग-अलग या तो सबको मिलाकर) देने ही होंगे] के प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा {लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या चार्टर्ड अकाउंटेंटों [जिसके या जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो] द्वारा यथा प्रमाणित}, जिन मामलों में इश्युअर या उसकी सहायक कंपनियों ने पिछली अवधि [जिस अवधि की वित्तीय जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दी गई हो] के बाद किंतु प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख से पहले या तो कोई हिस्सेदारी ली हो या निकाली हो (जिसमें उसका भी जिक्र आ जाएगा, जिसका सौदा लगभग तय हो चुका हो)। इस उद्देश्य से, ली गई या निकाली गई हिस्सेदारी को तब अहम माना जाएगा, जब जिस कारोबार या सहायक कंपनी में हिस्सेदारी ली गई हो या से हिस्सेदारी निकाली गई हो, उसका योगदान इश्युअर के सबसे अंत के समेकित

वित्तीय विवरण में दिए हुए टर्नओवर, दी हुई शुद्ध-मालियत (दिए हुए नेटवर्थ) या कर की रकम काटे जाने से पहले हुए मुनाफे की दी हुई रकम में कुल-मिलाकर 20% या उससे अधिक हो। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण कम से कम पिछले पूरे वित्तीय वर्ष और स्टब अवधि (यदि कोई हो) के लिए तैयार किए जाएँगे। प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण आई.सी.ए.आई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँगे तथा उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो। इश्युअर कंपनी ने जो भी हिस्सेदारी ली या निकाली हो, उसके प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण वह स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी, (i) फिर भले ही वे उपरोक्त मटिरियलिटी श्रेसहोल्ड के नीचे क्यों न हों, या फिर (ii) यदि हिस्सेदारी लेने या निकालने की प्रक्रिया उस पिछली अवधि (उन पिछली अवधियों) से पहले ही पूरी कर ली गई हो, जिनके संबंध में प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में वित्तीय जानकारी दी गई हो। इसके अलावा, प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण उतनी वित्तीय अवधियों के लिए प्रदान किए जा सकेंगे, जितनी अवधियों के लिए इश्युअर कंपनी प्रदान करना चाहे। इश्युअर ने जिस कारोबार या सहायक कंपनी में हिस्सेदारी ली हो अथवा जिस कारोबार या सहायक कंपनी से हिस्सेदारी निकाली हो उसके वित्तीय विवरण भी स्वेच्छा से प्रस्तुत कर सकेगी, बर्तते कि ऐसे वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक (ऑडिटर) [जो उस कारोबार या सहायक कंपनी का लेखापरीक्षक हो, जिसमें हिस्सेदारी ली जा रही हो या जिससे हिस्सेदारी निकाली जा रही हो] या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो। एक से ज्यादा बार हिस्सेदारी लेने का निकालने के मामले में, प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरणों का एक संयुक्त सेट प्रस्तुत किया जाए। जिस कारोबार में हिस्सेदारी ली गई हो या से निकाली गई हो, यदि वह कोई अलग एंटिटी न हो, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे कारोबार के संबंध में आम तौर पर तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण (जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट) उपलब्ध न हों। ऐसे मामलों में, ऐसे कारोबारों के संबंध में आई.सी.ए.आई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त (कम्बाइंड) / कार्व-आउट वित्तीय विवरण तैयार किए जाएँ। इसके अलावा, लगाई गई / निकाली गई जो हिस्सेदारी अहम न हो उसकी जानकारी भी दी जाए, यह बताया जाए कि कितनी धनराशि अदा की गई / ली गई और उसके लिए पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया गया, और इस जानकारी को इश्युअर कंपनी के उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या इश्युअर कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।”

ज. खंड (12) में, उप-खंड (क) में,

(i) मद (1) में, मौजूदा उप-मद (v) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद आ जाएगी, अर्थात्,-

“(v) चल रहे अन्य मुकदमों की जानकारी (निम्नलिखित के अनुसार जो भी कम हो, उसके आधार पर) -

(i) इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा मटिरीयलिटी की जो नीति निर्धारित की गई हो और जिसकी जानकारी (डिस्क्लोज़र) प्रस्ताव दस्तावेज में भी दी गई हो, उसके अनुसार;

(ii) जिन मुकदमों के संबंध में निकला मूल्य या उस मुकदमे से पड़ सकने वाले असर के हिसाब से निकला मूल्य, -

(क) इश्युअर के सबसे हाल के वार्षिक रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार टर्नओवर (व्यापारावर्त) के दो प्रतिशत, या

(ख) इश्युअर के सबसे हाल के वार्षिक रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के दो प्रतिशत [हालाँकि यदि शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का आंकड़ा ऋणात्मक हो, तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा], या

(ग) इश्युअर के पिछले तीन वर्षों के रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर कटने के बाद नफे-नुकसान के ऐक्सॉल्यूट वैल्यू के औसत के, पाँच प्रतिशत,

में से जो भी सबसे कम हो, उससे ज्यादा हो।”

(ii) मद (1) के बाद और मद (2) से पहले, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

“(1क) जिन दांडिक कार्यवाहियों में इश्युअर के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के नाम भी शामिल हों, उनकी जानकारी और साथ ही विनियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) और कानूनी प्राधिकरणों (स्टैट्यूटरी अथॉरिटी) द्वारा इश्युअर के प्रबंध-मंडल के उन मुख्य व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हों उनकी जानकारी भी दी जाएगी।”

iv. भाग-ख के स्थान पर निम्नलिखित भाग आ जाएगा :

“भाग ख – प्रस्ताव-पत्र में दी जाने वाली जानकारी

(1) राइट्स इश्यू का प्रस्ताव करने वाला इश्युअर, प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) / प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में निम्नलिखित जानकारी (डिस्क्लोज़र), जहाँ तक संभव हो, उसी क्रम में प्रदान करेगा जिस क्रम में उनका यहाँ उल्लेख किया गया है:

(I) **कवर पेज:** कवर पेज के कागज की मोटाई पर्याप्त होगी (न्यूनतम सौ जीएसएम क्वालिटी वाला)।

(क) **सामने वाले कवर पेज:**

i. सामने वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा खाली छोड़ा जाएगा।

ii. सामने वाले कवर पेज के बाहरी हिस्से पर केवल निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँगे:

(क) प्रस्ताव-पत्र किस तरह का है (“प्रारूप प्रस्ताव-पत्र” है या “प्रस्ताव-पत्र”)।

(ख) प्रारूप प्रस्ताव-पत्र / प्रस्ताव-पत्र की तारीख।

(ग) इश्युअर का नाम, उसका लोगो, उसका गठन (निगमन) किस तारीख को और कहाँ हुआ, कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर), दूरभाष संख्या, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय का पता, वेबसाइट और ई-मेल (उल्लेख करें कि क्या इश्युअर के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते में या उसके नाम में कोई बदलाव हुआ है)।

(घ) किस प्रकार की निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी कीमत क्या है तथा इश्यू का आकार क्या है (जो भी लागू हो)।

(ङ) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) का नाम (संप्रवर्तकों के नाम)।

(च) इस संबंध में ब्यौरे कि क्या इश्युअर या उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) है या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) है और उस खंड का भी संदर्भ दें जहाँ ये ब्यौरे दिए हुए हैं।

(छ) "सामान्य जोखिमों से संबंधित" निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"इक्विटी और इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने में जोखिम होता है और निवेशकों को इस प्रस्ताव में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे ऐसे निवेश से संबंधित जोखिम उठा न सकें। निवेशक इस प्रस्ताव (ऑफरिंग) में निवेश करने के संबंध में निर्णय लेने से पहले जोखिम से जुड़े खंड को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए, निवेशक स्वयं इश्युअर और प्रस्ताव (ऑफर) तथा उससे जुड़े जोखिमों की जाँच-परख कर लें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा न तो इन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सिफारिश की गई है, न तो इन्हें मंजूरी आदि दी गई है और न ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) इस दस्तावेज के पूरी तरह सही होने या पर्याप्त होने की गारंटी देता है। निवेशकों का ध्यान विशेष रूप से पृष्ठ संख्या पर दिए हुए जोखिमों से जुड़े खंड की ओर आकृष्ट किया जाता है। "इश्युअर की पूर्ण जिम्मेदारी" के संबंध में निम्नलिखित खंड बॉक्स फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा:

"इश्युअर, सभी जरूरी जाँच करने के बाद, इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारता है और यह पुष्टि करता है कि इस प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में इश्युअर और इश्यू से संबंधित वह समस्त जानकारी दी गई है, जो इश्यू के समस्त पहलुओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और यह कि प्रस्ताव-पत्र में दी हुई जानकारी समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं के लिहाज से सत्य एवं सही है और किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से गुमराह करने वाली जानकारी नहीं है, साथ ही यह भी कि इसमें दी हुई राय आदि ईमानदारी से प्रस्तुत की गई है और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है, जिसे शामिल न करने से यह दस्तावेज पूरी तरह से या इसमें दी हुई कोई जानकारी या दी हुई कोई राय आदि किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिहाज से गुमराह करने वाली बन जाए।"

(ज) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) का नाम, लोगो और पता, और साथ ही उसकी दूरभाष संख्या, वेबसाइट और ई-मेल आईडी।

(झ) इश्यू की समय-सारणी:

- राइट्स एन्टाइटलमेंट जमा करने की अंतिम तारीख
- इश्यू के खुलने की तारीख
- एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए राइट्स एन्टाइटलमेंट त्यागने की अंतिम तारीख
- इश्यू के बंद होने की तारीख
- आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख
- आबंटन की तारीख
- राइट्स एन्टाइटलमेंट के तहत इक्विटी शेयर जमा किए जाने की तारीख
- सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख

(ञ) उस स्टॉक एक्सचेंज का (उन स्टॉक एक्सचेंजों के) नाम, जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध हों, और उन्हें सूचीबद्ध कराने के संबंध में उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) से प्राप्त सैद्धांतिक मंजूरी के ब्यौरे और साथ में नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज का नाम।

(II) पीछे वाले कवर पेज:

1. पीछे वाले कवर पेज का अंदरूनी हिस्सा और पीछे वाले कवर पेज का बाहरी हिस्सा खाली छोड़ा जाए।

2. प्रस्ताव-पत्र का फॉण्ट (जिसके फॉण्ट का आकार दस से कम का न हो) ऐसा होना चाहिए जिसे साफ-साफ पढ़ा जा सके।

(III) विषय-सूची: विषय-सूची सामने वाले कवर पेज के अंदरूनी हिस्से के ठीक बाद दी जाएगी।

(IV) परिभाषाएँ और संक्षेपाक्षर:

- क. आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले या सामान्य शब्द आदि
- ख. इश्यू से संबंधित शब्द आदि
- ग. इश्युअर और उद्योग से संबंधित शब्द आदि
- घ. संक्षेपाक्षर

(V) प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)

- क. इश्युअर के कारोबार का संक्षिप्त व्यौरा।
- ख. निम्नलिखित के संबंध में संप्रवर्तक (प्रमोटर) / संप्रवर्तक समूह का इरादा क्या है और उनकी हिस्सेदारी कितनी है:
 - क) उनकी राइट्स एन्टाइटलमेंट कितनी है और अपनी राइट्स एन्टाइटलमेंट में कितना पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन करने) का उनका इरादा है
 - ख) अपनी राइट्स एन्टाइटलमेंट से कितना ज्यादा पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन करने) का उनका इरादा है
 - ग) अपनी कितनी राइट्स एन्टाइटलमेंट विशेष निवेशकों को त्याग करने का उनका इरादा है। विशेष निवेशक का नाम (निवेशकों के नाम) इश्यू के खुलने की तारीख से कम से कम दो दिन पहले एक सार्वजनिक विज्ञापन में बताए (डिस्कलोज़ किए) जाएँगे।

परंतु यह कि ऐसी हिस्सेदारी से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में निर्धारित की गई न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) संबंधी अपेक्षा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

- ग. यदि राइट्स इश्यू के किसी हिस्से में पैसा न लगाया गया हो, तो उस हिस्से का आवंटन (अलॉटमेंट) किसी विशेष निवेशक (किन्हीं विशेष निवेशकों) को करने का इश्युअर का इरादा क्या है। विशेष निवेशक का नाम (के नाम) इश्यू के खुलने की तारीख से कम से कम दो दिन पहले एक सार्वजनिक विज्ञापन में बताए (डिस्कलोज़ किए) जाएँगे।
- घ. इस संबंध में व्यौरा कि क्या इश्युअर या उसका कोई संप्रवर्तक (प्रमोटर) या निदेशक इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) है या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) है।
 - क) उस व्यक्ति का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) घोषित किया गया है
 - ख) उस बैंक का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) घोषित किया गया है
 - ग) उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) किस वर्ष घोषित किया गया है
 - घ) उस समय बकाया रकम, जब उस व्यक्ति को इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) घोषित किया गया हो

- ड) इरादतन चूककर्ता या फिर उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाले (कपटी उधारकर्ता) की सूची में से अपना नाम हटाए जाने के लिए उस व्यक्ति द्वारा क्या कदम उठाए गए, यदि कोई उठाए गए हों
- च) ऐसे अन्य जानकारी, जो इश्युअर के अनुसार निवेशकों के पास सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए होनी चाहिए।
- ड. चल रहे मुकदमे: चल रहे मुकदमों की जानकारी संक्षिप्त रूप में सारणी में दी जाए, साथ ही यह भी उल्लेख किया जाए कि ऐसे विचाराधीन मामलों के संबंध में यदि फैसला पक्ष में न आए तो कितनी देनदारी (जहाँ भी निकाली जा सकती हो) बन सकती है, जिनसे इश्युअर के कामकाज पर या उसकी वित्तीय स्थिति पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा:
1. वे मामले, जो विचाराधीन हैं:
 - i. जिनमें इश्युअर के अपराधी होने का आरोप हो।
 - ii. जिनमें इश्युअर द्वारा कानूनी प्रावधानों आदि के बड़े उल्लंघन किए गए हो।
 - iii. जो ऐसे आर्थिक अपराध से जुड़े हो, जिनके संबंध में इश्युअर के खिलाफ कार्यवाहियाँ शुरू की जा चुकी हों।
 2. मटिरियलिटी का निर्धारण करने के उद्देश्य से, निर्धारित सीमा (थ्रेसहोल्ड) उतनी रहेगी, जो निम्नलिखित में से सबसे कम हो—
 - (1) इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा मटिरियलिटी की जो नीति निर्धारित की गई हो और जिसकी जानकारी (डिस्कलोज़र) प्रस्ताव दस्तावेज में भी दी हो, उसके अनुसार;
 - (2) जिन मुकदमों के संबंध में निकला मूल्य या उस मुकदमे से पड़ सकने वाले असर के हिसाब से निकला मूल्य, -
 - (क) इश्युअर के सबसे हाल के वार्षिक रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार टर्नओवर (व्यापारावर्त) के दो प्रतिशत; या
 - (ख) इश्युअर के सबसे हाल के वार्षिक रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के दो प्रतिशत [हालाँकि यदि शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का आंकड़ा ऋणात्मक हो, तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा]; या
 - (ग) इश्युअर के पिछले तीन वर्षों के रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर कटने के बाद हुए नफे-नुकसान के ऐब्सॉल्यूट वैल्यू के औसत के, पाँच प्रतिशत,
 3. इश्युअर और उसकी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सब्सिडियरीज़) के संबंध में ये जानकारी (डिस्कलोज़र) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार दी जाएगी।

(VI) किस-किस वजह से जोखिम हो सकते हैं:

क. जोखिम:

- i. इश्यू से जुड़े भी हो सकते हैं और इश्यू के उद्देश्यों से जुड़े भी;
- ii. इश्युअर से जुड़े भी हो सकते हैं और उसके कारोबार से जुड़े भी;

उपरोक्त प्रत्येक मामले में (जहाँ कहीं लागू हो), पहले सामने आ चुके ऐसे जोखिमों के बारे में बताया जाए और उनकी वजह से इश्युअर और उसके कारोबार पर पड़ने वाले वित्तीय असर या किसी दूसरे असर (यदि कोई हो), के बारे में जिक्र करें।

- (VII) क्या इश्युअर ने इक्विटी को सूचीबद्ध (लिस्टिंग) कराने संबंधी करार (एग्रीमेंट) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के प्रावधानों का संदर्भ तारीख से ठीक पहले के कम से कम तीन वर्षों तक पालन किया है या नहीं। यदि पालन नहीं किया है, तो इसके संबंध में ब्यौरे दें।
- (VIII) क्या इश्युअर ने संदर्भ तारीख से ठीक पहले समाप्त हुई तिमाही में निवेशकों से प्राप्त शिकायतों में से कम से कम पचानवे प्रतिशत शिकायतों का निवारण कर दिया है। यदि निवारण नहीं किया है, तो इसके संबंध में ब्यौरे दें।
- (IX) निम्नलिखित कार्रवाईयों के ब्यौरे दें और यह भी बताएँ कि उनसे कंपनी पर क्या असर पड़ता है, जिनमें इश्युअर या उसके संप्रवर्तकों (प्रमोटर) या पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ -
- बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी (अजूडिकेशन ऑफिसर) द्वारा किसी कार्यवाही के संबंध में जुर्माना (शास्ति / पेनल्टी) आदि लगाए जाने संबंधी कार्यवाही के तहत कारण बताओ सूचना (सूचनाएँ) जारी की गई हो (हों); अथवा
 - बोर्ड द्वारा अभियोजन की कार्यवाहियाँ (प्रॉसीक्यूशन प्रीसीडिंग्स) शुरू कर की गई हों;
- (X) क्या संदर्भ तारीख से ठीक पहले के तीन वर्षों के दौरान कंपनी के ऊपर कोई ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उसके इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई थी, और यदि ऐसा हुआ था तो यह बताएँ कि ऐसा किस अवधि के दौरान हुआ था और किन कारणों आदि से हुआ था।
- (XI) परिचय:
- क. सामान्य जानकारी:
- कंपनी सेक्रेटरी और इश्युअर के अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ और ई-मेल आईडी।
 - इश्युअर के लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) (लेखापरीक्षकों) का नाम, पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी।
 - निर्गमन बैंककारों (बैंकर्स टू द इश्यू), स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंककारों (सेल्फ-सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकर्स) और इश्यू के कानूनी सलाहकारों के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ, उनके संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट और ई-मेल आईडी; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की वेबसाइट का यू.आर.एल. जिसमें स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों, निर्गम रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं), निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स) आदि के ब्यौरे हों।
 - कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट (संपरिवर्तनीय ऋण लिखत) के इश्यू के मामले में, साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के निम्नलिखित ब्यौरे:
 - उन सभी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों के नाम, जिनसे कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट (संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों) के इश्यू के लिए क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) प्राप्त की गई हैं।
 - कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट (संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों) के इश्यू के लिए प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग (जिनमें वे रेटिंग भी शामिल हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया) के ब्यौरे।
 - पिछले तीन वर्षों के दौरान इश्युअर द्वारा सूचीबद्ध (लिस्टिड) कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट के जरिए बाजार से पैसा जुटाते समय जो भी क्रेडिट रेटिंग ली गई, उसके ब्यौरे।
 - कन्वर्टिबल डैट इंस्ट्रूमेंट के इश्यू के मामले में डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) का नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या, उसकी वेबसाइट और उसकी ई-मेल आईडी।

6. यदि कोई अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी नियुक्त की गई हो, तो उसका नाम, पता, उसकी दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी।
 7. हामीदारी (अंडरराइटिंग) के ब्यौरे:
 - क. हामीदारों (अंडरराइटर्स) के नाम, पते, उनकी दूरभाष संख्याएँ तथा ई-मेल आईडी और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी रकम की हामीदारी की गई।
 - ख. इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा यह घोषणा कि हामीदारों के पास उनकी अपनी-अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
 - ग. इश्यू की आंशिक हामीदारी के मामले में, कितनी रकम की हामीदारी की गई।
 - घ. नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में, हामीदारी की अंतिम व्यवस्था के ब्यौरे, जिसमें उन निर्धारित प्रतिभूतियों की वास्तविक संख्या का जिक्र किया जाए जिसके लिए हामीदारी की गई हो।
 8. यह तथ्य कि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया जा चुका है, और बोर्ड के उस कार्यालय का भी उल्लेख किया जाए जहाँ प्रस्ताव-पत्र दाखिल किया गया।
- ख. पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर): पूँजी संरचना से जुड़ी जानकारी को निम्नानुसार सारणी में प्रस्तुत किया जाएगा:
1. प्राधिकृत (अथॉराइज्ड), निर्गमित (इश्यूड) और अभिदत्त (सब्सक्राइब्ड) पूँजी, जो मौजूदा कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों) को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद निकाली गई हो [यह बताया जाए कि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की संख्या कितनी है, उनका विवरण दिया जाए और यह बताया जाए कि अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) कितना है।
 2. समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)
 - (क) इश्यू के बाद की
 - (ख) यह मानते हुए कि कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों), वारंटों (यदि कोई हों) और कर्मचारी स्टॉक विकल्पों (आबंटन की तारीख तक के) का कन्वर्ज़न (संपरिवर्तन) हो गया है।
 3. मौजूदा लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) के निम्नलिखित ब्यौरे:
 - (क) ऑप्शन्स, यदि कोई हों, के ब्यौरे।
 - (ख) कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों), यदि कोई हों, के ब्यौरे।
 4. संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के पास पड़ी निर्धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जिनमें ऐसी निर्धारित प्रतिभूतियों के लॉक-इन, उन्हें गिरवी रखे जाने और उनके ऋण-भार (इन्कम्प्रेन्स) से संबंधित ब्यौरे शामिल हैं। यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उस वेबसाइट के ब्यौरे देकर दी जा सकती है जहाँ ऐसे ब्यौरे दिए हुए हों या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है।
 5. नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किए जाने की तारीख से ठीक पहले के एक वर्ष के दौरान संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा अर्जित (एक्वायर) की गई निर्धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे।
 6. अधिकार-रहित कीमत (एक्स-राइट्स प्राइस), जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के विनियम 10 के उप-विनियम 4 के खंड (ख) में जिक्र किया गया है।

7. यह जानकारी कि किस-किस के पास किन-किन तरह के कितने-कितने शेयर हैं (शेयरहोल्डिंग पैटर्न / शेयरधारिता स्वरूप के ब्यौरे), उसी फॉर्मेट में जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में निर्धारित किया गया है तथा जैसा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उस वेबसाइट के ब्यौरे देकर दी जा सकती है जहाँ ऐसे ब्यौरे दिए हुए हों या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है।
8. उन शेयरधारकों के ब्यौरे, जिनके पास इश्युअर की शेयर पूँजी का एक प्रतिशत से ज्यादा हो। यह जानकारी या तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उस वेबसाइट के ब्यौरे देकर दी जा सकती है जहाँ ऐसे ब्यौरे दिए हुए हों या फिर प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जरूरी ब्यौरे देकर दी जा सकती है।
9. पिछले एक वर्ष में जारी किए गए उन इक्विटी शेयरों के ब्यौरे, जिनकी एवज में नकद रकम न ली गई हो।

(XII) इश्यू के विवरण

(क) इश्यू के उद्देश्य:

- (1) इश्यू के उद्देश्य, जिनके लिए पैसा जुटाया जा रहा हो।
- (2) यदि इश्यू का उद्देश्य उधार या किसी अन्य ऋण (डेट) की चुकौती करना हो, तो निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
 - (क) जिस उधार की चुकौती करनी हो, उसके ब्यौरे, जैसे उधार किसने दिया, कितने समय के लिए दिया, किन शर्तों पर दिया (संक्षेप में बताएँ) और कितनी रकम बकाया रह गई है;
 - (3) यदि एक उद्देश्य संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) या सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) में निवेश करने या हिस्सेदारी हासिल करने (अर्जन / एक्विजिशन करने) का है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी देनी होगी:
 - (क) निवेश कहाँ किया जाना है, अर्थात् इक्विटी में, ऋण में या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट (लिखत) में;
 - (ख) यदि यह तय नहीं किया गया है कि निवेश कहाँ किया जाएगा, तो इस संबंध में एक कथन का उल्लेख किया जाए;
 - (ग) यदि निवेश ऋण लिखतों (डेट इंस्ट्रूमेंट) में किया जाना हो, तो इसके पूरे ब्यौरे दें कि ब्याज दर क्या होगी, जमानत के तौर पर क्या रखना होगा, चुकौती की शर्तें आदि क्या होंगी और साथ ही सबऑर्डिनेशन, आदि के भी पूरे ब्यौरे दें;
 - (घ) निवेश करने की वजह से इश्युअर को किस तरह का फायदा हो सकता है;
 - (4) यदि इश्यू का एक उद्देश्य सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) से भिन्न किसी एंटीटी को उधार देना हो, तो उधार संबंधी करारों के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं – ब्याज दर, उधार जमानती होगा या गैर-जमानती, उधार कितनी अवधि के लिया दिया जाएगा, किस तरह की प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) में निवेश किया जाएगा, चुकौती की शर्तें आदि क्या होंगी, और साथ ही सबऑर्डिनेशन, आदि के भी ब्यौरे दिए जाएँ, और यह भी बताया जाए कि निवेश करने की वजह से इश्युअर को किस तरह का फायदा हो सकता है। यदि ऐसा उधार किन्हीं समूह (ग्रुप) कंपनियों को दिया जाना हो, तो उसके ब्यौरे भी दिए जाएँ।

- (5) यदि इश्यू का एक उद्देश्य यह हो कि उस इश्यू से आए पैसे का इस्तेमाल लॉग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाए, तो नीचे बताई गई कुछ और जानकारी दी जाए (हर एक की अलग-अलग - हर एक अलग-अलग वित्तीय विवरण के आधार पर):

- (क) कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए इसका अनुमान कैसे लगाया गया, और किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया।
- (ख) किन वजहों से अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल जुटाई जाएगी, और इन कारणों को पुख्ता करने के लिए जरूरी तथ्य और आँकड़े भी प्रस्तुत किए जाएँ।
- (ग) कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है उसके ब्यौरे दिए जाएँ, जिनमें शामिल हैं - यथास्थिति, परियोजना पूरी हो जाने या इश्यू के उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद वर्किंग कैपिटल का विस्तृत आकलन करना, यह अनुमान लगाना कि कितनी क्षमता का उपयोग किया जाएगा आदि, कितनी चालू आस्तियाँ (करेंट असेट्स) हो सकती हैं उसका कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के लिहाज से अलग-अलग ब्यौरा दिया जाए। साथ ही यह जानकारी कि प्रत्येक चालू आस्ति किस आधार पर रखी जाती है, कुल चालू देनदारियाँ, शुद्ध चालू आस्तियाँ और शुद्ध चालू आस्तियों के लिए पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया जाएगा, जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा (फंड्स) लगाया जाएगा, आदि।
- (घ) सारणी में कुल अनुमानित वर्किंग कैपिटल के ब्यौरे दिए जाएँ, यह बताया जाए कि उसकी मार्जिन राशि कितनी होगी और कितने हिस्से के लिए पैसा बैंक (बैंकों) से या कहीं और से जुटाया जाएगा।
- (ङ) इश्यूअर की मौजूदा वर्किंग कैपिटल के ब्यौरे दिए जाएँ, और साथ ही कुल चालू आस्तियों का कच्चे माल, तैयार वस्तुओं, चालू कार्य, विविध देनदारों, आदि के लिहाज से ब्यौरा दिया जाए, साथ ही यह भी बताया जाए कि कुल चालू देयताएँ कितनी हैं, शुद्ध चालू आस्तियाँ (करेंट असेट) कितनी हैं और शुद्ध चालू आस्तियों के लिए पैसे किन स्रोतों से जुटाया जाएगा जैसे बैंक से ऋण आदि लिया जाएगा (बैंक फाइनेंस), संस्थाओं आदि से ऋण आदि लिया जाएगा (इंस्टिट्यूशनल फाइनेंस), अपना पैसा लगाया जाएगा, आदि।
- (च) जिस परियोजना के लिए इश्यू लाया गया है, यदि उस परियोजना के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाई गई है, तो उसके कारण बताए जाएँ।
परंतु यह कि यदि समेकित वित्तीय विवरणों को रीस्टेट किया गया हो / रीस्टेटेड समेकित वित्तीय विवरण में कोई समायोजन (एडजस्टमेंट) किए गए हों और उनका असर लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो, तो ऐसे में एकल वित्तीय विवरणों को रीस्टेट किया जाएगा।

- (6) यदि इश्यू के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्रोजेक्ट (परियोजना) के लिए पैसा उपलब्ध करवाना है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँ:

- (क) जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया जा रहा हो, उसकी लागत के ब्यौरे।
- (ख) प्रोजेक्ट के लिए पैसा किन जरूरतों से जुटाया जाएगा।
- (ग) प्रोजेक्ट किस स्थान पर चल रहा है।

- (घ) प्लांट और मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया, आदि।
 - (ङ) सहयोगियों द्वारा सहयोग, कार्य ठीक से किए जाने की गारंटी (यदि कोई हो), या मार्केटिंग में सहायता।
 - (च) कच्चे माल के लिए सुविधाएँ और पानी, बिजली, आदि जैसी सुविधाएँ, आदि।
 - (छ) जिस परियोजना के लिए इश्यू लाया गया है, यदि उस परियोजना के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाई गई है, तो उसके कारण बताए जाएँ।
- (7) यदि इश्यू के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य किसी प्लांट, मशीनरी, तकनीक, प्रक्रिया आदि की खरीद करना है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएँ:
- (क) ब्यौरे सारणी रूप में दिए जाएँ, जिनमें शामिल हैं - इश्युअर द्वारा कौन-कौन से उपकरण खरीदे जाने जरूरी हैं, उन उपकरणों की लागत क्या होगी, आपूर्ति करने वालों (सप्लायर) के नाम बताए जाएँ, ऑर्डर किस तारीख को दिया जाएगा और आपूर्ति (सप्लाइ) किस तारीख को की जाएगी या फिर किए जाने की संभावना है आदि।
 - (ख) यदि उपकरण खरीदने का ऑर्डर अभी दिया जाना बाकी हो, तो उन कोटेशन की तारीखों का उल्लेख करें, जिनके आधार पर लागत के अनुमान दिए गए हों।
 - (ग) यह उल्लेख किया जाए कि फिलहाल कितने प्रतिशत उपकरण और कितनी रकम के उपकरण का ऑर्डर देना बाकी है।
 - (घ) खरीदे गए या खरीदे जाने वाले पुराने (सेकण्ड हैंड) उपकरणों, यदि कोई हों, के ब्यौरे, जिनके साथ ये ब्यौरे भी दिए जाएँ कि मशीनें कितनी पुरानी हैं, अभी और कितने समय तक चलेंगी, आदि।
- (8) यदि राइट्स इश्यू के तहत वारंट या कुछ रकम लेकर शेयर जारी किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में यह भी बताना होगा कि यदि आगे चलकर वारंट को बदले जाने पर / पहले से कुछ रकम लेकर जारी किए गए शेयरों के लिए पैसा मांगने पर मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा।

(ख) पैसों (फंड) की जरूरत:

- (1) जहाँ इश्युअर एक से अधिक कार्य या प्रोजेक्ट में पैसा लगाना (जैसे एक से ज्यादा कारोबार में पैसा लगाना, आधुनिक मशीनें आदि खरीदना, कारोबार का दायरा फैलाना, आदि) चाहता हो, वहाँ प्रोजेक्ट की कुल लागत का ब्यौरा इस तरह से दिया जाए कि प्रोजेक्ट के किस-किस कार्य में कितनी-कितनी लागत आएगी या फिर किस-किस प्रोजेक्ट में कितना-कितना पैसा लगाया जाएगा।
- (2) जहाँ इश्युअर चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हो, वहाँ प्रत्येक चरण में लगने वाली लागत बताई जाएगी, जिसके तहत ऐसे चरण (यदि कोई हो) की लागत भी बताई जाएगी जो पहले ही पूरा किया जा चुका हो।
- (3) इश्यू से आए पैसों के इस्तेमाल या प्रोजेक्ट की लागत के संबंध में संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल), वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, सहयोगी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा परिभाषित) के साथ किए गए या किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण लेनदेन (ट्रांजैक्शन्स) के ब्यौरे। संबंधित दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए।
- (4) यदि इश्यू से आए पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से:

(क) किसी कारोबार की खरीद के लिए किया जाए; या

- (ख) किसी कारोबार में हित की खरीद के लिए किया जाए और उस खरीद की वजह से, या उसके परिणामस्वरूप, या उसके संबंध में की जाने वाली किसी बात की वजह से; इश्युअर या तो ऐसे कारोबार के पूँजी के या फिर ऐसे कारोबारों में होने वाले फायदों और नुकसानों के या फिर दोनों के पचास प्रतिशत से अधिक हिस्से का हकदार हो जाए;

तो ऐसे में अकाउंटेंट [जिनके नाम प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में दिए जाएँगे] द्वारा निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी:

- i. प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) जारी करने से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष हेतु कारोबार में हुए फायदे या नुकसान के संबंध में; और
- ii. उस अंतिम तारीख तक की स्थिति के अनुसार कारोबार की आस्तियों (असेट्स) और देयताओं के संबंध में, जिस तारीख तक की स्थिति के अनुसार कारोबार के लेखे तैयार किए गए हों, किंतु वह तारीख प्रस्ताव-पत्र जारी किए जाने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा छह महीने पहले तक की ही हो।
- iii. इश्युअर कंपनी इस प्रकार किए जाने वाले अर्जन (एक्विज़िशन) से पड़ने वाले असर की जानकारी देने के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी [उन वित्तीय अवधियों हेतु जो इश्युअर द्वारा निर्धारित की जाएँ], बशर्ते कि वे प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंजेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँ, और उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।

(5) यदि:

- (क) इश्यू से आए पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से (फिर चाहे किसी भी तरह से), इश्युअर द्वारा किसी दूसरी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) में शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) के लिए किया जाए; और
- (ख) उस अर्जन की वजह से या उसके परिणामस्वरूप या उसके संबंध में कुछ किए जाने की वजह से, वह बॉडी कारपोरेट उस इश्युअर की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) बन जाए;

तो निम्नलिखित के संबंध में अकाउंटेंट [जिनके नाम प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में दिए जाएँगे] द्वारा निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी:

- i. प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) जारी करने से ठीक पहले के तीन पूरे वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष हेतु दूसरे बॉडी कारपोरेट को हुए फायदों या नुकसानों के संबंध में; और
- ii. जिस तारीख तक की स्थिति के अनुसार उस दूसरे बॉडी कारपोरेट के लेखे तैयार किए गए हों, उस अंतिम तारीख तक की स्थिति के अनुसार उसकी

आस्तियों (असेट्स) और देयताओं के संबंध में, किंतु वह तारीख प्रस्ताव-पत्र जारी किए जाने की तारीख से ज्यादा से ज्यादा छह महीने पहले तक की ही हो।

- iii. इश्युअर कंपनी इस प्रकार ली जाने वाली हिस्सेदारी से पड़ने वाले असर की जानकारी देने के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी [उन वित्तीय अवधियों हेतु जो इश्युअर कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएँ], बशर्ते कि वे प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अश्योरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँ, और उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।

(ग) इश्यू से संबंधित प्रोजेक्ट या उद्देश्यों की स्ट्रेटेजी साझा करने वाले भागीदार (स्ट्रेटेजिक पार्टनर)।

(घ) प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले या इश्यू के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पैसा लगाने वाले भागीदार।

(ङ) पैसा कैसे जुटाया जाएगा (पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया जाएगा):

1. इश्युअर की ओर से एक वचन, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि इश्युअर ने यह जो जानकारी दी थी कि पैसा जहाँ-जहाँ से जुटाया जाएगा वहाँ-वहाँ से पचहत्तर प्रतिशत रकम जुटाने के पक्के इंतजाम (जिनकी पुष्टि की जा सकती हो) कर लिए गए हैं, किंतु इसमें लाए जाने वाले इश्यू के जरिए जुटाई जाने वाली रकम और कारोबार से पहले से कमाई जा चुकी रकम (जिसका हिसाब-किताब पहले से ही हो) शामिल नहीं है।
2. ऐसे जिन माध्यमों से बचा हुआ पैसा जुटाना हो और जिनके लिए पक्के इंतजाम न किए गए हों, उनके ब्यौरे।
3. लगाए जा चुके पैसों के ब्यौरे और जो पैसा ज्यादा मिला हो (यदि कोई हो) उसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाएगा।

(च) मूल्यांकन (यदि लागू हो):

1. मूल्यांकन का दायरा और उसका उद्देश्य, यदि कोई हो, और साथ ही मूल्यांकन की तारीख।
2. मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट की लागत कितनी है और पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया जाएगा।
3. मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने की तारीख के बाद यदि प्रोजेक्ट की लागत में और पैसा कहाँ-कहाँ जुटाया जाएगा इस संबंध में दी गई जानकारी में बदलाव (यदि कोई हो) हुआ हो, तो उसके संबंध में स्पष्टीकरण।
4. किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है यह दर्शाते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट में कमजोरियों, टिप्पणियों और आशंकाओं आदि का जिक्र किया जाएगा।

(छ) प्रोजेक्ट पूरा किए जाने की समय-सारणी: प्रोजेक्ट पूरा किए जाने की समय-सारणी और अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी जाएगी, जिसमें जमीन लेने, सिविल कार्य करने, प्लांट व मशीनरी लगाने, उत्पादन का ट्रायल करने तथा उत्पादन शुरू करने की तारीख बतानी होगी और साथ ही यदि कोई देरी हुई हो, तो उसके कारण भी बताने होंगे।

(ज) पैसा लगाना:

1. नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) दाखिल किए

जाने की तारीख से कम से कम दो महीने बाद की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, इस संबंध में ब्यौरे कि पैसा कहाँ-कहाँ से जुटाया गया और प्रोजेक्ट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल [जहाँ इश्युअर प्रोजेक्ट के लिए पूँजी जुटा रहा हो] कैसे किया गया, ये ब्यौरे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए जाएँ, और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम और प्रमाणपत्र की तारीख का भी उल्लेख किया जाए।

2. जहाँ संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) की पहले की "शेयर एप्लिकेशन मनी" का पैसा प्रोजेक्ट में लगा हो और उसके एवज में उन्हें राइट्स इश्यू के तहत शेयर आदि दिए जा रहे हों, तो ऐसे में यह बताना होगा कि संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) ने जो पैसा लगाया था वह असल में कितना लगाया गया और उसका कितना इस्तेमाल हुआ।

- (झ) जो पैसा पहले से लगाया गया है, वह कहाँ से आया: जिस पैसे की चुकौती इश्यू से आए पैसों (इश्यू प्रोसीड्स) से की जा सकेगी वह पैसा कहाँ से जुटाया गया इसकी जानकारी (जिसमें "ब्रिज लोन" के ब्यौरे या फिर यदि पैसों का इंतजाम कहीं और से किया गया हो, तो उसके ब्यौरे भी शामिल हैं)।
- (ञ) बचे हुए पैसों का इस्तेमाल कैसे-कैसे किया जाएगा, इसके ब्यौरे: उपरोक्त प्रोजेक्ट पर हर वर्ष कितना-कितना खर्च किया जाएगा।
- (ट) पैसों का इस्तेमाल होने तक क्या करना है: यह कथन कि इश्यू से आए कुल पैसों में से जीतने पैसों का इस्तेमाल (बताए गए उद्देश्यों के लिए) न हुआ हो, उन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ही जमा कराया जाएगा।
- (ठ) इश्यू के संबंध में होने वाले खर्च: इश्यू के संबंध में होने वाले खर्चों के ब्यौरे निम्नलिखित शीर्ष के तहत दिए जाएँ (जिसमें यह बताया जाए कि कुल कितनी रकम खर्च की जाएगी, यह खर्च इश्यू के संबंध में होने वाले कुल खर्च की कितनी प्रतिशत है और साथ ही इश्यू के कुल आकार का कितना प्रतिशत है:

- (1) दलाली (ब्रोकरेज), बिक्री संबंधी कमीशन और अपलोड फीस से संबंधित खर्च
- (2) इश्यू रजिस्ट्रार से संबंधित खर्च
- (3) कानूनी सलाहकार (यदि कोई हो) से संबंधित खर्च
- (4) विज्ञापन और मार्केटिंग संबंधी खर्च
- (5) विनियामकों (स्टॉक एक्सचेंजों सहित) को अदा किए जाने वाले शुल्क
- (6) इश्यू से संबंधित स्टेशनरी छपवाने और उन्हें बाँटने पर होने वाले खर्च
- (7) अन्य खर्च, यदि कोई हों (जिनका जिक्र किया जाना हो)।

- (ड) इश्युअर और उसके शेयरधारकों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार जो सहायक कंपनियाँ (सब्सिडियरी) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ हों, उन्हें यदि कर संबंधी कोई विशेष लाभ दिए जाते हों, तो उसके ब्यौरे भी दिए जाएँ।
- (ढ) इश्यू के प्रस्तावित उद्देश्यों के संबंध में उद्योग से संबंधित मुख्य-मुख्य कानूनी प्रावधान [यदि वे उद्देश्य इश्युअर के मौजूदा कारोबार से भिन्न हो]।
- (ण) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) और निदेशकों का हित, जैसा प्रोजेक्ट या इश्यू के उद्देश्यों के संबंध में लागू हो।

(XIII) प्रबंध-मंडल (निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल) और संगठन का ढाँचा:

- (क) प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) और अन्य निदेशकों [जिनमें नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं] के नाम, उनकी जन्म तिथि, आयु, निदेशक पहचान संख्या (डाइरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर), उनके पते, उनका व्यवसाय और उनके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने की तारीख।

(XIV) इश्युअर की वित्तीय जानकारी:

प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में जो भी आकड़े दिए जाएंगे, वे केवल एक ही यूनिट में दिखाए जाएंगे।

लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित विवरण (जो स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हों) में प्रस्तुत किए गए आँकड़ों के आधार पर नीचे बताई गई जानकारी प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में प्रस्तुत करनी होगी (और उसके साथ-साथ पहले वाले वर्ष की अवधि के आँकड़े भी तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने होंगे), और साथ ही हाल ही में पिछली बार लिमिटेड रिव्यू के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों (यदि कोई हों) [जो स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हों] के आधार पर नीचे बताई गई जानकारी प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) प्रस्तुत करनी होगी (और उसके साथ-साथ पहले वाले वर्ष की अवधि के आँकड़े भी तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने होंगे) [किंतु लिमिटेड रिव्यू के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरण इश्यू के खुलने की तारीख से छह महीने से ज्यादा पुराने न हों]। जनता के लिए उपलब्ध करवाए गए सबसे हाल के तिमाही परिणामों की जानकारी भी ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और प्रस्ताव-पत्र में दी जाए।

- i. कामकाज से होने वाले कुल आय
- ii. कर (टैक्स) की रकम काटे जाने से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) और अप्रत्याशित रूप से होने वाला नफा-नुकसान
- iii. कर (टैक्स) की रकम काटे जाने के पश्चात् लाभ / (हानि) और अप्रत्याशित रूप से होने वाला नफा-नुकसान
- iv. इक्विटी शेयर पूँजी
- v. आरक्षितियाँ (रिज़र्व) एवं अधिशेष (सरप्लस)
- vi. शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)
- vii. आमदनी प्रति शेयर (बेसिक)
- viii. आमदनी प्रति शेयर (डाइल्यूटेड)
- ix. शुद्ध-मालियत (नेट-वर्थ) पर मुनाफा (रिटर्न)
- x. प्रति शेयर एन.ए.वी. (नेट असेट वैल्यू)

(XV) निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) तय करने के आधार की विस्तार से जानकारी: इश्युअर ने राइट्स शेयरों की कीमत कैसे निकाली।

(XVI) सरकारी मंजूरीयाँ या लाइसेंसिंग के इंतजाम: इश्यू के उद्देश्यों से संबंधित वे सभी विनियामक (रेग्युलेटरी) और सरकारी मंजूरीयाँ जो अहम हों।

(XVII) विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों और कानूनी प्रावधानों के तहत दी जाने वाली अन्य जानकारी (डिस्क्लोज़र):

- (क) इश्यू के लिए प्राधिकार और इश्यू के लिए पारित किए गए संकल्प के ब्यौरे।
- (ख) इश्युअर की ओर से यह कथन कि बोर्ड द्वारा पारित किए गए किसी आदेश या निदेश के तहत इश्युअर, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), निदेशकों को पूँजी बाजारों में लेनदेन आदि करने (को एक्सेस करने) से रोका नहीं गया है अथवा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को खरीदने, बेचने या उनमें लेनदेन करने से रोका नहीं गया है।
- (ग) इश्युअर द्वारा यह कथन कि क्या इश्युअर का कोई निदेशक प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, और यदि हाँ, तो बोर्ड द्वारा उपरोक्त एंटिटियों के खिलाफ शुरू की गई ऐसी कार्रवाई के ब्यौरे, जो चल रही हो।
- (घ) डिस्क्लेमर (दावात्याग) क्लॉज़:

- (ड) क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्क्लोज़र: एक संक्षिप्त पैरा, जिसमें यह जिक्र किया जाए कि किस क्षेत्राधिकार के कानूनी प्रावधान और नियमों तथा विनियमों के प्रावधान प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) के संबंध में लागू हों।
- (च) स्टॉक एक्सचेंजों का डिस्क्लेमर क्लॉज़।
- (छ) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा किसी दूसरे विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) का डिस्क्लेमर क्लॉज़ (यदि लागू हो)।
- (ज) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए इश्युअर द्वारा क्या व्यवस्था की गई और निवेशकों की अलग-अलग तरह की शिकायतों का निवारण करने के लिए उसके द्वारा आम तौर पर कितना समय लिया जाता है।

(XVIII) प्रस्ताव (ऑफरिंग) संबंधी जानकारी:

- (1) भुगतान की शर्तें आदि और प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) आबंटित करने तथा डीमैट खाते में जमा करवाने की प्रक्रिया और समय-सूची।
- (2) यह जानकारी कि आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्म तथा प्रस्ताव-पत्र कहाँ उपलब्ध हैं और भुगतान कैसे करना है, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(क) म्यूचुअल फंडों (पारस्परिक निधियों) द्वारा आवेदन :

- i. "प्रोसिजर फॉर एप्लीकेशन्स बाइ म्यूचुअल फंड्स" तथा "मल्टीपल एप्लीकेशन्स" शीर्षकों के तहत एक कथन - जिसमें यह जिक्र हो कि बोर्ड के पास रजिस्टर भारत के म्यूचुअल फंड की प्रत्येक स्कीम के लिए अलग आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदनों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि एक से अधिक आवेदन किए गए हैं।
- ii. एक कथन जिसमें यह जिक्र होगा कि म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) या कस्टोडियन (अभिरक्षक) द्वारा किए गए आवेदन में उस संबंधित स्कीम के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है।

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा आवेदन :

- i. भारत के कम से कम एक ऐसे स्थान का नाम और पता जहाँ से व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय आवेदक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- ii. निवेशकों द्वारा अस्बा के जरिए आवेदन: निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन की प्रक्रिया के ब्यौरे, जिनमें निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन को प्रस्तुत किए जाने संबंधी अनुदेशों का उल्लेख हो।
- iii. यह कथन कि जिन शेयरधारकों को आवेदन फॉर्म प्राप्त न हुआ हो, वे आवेदन के लिए निर्धारित की गई रकम के साथ, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म में दिए गए ब्यौरों को सादे कागज पर भरकर आवेदन कर सकते हैं।
- iv. वह फॉर्मेट जिसके अनुसार शेयरधारक सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत जरूरी जानकारी दी जाए, जैसे कि नाम, पता, राइट्स इश्यू का अनुपात, निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस), उन इक्विटी शेयरों की संख्या जो उनके पास पड़े हों, निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) की आई.डी., ग्राहक की आई.डी., उन इक्विटी शेयरों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया हो, अस्बा की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए एस.सी.एस.बी. के पास कितनी रकम ब्लॉक कराई जानी है। जरूरी ब्यौरे आदि देने के लिए रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, अग्रणी प्रबंधकों (लीड मैनेजर) की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- v. यह कथन कि सादे कागज पर आवेदन करने वाले शेयरधारक अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते और साथ ही किसी भी उद्देश्य से (जिसमें त्याग करना भी शामिल है) के लिए आवेदन फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भले ही बाद में आवेदन फॉर्म प्राप्त क्यों न हो गया हो।
- (3) फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही: फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही कैसे की जाएगी, अर्थात् फ्रैक्शनल राइट्स के मूल्य (यदि कोई हो) की रकम का नकदी आदि में भुगतान किया जाएगा, आदि।
- (4) फर्जी आवेदन किए जाने पर दंड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, साथ ही यह भी बताया जाए कि दंड के ये प्रावधान उस व्यक्ति के मामले में लागू होंगे जो -
- (क) किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अर्जन (एक्जिज़िशन) के लिए या उनमें पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन करने) के लिए फर्जी नाम से आवेदन करता या करवाता हो; या
- (ख) किसी कंपनी में उसकी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अर्जन (एक्जिज़िशन) के लिए या उनमें पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्सक्रिप्शन करने) के लिए अलग-अलग नामों से अथवा अपने नाम या उपनाम का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करके एक से अधिक आवेदन करता हो या करवाता हो; या
- (ग) किसी और तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी कंपनी को ऐसे व्यक्ति, या फर्जी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर प्रतिभूतियाँ आवंटित करने के लिए या उसे प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) करने के लिए उकसाता हो:
- परंतु यह कि यदि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जुर्माना आदि (पेनल्टी) लगाया गया हो, तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी।
- (5) यह कथन कि पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रतिभूतियाँ डीमैट खाते में जमा करवा दी जाएँगी / अस्वा को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दे दिए जाएँगे और अस्वा को अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश दिए जाने में देरी होने पर निर्धारित दर से ब्याज अदा किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ पैसा लौटाया (रिफंड किया) जाना हो, वहाँ पैसा पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लौटा दिया जाएगा और देरी होने पर ब्याज अदा किया जाएगा। यदि पैसा निर्धारित समय-सीमा के भीतर न लौटाया गया हो, तो ऐसे में यह उल्लेख किया जाएगा कि पैसा अनब्लॉक करवाए जाने हेतु अनुदेश देने / निर्धारित दर पर ब्याज के साथ पैसा लौटाए जाने के लिए इश्युअर जवाबदेह है या फिर उसके निदेशक जवाबदेह है (यानि कि चूक करने वाले अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाएगा)।
- (6) पैसा कैसे लौटाया जाएगा (रिफंड किया जाएगा):
- क) यह बताया जाए कि इश्युअर ओवर-सब्सक्रिप्शन के मामले में या सूचीबद्ध (लिस्ट) न हो पाने के मामले में या किसी और मामले में आवेदकों को पैसा किस प्रकार लौटाएगा।
- ख) यदि इश्युअर आवेदकों को पैसा एक से अधिक तरीके अपनाकर लौटाएगा, तो ऐसे में यह बताया जाए कि किस-किस मामले में पैसा किस-किस प्रकार से लौटाया जाएगा।
- ग) निम्नलिखित तरीकों से पैसा लौटाया जा सकता है:
- अस्वा की सुविधा का इस्तेमाल करके ब्लॉक की गई रकम को अनब्लॉक करके;
 - बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए केन्द्रों में से किसी केन्द्र में रहने वाले आवेदकों के मामले में: आवेदकों के बैंक खातों में पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करते हुए सीधे जमा करके, आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट) या एन.ई.एफ.टी. (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर), या एन.ए.सी.एच. (नेशनल ऑटोमेटेड

क्लीयरिंग हाउस), [जो भी लागू हो] के जरिए (जिसकी भी मंजूरी उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई हो);

- iii. दूसरे आवेदकों के मामले में: जहाँ मूल्य ₹1500 या उससे अधिक हो, वहाँ रजिस्ट्री डाक के माध्यम से “रिफंड ऑर्डर” भेजकर, या दूसरे मामलों में डाक में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के जरिए (डाक विभाग के नियमानुसार); और
- iv. बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई आवेदकों की किसी दूसरी श्रेणी के मामले में: ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदकों को पैसा लौटाकर, जिसकी मंजूरी बोर्ड द्वारा दी गई हो।

(7) आबंटन का आधार: आबंटन इस प्रकार किया जाएगा:

- i. जिन पात्र शेयरधारकों ने अपनी राइट्स एन्टाइटलमेंट के लिए आवेदन (चाहे पूरी हकदारी के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए) किया हो, उन्हें पूरा आबंटन किया जाएगा, और साथ ही त्याग का फायदा पाने वाले (पाने वालों) उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) को भी पूरा आबंटन किया जाएगा जिसने (जिन्होंने) अपने पक्ष में निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन (फिर चाहे पूरी हकदारी के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए, जो फ्रैक्शनल हकदारी का समायोजन करने के बाद निकाली गई हो) किया हो।
- ii. जिन पात्र शेयरधारकों ने अपनी राइट्स एन्टाइटलमेंट के अनुसार निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन कर दिया हो और अतिरिक्त निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए भी आवेदन किया हो, उन्हें आबंटन, जहाँ तक संभव हो, निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और ऐसा करते समय यह पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनके पास रिकॉर्ड तिथि तक कितनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ थीं, बशर्ते कि ऊपर (i) के अनुसार आबंटन किए जाने के बाद भी पैसा लगाने के लिए कुछ प्रतिभूतियाँ बची हुई हों (पूरा सब्सक्रिप्शन न हुआ हो)।
- iii. यदि ऊपर (i) और (ii) के तहत पूरा आबंटन किए जाने के बाद भी पैसा लगाने के लिए कुछ प्रतिभूतियाँ बची हुई हो (पूरा सब्सक्रिप्शन न हुआ हो), तो ‘त्याग का फायदा पाने वाले’ उन व्यक्तियों को आबंटन किया जाएगा, जिन्होंने उनके पक्ष में त्याग की गई निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया हो और साथ ही अतिरिक्त निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए भी आवेदन किया हो। ऐसी अतिरिक्त निर्धारित प्रतिभूतियों का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जा सकेगा।
- iv. यदि ऊपर (i), (ii) और (iii) के तहत आबंटन किए जाने के बाद भी पैसा लगाने के लिए कुछ प्रतिभूतियाँ बची हुई हों (पूरा सब्सक्रिप्शन न हुआ हो), तो ऐसे में किसी (किन्हीं) ऐसे अमुक निवेशक (निवेशकों) को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आबंटन किया जा सकेगा, जिसे (जिन्हें) इश्युअर के बोर्ड के अनुसार आबंटन किया जा सकता हो।

(XIX) इश्यू के संबंध में इश्युअर द्वारा वचन: इश्युअर यह वचन देगा कि :

- क) निर्गम के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में इश्युअर द्वारा जल्द से जल्द और संतोषजनक रूप से कार्यवाही की जाएगी।
- ख) जिन स्टॉक एक्सचेंजों में निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) की जानी हों, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता के लिए और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर कदम उठाए जाएँगे।
- ग) जिन आवेदकों को आबंटन (अलॉटमेंट) न हुआ हो, उन्हें पैसा लौटने (रिफंड करने) [उसी तरीके (उन्हीं तरीकों) से जिसकी (जिनकी) जानकारी दी गई हो] के लिए जितना

पैसा जरूरी हो, उतना पैसा इश्युअर द्वारा रजिस्ट्रार टू एन इश्यू (निर्गम रजिस्ट्रार) को दिया जाएगा।

- घ) जहाँ पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर करके लौटाया (रिफंड किया) जाए, वहाँ इश्यू के बंद होने से 15 दिनों के भीतर आवेदक को जरूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें उस बैंक के ब्यौरे दिए जाएँगे जहाँ पैसा जमा कराया जाएगा और साथ ही यह बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कितना पैसा जमा करवाया जाएगा और किस तारीख को जमा करवाया जाएगा।
- ङ) जिन बोली लगाने वालों को आबंटन (अलॉटमेंट) न हुआ हो, उनके आवेदन की रकम से या आनुपातिक आबंटन के मामले में आवेदन की रकम के कुछ हिस्से को अनब्लॉक किया जाना हो, वहाँ आवेदकों को जरूरी जानकारी दी जाएगी।
- च) अस्वा के तहत किए गए आवेदनों को जमा करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएँगे।
- छ) कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स (संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों) के मामले में, इश्युअर यह वचन भी देगा कि :

- i. वह डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जुटाए गए पैसों के इस्तेमाल के ब्यौरे (इश्युअर के लेखापरीक्षकों (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवाकर) प्रत्येक छमाही के अंत में भेजेगा।
- ii. वह वार्षिक रिपोर्ट में डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) का नाम और पता बताएगा।
- iii. वह कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स जिनके पास हों, उन्हें डिबेंचरों के इश्यू के संबंध में प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में दी हुई शर्तों आदि का पालन करने के संबंध में पालन संबंधी प्रमाणपत्र (डिबेंचर न्यासियों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवाकर) हर वर्ष प्रदान करेगा।
- iv. वह यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स जिनके पास हैं, उनके पक्ष में इश्युअर द्वारा जो जमानत (सिक्यूरिटी) रखी गई है, वह सही तरीके से रखी जा रही है और चूक होने की दशा में कन्वर्टिबल डैट इन्स्ट्रूमेंट्स जिनके पास हैं, उन्हें पैसा चुकाने के लिए वह पर्याप्त है।
- v. वह तब तक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी (एजेंसियों) को जरूरी जानकारी सही-सही और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने में जरूरी सहयोग देता रहेगा, जब तक इन्स्ट्रूमेंट के संबंध में ऋण (डैट) की पूरी रकम न चुका दी जाए।

(XX) इश्यू से आए पैसों का इस्तेमाल: किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या लोक वित्तीय संस्था द्वारा लाए जाने वाले इश्यू को छोड़कर, लाए जाने वाले किसी दूसरे इश्यू के प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा यह जिक्र किया जाना चाहिए कि:

- क. जनता के लिए गए शेयरों या निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के इश्यू से जो भी पैसा मिलेगा, उसे एक अलग बैंक खाते में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया जाएगा।
- ख. खंड (क) में जिस इश्यू का जिक्र किया गया है, उससे आए पैसों में से इस्तेमाल में लाए गए पैसों के ब्यौरे, इश्युअर के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में एक अलग शीर्षक के अंतर्गत दिखाए जाएँगे, और यह बताया जाएगा कि उन पैसों का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया गया था; और
- ग. खंड (क) में निर्धारित प्रतिभूतियों के इश्यू का जिक्र किया गया है, उससे आए पैसों में से इस्तेमाल में न लाए गए पैसों के ब्यौरे, इश्युअर के तुलन-पत्र में एक अलग शीर्षक के अंतर्गत दिखाए जाएँगे, और यह बताया जाएगा कि उन पैसों का निवेश कहाँ-कहाँ किया गया है।

(XXI) किसी दूसरे देश के व्यक्तियों / की एंटिटियों द्वारा भारत की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का मालिकाना हक रखने पर रोक (यदि कोई हो):

क. अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में।

ख. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में।

ग. अन्य अनिवासी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में।

(XXII) कानूनी प्रावधानों के अनुसार दी जाने वाली जानकारी और अन्य जानकारी:

(क) निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का आबंटन (अलॉटमेंट) डीमैट रूप में किया जाएगा।

(ख) महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट और निरीक्षण का समय व स्थान, जिसके लिए इश्युअर की अंतिम तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की जाएँगी:

परंतु यह कि महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट निरीक्षण हेतु ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाए जाएँगे।

(XXIII) अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी, जो जरूरी समझी जाए।

(XXIV) घोषणा :

“इस प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में दी गई किसी भी जानकारी से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। इश्यू से संबंधित सभी कानूनी अपेक्षाओं का तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), सरकार और किसी दूसरे सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि का पूरी तरह से पालन कर लिया गया है।”

प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) और प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) की मंजूरी इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा दी जाएगी और उस पर सभी निदेशकों (जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रबंधक शामिल हैं) और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्त संबंधी कार्य देखने वाले तथा ऐसा कार्य करने वाले मुख्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रस्ताव-पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य और सही है।

(XXV) इश्युअर ठीक पहले वाले पब्लिक इश्यू या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की प्रति इन विनियमों में निर्धारित तरीके से जनता को उपलब्ध कराएगा और ऐसे दस्तावेज को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर भी उपलब्ध कराएगा।”

v. भाग-ख-1 हट जाएगा;

vi. भाग-च हट जाएगा;

XCI. अनुसूची-VII में, खंड (11) में, शब्दों तथा चिह्न “जो लागू हो।” के बाद और शब्दों तथा चिह्न “इसके अतिरिक्त,” से पहले निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“इश्युअर कंपनी इस प्रकार ली जाने वाली हिस्सेदारी (किए जाने वाले अर्जन / एक्विज़िशन) से पड़ने वाले असर की जानकारी देने के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण स्वेच्छा से प्रदान कर सकेगी [उन वित्तीय अवधियों हेतु जो इश्युअर कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएँ], बशर्ते कि वे प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी गाइडेंस नोट, पुष्टि (अशयोरेंस) आदि करने के संबंध में किसी को नियुक्त किए जाने (इंगेजमेंट) के संबंध में जारी किए गए मानदंड या जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएँ, और उन्हें उस लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों से प्रमाणित करवाया जाए, जिसके या जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो। इश्युअर ने जिस कारोबार या सहायक कंपनी में हिस्सेदारी ली हो अथवा जिस कारोबार या

सहायक कंपनी से हिस्सेदारी निकाली हो उसके वित्तीय विवरण भी स्वेच्छा से प्रस्तुत कर सकेगी, बर्तते कि ऐसे वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक (ऑडिटर) [जो उस कारोबार या सहायक कंपनी का लेखापरीक्षक हो, जिसमें हिस्सेदारी ली जा रही हो या जिससे हिस्सेदारी निकाली जा रही हो] या उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिनके पास आई.सी.ए.आई. के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और जो मान्य भी हो।”

XCII. अनुसूची-IX में, खंड (1) में, शब्दों तथा चिह्न “प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज / प्रस्ताव दस्तावेज” के बाद और शब्दों “में दी गई हो” से पहले शब्द तथा चिह्न “या फिर प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) / प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर)” जोड़े जाएंगे।

XCIII. अनुसूची-X के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची आ जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-X: पब्लिक इश्यू के लिए विज्ञापन के फॉर्मेट

भाग-क - पब्लिक इश्यू के लिए इश्यू लाए जाने से पहले जारी किए जाने वाले विज्ञापन और मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में जारी किए जाने वाले विज्ञापन का फॉर्मेट

[विनियम 43(2), 29(4), 127(4), 139(2), 189(4), 264(2) एवं 250(4) देखें]

यह सार्वजनिक घोषणा जानकारी देने मात्र के उद्देश्य से जारी की जा रही है। इसे प्रॉस्पेक्टस के संबंध में की जाने वाली घोषणा न माना जाए और इसका यह अर्थ भी न निकाला जाए कि इसके जरिए प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) अर्जित (एक्वायर) करने, खरीदने या उनमें पैसा लगाने (उन्हें सब्सक्राइब करने) के लिए आमंत्रित किया गया है या उसका प्रस्ताव दिया गया है।

ए.बी.सी. लिमिटेड [इश्युअर का नाम]

कंपनी के नाम में हुए बदलावों तथा उसके रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय से संबंधित व्यौरों के लिए, कृपया प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस [-] (“आर.एच.पी.” या “रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस”) के पृष्ठ सं. [-] पर दिए हुए “हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स – ब्रीफ हिस्टरी ऑफ आवर कंपनी” और “हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स – चेंजेस इन द रजिस्टर्ड ऑफिस” शीर्षकों के तहत दी हुई सामग्री देखें।

रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय: [-];

कारपोरेट कार्यालय: [-];

संपर्क व्यक्ति: [-]; दूरभाष सं. : [-]; ई-मेल: [-]; वेबसाइट: [-];

कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर) : [-];

क्यू.आर.कोड. [क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने ‘लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.’ का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज, जैसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट), मूल्य दायरे से संबंधित विज्ञापन, आदि दिए हुए हों]

संप्रवर्तक (प्रोमोटर)

[__ एक्स.वाई.जेड.__]

इश्यू की जानकारी

_____ की _____ [यह उल्लेख किया जाए कि किस तरह की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) हैं] {प्रत्येक का भाव ₹ _____} का पब्लिक इश्यू

बिक्री करने वाले शेयरधारकों के व्यौरे, विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) और अर्जन की कीमत का भारित औसत (वेटेड एवरेज), जो भी लागू हो

[एक सारणी में यह उल्लेख किया जाए कि बिक्री करने वाले शेयरधारकों का नाम क्या हैं, वे किस तरह के शेयरधारक हैं [संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हैं जो शेयर बेच रहे हैं, निवेशक हैं, आदि], कितने शेयरों का प्रस्ताव (ऑफर) किया गया है, जिन शेयरों का प्रस्ताव किया गया है उनकी एवज में कुल कितनी रकम ली जानी है, प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की कीमत का भारित औसत]

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले प्लेसमेंट आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो रु. [-] से रु. [-] प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य दायरे के तहत पूरी की गई है। कंपनी द्वारा डी.आर.एच.पी. की तारीख से आई.पी.ओ. लाए जाने से पहले तक किए गए प्लेसमेंट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया यहाँ नीचे दिए गए “निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी” नामक खंड देखें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड): रु. ____ के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले एक इक्विटी शेयर हेतु रु. ____ से रु. ____

इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) उनके अंकित मूल्य की [-] गुनी है और इक्विटी शेयरों की उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) उनके अंकित मूल्य का [-] गुनी है।

वित्तीय वर्ष [-] हेतु घटाकर निकाले गए आमदनी प्रति शेयर (ई.पी.एस.) के आधार पर कीमत का आमदनी से अनुपात निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) के अनुसार [-] गुना है और उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) के अनुसार [-] गुना है।

[उपरोक्त को मूल्य दायरा माना जाए। यथास्थिति, नियत कीमत (फिक्स्ड प्राइस) या निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निकालने के लिए उपरोक्त में अपेक्षानुसार बदलाव किया जा सकेगा]

कम से कम [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद उसी हिसाब से उतने-उतने और [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है।

एंकर निवेशकों द्वारा बोली लगाने की तारीख: [-] (यदि लागू हो)

बोली आज से खुल रही है / इश्यू के खुलने की तारीख [-]

बोली / इश्यू के बंद होने की तारीख: [-]

इश्युअर कंपनी के कारोबार का संक्षिप्त ब्यौरा

यह इश्यू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) [विनियम 6(1) या विनियम 6(2) या अध्याय-IX (लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) या कोई अन्य विनियम (यदि लागू हो)] के अनुसार लाया जा रहा है।

कंपनी के इक्विटी शेयर [स्टॉक एक्सचेंजों का नाम] के [बोर्ड का नाम] पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कराए जाएंगे। [स्टॉक एक्सचेंज का नाम] नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज होगा।

[बुक-बिल्डिंग (बही-निर्माण) वाले इश्यू के मामले में, आबंटन के ब्यौरों की जानकारी प्रस्ताव के आकार (इश्यू साइज) / वास्तव में किए गए प्रस्ताव (नेट ऑफर) के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार दी जाएगी:

क्यू.आई.बी. (अर्हित संस्थागत क्रेता) की श्रेणी हेतु: ____%

छोटे निवेशकों की श्रेणी हेतु: ____%

गैर-संस्थागत निवेशक की श्रेणी हेतु: ____%

आरक्षित श्रेणी हेतु: ____% इक्विटी शेयर या ____%]

भावी निवेशक अपने निवेश संबंधी निर्णय केवल प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस में दी हुई जानकारी और प्रस्ताव (ऑफर) की शर्तों आदि के आधार पर ही लें, और साथ ही निवेश से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखें तथा प्रस्ताव के बारे में कहीं और से मिली किसी भी प्रकार की जानकारी पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) सही-सही तय किए जाने के संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की सिफारिश

निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निवेशकों को जिन-जिन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है उनमें से जो-जो जोखिम अहम हैं, उनके आधार पर मुख्य-मुख्य जोखिमों का संक्षिप्त ब्यौरा।

2. पिछले पूरे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी और उसके जैसी ही कंपनियों (पीयर ग्रुप) से संबंधित उचित अनुपातों के ब्यौरे, जैसे – कीमत / आय (रिवेन्यू), कीमत / आमदनी, इंटरप्राइज़ (उद्यम) का मूल्य / ई.बी.आई.टी.डी.ए., प्रति शेयर आमदनी, प्रति शेयर शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.), इक्विटी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), लगाई गई पूँजी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), आदि।
3. इश्युअर कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर भारित औसत मुनाफा (रिटर्न), और किसी अंतरिम अवधि के लिए शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर हुआ मुनाफा।
4. अनुसूची-VI के भाग-क के खंड (9)(ट)(4) के अनुसार जानकारी (जो भी लागू हो)।

निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी: जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. इश्यू लाए जाने से पहले जो प्लेसमेंट डी.आर.एच.पी. दाखिल करने की तारीख के बाद करने का प्रस्ताव हो / किया जाना हो, उनके ब्यौरे। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल है - आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, आबंटितियों (अलॉटी) के नाम, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाने से पहले कंपनी की शेयर पूँजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यदि कंपनी ने डी.आर.एच.पी. में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाए जाने से पहले प्लेसमेंट के संबंध में प्रावधान कर दिया हो, किंतु वह प्लेसमेंट पूरा न किया गया हो, तो इस संबंध में एक कथन शामिल किया जाना चाहिए।
2. यदि संप्रवर्तक (प्रोमोटर) (संप्रवर्तकों) तथा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) समूह (समूहों) द्वारा डी.आर.एच.पी. दाखिल किए जाने की तारीख से कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) के 1% या उससे ज्यादा शेयरों का लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) किया गया हो, तो उसकी जानकारी। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल हैं - अंतरण (ट्रांसफर) / आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, अंतरण (ट्रांसफर) करने वाले का नाम, जिसके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन हुआ हो उसका नाम, किस प्रकार का लेनदेन किया गया, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने से पहले कंपनी की शेयर पूँजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यह भी उल्लेख किया जाए कि जिनके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन किया गया है, क्या वे इश्युअर कंपनी या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या उसकी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सव्सिडियरी), समूह कंपनियों और उनके निदेशकों या फिर प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा न हो, तो यह उल्लेख करें कि वे उनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं।
3. संप्रवर्तक (प्रोमोटर) (संप्रवर्तकों), संप्रवर्तक समूह और शीर्ष 10 शेयरधारकों के पास विज्ञापन जारी किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इश्यू लाए जाने से पहले कितने शेयर पड़े थे और इश्यू लाए जाने के बाद आबंटन किए जाने पर कितने शेयर हो जाएँगे, इसकी जानकारी इस प्रकार दें:

कंपनी के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह तथा अन्य शीर्ष 10 शेयरधारकों के पास कितने शेयर हो जाएँगे, उसके ब्यौरे

क्र. सं.	विज्ञापन जारी किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इश्यू लाए जाने से पहले कितने शेयर हो जाएँगे, उसके ब्यौरे			इश्यू लाए जाने के बाद आबंटन किए जाने पर कितने शेयर हो जाएँगे, उसके ब्यौरे (3)			
	शेयरधारक	इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर पड़े थे (2)	मूल्य दायरे के अनुसार निचली सीमा (₹[●]) पर		मूल्य दायरे के अनुसार ऊपरी सीमा (₹[●]) पर	
				इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर हो जाएँगे (2)	इक्विटी शेयरों की संख्या (2)	कितने प्रतिशत शेयर हो जाएँगे (2)
1.	संप्रवर्तक (प्रोमोटर)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

	1 [नाम]						
	संप्रवर्तक (प्रमोटर)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	2 [नाम]						
	संप्रवर्तक (प्रमोटर)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	समूह(1)						
2.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
3.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
.....							
9.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
10.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
11.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

टिप्पणियाँ:

- (1) संप्रवर्तक (प्रमोटर) समूह के शेयरधारक हैं - [●], [●] तथा [●] ।
- (2) यह माना गया है कि विज्ञापन की तारीख तक जो भी ई.एस.ओ.पी. मिले हों उनका प्रयोग कर लिया गया है। इश्यू लाए जाने के बाद किसके पास कितने शेयर पड़े हैं, इसके ब्यौरे उस तारीख तक जिन ई.एस.ओ.पी. का प्रयोग कर लिया गया हो उनके आधार पर ही दिए जाएँ ।
- (3) यह मान लिया गया है कि इश्यू [फिर चाहे नया इश्यू लाया गया हो और/ या ऑफर फॉर सेल (विक्रय के लिए प्रस्ताव) लाया गया हो] पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। इश्यू लाए जाने के बाद आबंटन की तारीख तक की स्थिति के अनुसार किसके पास कितने शेयर पड़े हैं, इसके ब्यौरे इस आधार पर दिए जाएँ कि असल में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ और इश्यू की अंतिम कीमत कितनी रही, और उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में भी दी जाए, बशर्ते कि आबंटन के आधार को अंतिम रूप दे दिया गया हो। इतना ही नहीं, इस सारणी में यह भी मान लिया गया है कि इन शेयरधारकों द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने की तारीख और आबंटन किए जाने की तारीख के बीच शेयरों का कोई अंतरण (ट्रांसफर) नहीं किया गया [यदि प्रॉस्पेक्टस की तारीख से पहले कोई अंतरण (ट्रांसफर) किया भी जाता है, तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में शेयरहोल्डिंग पैटर्न (शेयरधारिता स्वरूप) वाले खंड में दे दी जाएगी] ।

प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) का आधार

{इस संबंध में भी जानकारी दी जाए कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के पृष्ठ सं. [-] पर “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित खंड में दी गई जानकारी को उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट कर दिया गया है।

“इश्यू प्राइस के आधार” [उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए] के लिए कृपया बी.आर.एल.एम. की ये वेबसाइटें देखें:

[-], [-] और [-] }

[एक क्यू.आर.कोड. भी दें - उस क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने ‘लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.’ का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज {जिसमें मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित अध्याय भी शामिल है}, दिए हुए हों।]

इश्यू से संबंधित अनुमानित समय-सीमाएँ

[इन समय-सीमाओं का उल्लेख भी किया जाए: (i) बोलियाँ जिस दौरान लगाई जा सकती हैं / इश्यू जिस दौरान खुला रहेगा (बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन को छोड़कर) उस दौरान और बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन कितने बजे से कितने बजे तक बोलियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं और उनमें बदलाव किया जा सकता है (ii) बोली अपलोड करने की समय-सीमा (iii) स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग किस तारीख से शुरू हो सकती है]

मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन में बताए गए उद्देश्यों की जानकारी: कंपनी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यह जानने के लिए कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “हिस्ट्री एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स” वाला हिस्सा देखें। इश्यू के सिलसिले में किए जाने वाले निरीक्षण हेतु कंपनी का मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन एक अहम दस्तावेज होता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रस्ताव दस्तावेज की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “मैटिरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के सदस्यों की शेयरों में जितनी हिस्सेदारी, उतनी ही उनकी जवाबदारी।

कंपनी की शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल) और कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना): प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी [-] की प्राधिकृत शेयर पूँजी (अथॉराइज़्ड शेयर कैपिटल) को [-] इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) [-] है। कंपनी के जितने शेयर जारी किए गए, जितने शेयरों में पैसा लगाया गया और जितने शेयर समादत्त (पेड-अप) शेयरों की श्रेणी में आते हैं उन्हें [-] इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य [-] है। अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के शुरूआती पृष्ठ सं. [-] पर दिया हुआ “कैपिटल स्ट्रक्चर” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के संज्ञम ज्ञापन (मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन) पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और उनके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयरों (जिन शेयरों में पैसा लगाया गया उन शेयरों) की संख्या: [-]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का डिस्क्लेमर क्लॉज: “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के संबंध में केवल अपने टिप्पणियाँ आदि (अभिमत) देता है, और उसके संबंध में यह न समझा जाए कि इश्यू के संबंध में या फिर प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में जिन-जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का जिक्र किया गया है उनके संबंध में कोई मंजूरी प्रदान की गई है।”

स्टॉक एक्सचेंजों का दावात्याग से संबंधित खंड: [-]

क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

आई.पी.ओ. की ग्रेडिंग के ब्यौरे (यदि लागू हो)

बुक रनिंग लीड मैनेजर के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट

प्रस्ताव के रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट

कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, वेबसाइट

यदि निवेशकों की इश्यू लाए जाने से पहले की तथा इश्यू लाए जाने के बाद की कोई शिकायतें हों [यानि कि उन्हें आबंटन-पत्र (लेटर ऑफ अलॉटमेंट) प्राप्त न हुए हों, आबंटित किए गए इक्विटी शेयर संबंधित बेनिफिशियरी के खाते में जमा न कराए गए हों, पैसे लौटाए जाने संबंधी आदेश न मिले हों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे न मिले हों, आदि], तो उनके लिए वे कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी या प्रस्ताव के

रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) से संपर्क कर सकते हैं। इश्यू से जुड़े समस्त प्रश्नों के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए, निवेशक बी.आर.एल.एम. से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रस्ताव दस्तावेज की उपलब्धता: [-]

संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की उपलब्धता: [-]

आवेदन फॉर्म की उपलब्धता: [-]

सिंडिकेट सदस्य: [-]

सब-सिंडिकेट सदस्य : [-]

प्रस्ताव (ऑफर) के बैंकरों / एस्क्रो कलेक्शन बैंक तथा रिफंड (पैसा लौटाने वाले) बैंक / पब्लिक ऑफर अकाउंट बैंक: [-]

प्रायोजक (स्पॉन्सर) बैंक: [-]

यू.पी.आई.: यू.पी.आई. के जरिए बोली लगाने वाले यू.पी.आई. व्यवस्था के जरिए भी बोली लगा सकते हैं।

[इश्युअर कंपनी का नाम] की ओर से

इश्युअर के प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: [-]

तारीख: [-]

टिप्पणियाँ:

- विज्ञापन में यह साफ-साफ जिक्र कर दिया जाए कि निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, ताकि वे निवेशकों की नज़र में आसानी से आ जाएँ।
- विज्ञापनों के कम से कम 33% हिस्से में जोखिमों से जुड़ी जानकारी दी जाए और बी.आर.एल.एम. की जानकारी 10% से अधिक हिस्से में न दी जाए।
- मूल्य दायरे / निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) और जोखिम से जुड़ी जो जानकारी दी जाए उसके फॉण्ट का आकार वही रखा जाए, जो बोली लगाने/ इश्यू से संबंधित जानकारी का हो। इसके अलावा, शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) से संबंधित जानकारी सारणी में ही दी जाए।

भाग-ख - पब्लिक इश्यू के लिए इश्यू खुलने के संबंध में जारी किए जाने वाले विज्ञापन का फॉर्मेट

[विनियम 43(3), 200(1) और 264(3) देखें]

यह सार्वजनिक घोषणा जानकारी देने मात्र के उद्देश्य से जारी की जा रही है। इसे प्रॉस्पेक्टस के संबंध में की जाने वाली घोषणा न माना जाए और इसका यह अर्थ भी न निकाला जाए कि इसके जरिए प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) अर्जित (एक्वायर) करने, खरीदने या उनमें पैसा लगाने (उन्हें सब्सक्राइब करने) के लिए आमंत्रित किया गया है या उसका प्रस्ताव दिया गया है।

ए.बी.सी. लिमिटेड [इश्युअर का नाम]

कंपनी के नाम में हुए बदलावों तथा उसके रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय से संबंधित व्यौरों के लिए, कृपया प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस [-] ("आर.एच.पी." या "रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस") के पृष्ठ सं. [-] पर दिए हुए "हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स - ब्रीफ हिस्टरी ऑफ आवर कंपनी" और "हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स - चेंजेस इन द रजिस्टर्ड ऑफिस" शीर्षकों के तहत दी हुई सामग्री देखें।

रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय: [-];

कारपोरेट कार्यालय: [-];

संपर्क व्यक्ति: [-]; दूरभाष सं. : [-]; ई-मेल: [-]; वेबसाइट: [-];

कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर) : [-];

क्यू.आर.कोड. [क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने 'लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.' का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज, जैसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट), मूल्य दायरे से संबंधित विज्ञापन, आदि दिए हुए हों]

संप्रवर्तक (प्रमोटर)

[__ एक्स.वाई.जेड.__]

इश्यू की जानकारी

_____ की _____ [यह उल्लेख किया जाए कि किस तरह की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) हैं] {प्रत्येक का भाव ₹ _____} का पब्लिक इश्यू

बिक्री करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे, विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) और अर्जन की कीमत का भारित औसत (वेटेड एवरेज), जो भी लागू हो

[एक सारणी में यह उल्लेख किया जाए कि बिक्री करने वाले शेयरधारकों का नाम क्या है, वे किस तरह के शेयरधारक हैं [संप्रवर्तक (प्रमोटर) हैं जो शेयर बेच रहे हैं, निवेशक हैं, आदि], कितने शेयरों का प्रस्ताव (ऑफर) किया गया है, जिन शेयरों का प्रस्ताव किया गया है उनकी एवज में कुल कितनी रकम ली जानी है, प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की कीमत का भारित औसत]

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले प्लेसमेंट आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो रु. [-] से रु. [-] प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य दायरे के तहत पूरी की गई है। कंपनी द्वारा डी.आर.एच.पी. की तारीख से आई.पी.ओ. लाए जाने से पहले तक किए गए प्लेसमेंट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया यहाँ नीचे दिए गए "निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी" नामक खंड देखें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड): रु. _____ के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले एक इक्विटी शेयर हेतु रु. _____ से रु. _____

इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) उनके अंकित मूल्य की [-] गुनी है और इक्विटी शेयरों की उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) उनके अंकित मूल्य का [-] गुनी है।

वित्तीय वर्ष [-] हेतु घटाकर निकाले गए आमदनी प्रति शेयर (ई.पी.एस.) के आधार पर कीमत का आमदनी से अनुपात निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) के अनुसार [-] गुना है और उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) के अनुसार [-] गुना है।

[उपरोक्त को मूल्य दायरा माना जाए। यथास्थिति, नियत कीमत (फिक्स्ड प्राइस) या निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निकालने के लिए उपरोक्त में अपेक्षानुसार बदलाव किया जा सकेगा]

कम से कम [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद उसी हिसाब से उतने-उतने और [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है।

एंकर निवेशकों द्वारा बोली लगाने की तारीख: [-] (यदि लागू हो)

बोली आज से खुल रही है / इश्यू के खुलने की तारीख [-]

बोली / इश्यू के बंद होने की तारीख: [-]

इश्यूअर कंपनी के कारोबार का संक्षिप्त ब्यौरा

यह इश्यू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) [विनियम 6(1) या विनियम 6(2) या अध्याय-IX (लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) या कोई अन्य विनियम (यदि लागू हो)] के अनुसार लाया जा रहा है।

कंपनी के इक्विटी शेयर [स्टॉक एक्सचेंजों का नाम] के [बोर्ड का नाम] पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कराए जाएँगे। [स्टॉक एक्सचेंज का नाम] नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज होगा।

[बुक-बिलिंग (बही-निर्माण) वाले इश्यू के मामले में, आबंटन के व्यौरों की जानकारी प्रस्ताव के आकार (इश्यू साइज) / वास्तव में किए गए प्रस्ताव (नेट ऑफर) के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार दी जाएगी:

क्यू.आई.बी. (अर्हित संस्थागत क्रेता) की श्रेणी हेतु: ____%

छोटे निवेशकों की श्रेणी हेतु: ____%

गैर-संस्थागत निवेशक की श्रेणी हेतु: ____%

आरक्षित श्रेणी हेतु: ____% इक्विटी शेयर या ____%]

भावी निवेशक अपने निवेश संबंधी निर्णय केवल प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस में दी हुई जानकारी और प्रस्ताव (ऑफर) की शर्तों आदि के आधार पर ही लें, और साथ ही निवेश से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखें तथा प्रस्ताव के बारे में कहीं और से मिली किसी भी प्रकार की जानकारी पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) सही-सही तय किए जाने के संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की सिफारिश निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निवेशकों को जिन-जिन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है उनमें से जो-जो जोखिम अहम हैं, उनके आधार पर मुख्य-मुख्य जोखिमों का संक्षिप्त व्यौरा।
2. पिछले पूरे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी और उसके जैसी ही कंपनियों (पीयर ग्रुप) से संबंधित उचित अनुपातों के व्यौरे, जैसे - कीमत / आय (रिवेन्यू), कीमत/ आमदनी, इंटरप्राइज़ (उद्यम) का मूल्य / ई.बी.आई.टी.डी.ए., प्रति शेयर आमदनी, प्रति शेयर शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.), इक्विटी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), लगाई गई पूँजी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), आदि।
3. इश्युअर कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर भारित औसत मुनाफा (रिटर्न), और किसी अंतरिम अवधि के लिए शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर हुआ मुनाफा।
4. अनुसूची-VI के भाग-क के खंड (9)(ट)(4) के अनुसार जानकारी (जो भी लागू हो)।

निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी: जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. इश्यू लाए जाने से पहले जो प्लेसमेंट डी.आर.एच.पी. दाखिल करने की तारीख के बाद करने का प्रस्ताव हो / किया जाना हो, उनके व्यौरे। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल है - आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, आबंटितियों (अलॉटी) के नाम, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाने से पहले कंपनी की शेयर पूँजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यदि कंपनी ने डी.आर.एच.पी. में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाए जाने से पहले प्लेसमेंट के संबंध में प्रावधान कर दिया हो, किंतु वह प्लेसमेंट पूरा न किया गया हो, तो इस संबंध में एक कथन शामिल किया जाना चाहिए।
2. यदि संप्रवर्तक (प्रोमोटर) (संप्रवर्तकों) तथा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) समूह (समूहों) द्वारा डी.आर.एच.पी. दाखिल किए जाने की तारीख से कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) के 1% या उससे ज्यादा शेयरों का लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किया गया हो, तो उसकी जानकारी। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल हैं - अंतरण (ट्रांसफर) / आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, अंतरण (ट्रांसफर) करने वाले का नाम, जिसके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन हुआ हो उसका नाम, किस प्रकार का लेनदेन किया गया, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने से पहले कंपनी की शेयर पूँजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यह भी उल्लेख किया जाए कि जिनके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन किया गया है, क्या वे इश्युअर कंपनी या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या उसकी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सब्सिडियरी), समूह कंपनियों और उनके निदेशकों या फिर प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा न हो, तो यह उल्लेख करें कि वे उनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं।

प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) का आधार

{इस संबंध में भी जानकारी दी जाए कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के पृष्ठ सं. [-] पर “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित खंड में दी गई जानकारी को उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट कर दिया गया है।

“इश्यू प्राइस के आधार” [उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए] के लिए कृपया बी.आर.एल.एम. की वेबसाइट देखें:

[-], [-] और [-] }

[एक क्यू.आर.कोड. भी दें - उस क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने ‘लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.’ का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज {जिसमें मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित अध्याय भी शामिल है}, दिए हुए हों।]

इश्यू से संबंधित अनुमानित समय-सीमाएँ

[इन समय-सीमाओं का उल्लेख भी किया जाए: (i) बोलियाँ जिस दौरान लगाई जा सकती हैं / इश्यू जिस दौरान खुला रहेगा (बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन को छोड़कर) उस दौरान और बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन कितने बजे से कितने बजे तक बोलियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं और उनमें बदलाव किया जा सकता है (ii) बोली अपलोड करने की समय-सीमा (iii) स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग किस तारीख से शुरू हो सकती है]

मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन में बताए गए उद्देश्यों की जानकारी: कंपनी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यह जानने के लिए कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “हिस्ट्री एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स” वाला हिस्सा देखें। इश्यू के सिलसिले में किए जाने वाले निरीक्षण हेतु कंपनी का मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन एक अहम दस्तावेज होता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रस्ताव दस्तावेज की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “मैटिरियल कॉण्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के सदस्यों की शेयरों में जितनी हिस्सेदारी, उतनी ही उनकी जवाबदारी।

कंपनी की शेयर पूँजी (शेयर कैपिटल) और कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना): प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी [-] की प्राधिकृत शेयर पूँजी (अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल) को [-] इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) [-] है। कंपनी के जितने शेयर जारी किए गए, जितने शेयरों में पैसा लगाया गया और जितने शेयर समादत्त (पेड-अप) शेयरों की श्रेणी में आते हैं उन्हें [-] इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य [-] है। अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के शुरूआती पृष्ठ सं. [-] पर दिया हुआ “कैपिटल स्ट्रक्चर” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के संज्ञम ज्ञापन (मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन) पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और उनके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयरों (जिन शेयरों में पैसा लगाया गया उन शेयरों) की संख्या: [-]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) का डिस्क्लेमर क्लॉज: “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के संबंध में केवल अपने टिप्पणियाँ आदि (अभिमत) देता है, और उसके संबंध में यह न समझा जाए कि इश्यू के संबंध में या फिर प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में जिन-जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का जिक्र किया गया है उनके संबंध में कोई मंजूरी प्रदान की गई है।”

स्टॉक एक्सचेंजों का दावात्याग से संबंधित खंड: [-]

क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

आई.पी.ओ. की ग्रेडिंग के ब्यौरे (यदि लागू हो)

बुक रनिंग लीड मैनेजर के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट
 प्रस्ताव के रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) के ब्यौरे
 नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट

कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, वेबसाइट

यदि निवेशकों की इश्यू लाए जाने से पहले की तथा इश्यू लाए जाने के बाद की कोई शिकायतें हों [यानि कि उन्हें आबंटन-पत्र (लेटर ऑफ अलॉटमेंट) प्राप्त न हुए हों, आबंटित किए गए इक्विटी शेयर संबंधित बेनिफिशियरी के खाते में जमा न कराए गए हों, पैसे लौटाए जाने संबंधी आदेश न मिले हों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे न मिले हों, आदि], तो उनके लिए वे कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) से संपर्क कर सकते हैं। इश्यू से जुड़े समस्त प्रश्नों के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए, निवेशक बी.आर.एल.एम. से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रस्ताव दस्तावेज की उपलब्धता: [-]

संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की उपलब्धता: [-]

आवेदन फॉर्म की उपलब्धता: [-]

सिंडिकेट सदस्य: [-]

सब-सिंडिकेट सदस्य: [-]

प्रस्ताव (ऑफर) के बैंकरों / एस्क्रो कलेक्शन बैंक तथा रिफंड (पैसा लौटाने वाले) बैंक / पब्लिक ऑफर अकाउंट बैंक: [-]

प्रायोजक (स्पॉन्सर) बैंक: [-]

यू.पी.आई.: यू.पी.आई. के जरिए बोली लगाने वाले यू.पी.आई. व्यवस्था के जरिए भी बोली लगा सकते हैं।

[इश्युअर कंपनी का नाम] की ओर से

इश्युअर के प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: [-]

तारीख: [-]

टिप्पणियाँ:

- विज्ञापन में यह साफ-साफ जिक्र कर दिया जाए कि निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, ताकि वे निवेशकों की नज़र में आसानी से आ जाएँ।
- विज्ञापनों के कम से कम 33% हिस्से में जोखिमों से जुड़ी जानकारी दी जाए और बी.आर.एल.एम. की जानकारी 10% से अधिक हिस्से में न दी जाए।
- मूल्य दायरे / निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) और जोखिम से जुड़ी जो जानकारी दी जाए उसके फॉण्ट का आकार वही रखा जाए, जो बोली लगाने/ इश्यू से संबंधित जानकारी का हो। इसके अलावा, शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) से संबंधित जानकारी सारणी में ही दी जाए।

भाग-ग - पब्लिक इश्यू के लिए इश्यू के बंद होने के संबंध में जारी किए जाने वाले विज्ञापन का फॉर्मेट

[विनियम 43(3), 200(1) और 264(3) देखें]

यह सार्वजनिक घोषणा जानकारी देने मात्र के उद्देश्य से जारी की जा रही है। इसे प्रॉस्पेक्टस के संबंध में की जाने वाली घोषणा न माना जाए और इसका यह अर्थ भी न निकाला जाए कि इसके जरिए प्रतिभूतियाँ

(सिक्यूरिटीज़) अर्जित (एक्वायर) करने, खरीदने या उनमें पैसा लगाने (उन्हें सब्सक्राइब करने) के लिए आमंत्रित किया गया है या उसका प्रस्ताव दिया गया है।

ए.बी.सी. लिमिटेड [इश्युअर का नाम]

कंपनी के नाम में हुए बदलावों तथा उसके रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय से संबंधित व्यौरों के लिए, कृपया प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस [-] ("आर.एच.पी." या "रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस") के पृष्ठ सं. [-] पर दिए हुए "हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स - ब्रीफ हिस्टरी ऑफ आवर कंपनी" और "हिस्टरी एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स - चेंजेस इन द रजिस्टर्ड ऑफिस" शीर्षकों के तहत दी हुई सामग्री देखें।

रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय: [-];

कारपोरेट कार्यालय: [-];

संपर्क व्यक्ति: [-]; दूरभाष सं. : [-]; ई-मेल: [-]; वेबसाइट: [-];

कारपोरेट पहचान संख्या (कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर) : [-];

क्यू.आर.कोड. [क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने 'लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.' का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज, जैसे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट), मूल्य दायरे से संबंधित विज्ञापन, आदि दिए हुए हों]

संप्रवर्तक (प्रोमोटर)

[__ एक्स.वाई.जेड.__]

इश्यू की जानकारी

_____ की _____ [यह उल्लेख किया जाए कि किस तरह की निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) हैं] {प्रत्येक का भाव ₹ _____} का पब्लिक इश्यू

बिक्री करने वाले शेयरधारकों के व्यौरे, विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) और अर्जन की कीमत का भारित औसत (वेटेड एवरेज), जो भी लागू हो

[एक सारणी में यह उल्लेख किया जाए कि बिक्री करने वाले शेयरधारकों का नाम क्या है, वे किस तरह के शेयरधारक हैं [संप्रवर्तक (प्रोमोटर) हैं जो शेयर बेच रहे हैं, निवेशक हैं, आदि], कितने शेयरों का प्रस्ताव (ऑफर) किया गया है, जिन शेयरों का प्रस्ताव किया गया है उनकी एवज में कुल कितनी रकम ली जानी है, प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की कीमत का भारित औसत]

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई.पी.ओ.) लाए जाने से पहले प्लेसमेंट आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो रु. [-] से रु. [-] प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य दायरे के तहत पूरी की गई है। कंपनी द्वारा डी.आर.एच.पी. की तारीख से आई.पी.ओ. लाए जाने से पहले तक किए गए प्लेसमेंट के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया यहाँ नीचे दिए गए "निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी" नामक खंड देखें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड): रु. _____ के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) वाले एक इक्विटी शेयर हेतु रु. _____ से रु. _____

इक्विटी शेयरों की निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) उनके अंकित मूल्य की [-] गुनी है और इक्विटी शेयरों की उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) उनके अंकित मूल्य का [-] गुनी है।

वित्तीय वर्ष [-] हेतु घटाकर निकाले गए आमदनी प्रति शेयर (ई.पी.एस.) के आधार पर कीमत का आमदनी से अनुपात निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) के अनुसार [-] गुना है और उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) के अनुसार [-] गुना है।

[उपरोक्त को मूल्य दायरा माना जाए। यथास्थिति, नियत कीमत (फिक्स्ड प्राइस) या निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) निकालने के लिए उपरोक्त में अपेक्षानुसार बदलाव किया जा सकेगा]

कम से कम [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद उसी हिसाब से उतने-उतने और [-] इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है।

बोली लगाने की अवधि आज समाप्त होगी / इश्यू आज बंद होगा**इश्युअर कंपनी के कारोबार का संक्षिप्त ब्यौरा**

यह इश्यू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) [विनियम 6(1) या विनियम 6(2) या अध्याय-IX (लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) या कोई अन्य विनियम (यदि लागू हो)] के अनुसार लाया जा रहा है।

कंपनी के इक्विटी शेयर [स्टॉक एक्सचेंजों का नाम] के [बोर्ड का नाम] पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) कराए जाएँगे। [स्टॉक एक्सचेंज का नाम] नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज होगा।

[बुक-बिल्डिंग (बही-निर्माण) वाले इश्यू के मामले में, आबंटन के ब्यौरों की जानकारी प्रस्ताव के आकार (इश्यू साइज) / वास्तव में किए गए प्रस्ताव (नेट ऑफर) के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार दी जाएगी:

क्यू.आई.बी. (अर्हित संस्थागत क्रेता) की श्रेणी हेतु: ____%

छोटे निवेशकों की श्रेणी हेतु: ____%

गैर-संस्थागत निवेशक की श्रेणी हेतु: ____%

आरक्षित श्रेणी हेतु: ____% इक्विटी शेयर या ____%]

भावी निवेशक अपने निवेश संबंधी निर्णय केवल प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस में दी हुई जानकारी और प्रस्ताव (ऑफर) की शर्तों आदि के आधार पर ही लें, और साथ ही निवेश से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखें तथा प्रस्ताव के बारे में कहीं और से मिली किसी भी प्रकार की जानकारी पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।

मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) सही-सही तय किए जाने के संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की सिफारिश

निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निवेशकों को जिन-जिन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है उनमें से जो-जो जोखिम अहम हैं, उनके आधार पर मुख्य-मुख्य जोखिमों का संक्षिप्त ब्यौरा।
2. पिछले पूरे वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी और उसके जैसी ही कंपनियों (पीयर ग्रुप) से संबंधित उचित अनुपातों के ब्यौरे, जैसे - कीमत / आय (रिवेन्यू), कीमत/ आमदनी, इंटरप्राइज़ (उद्यम) का मूल्य / ई.बी.आई.टी.डी.ए., प्रति शेयर आमदनी, प्रति शेयर शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.), इक्विटी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), लगाई गई पूँजी पर हुआ मुनाफा (रिटर्न), आदि।
3. इश्युअर कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों हेतु शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर भारित औसत मुनाफा (रिटर्न), और किसी अंतरिम अवधि के लिए शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर हुआ मुनाफा।
4. अनुसूची-VI के भाग-क के खंड (9)(ट)(4) के अनुसार जानकारी (जो भी लागू हो)।

निवेशकों के लिए अतिरिक्त जानकारी: जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. इश्यू लाए जाने से पहले जो प्लेसमेंट डी.आर.एच.पी. दाखिल करने की तारीख के बाद करने का प्रस्ताव हो / किया जाना हो, उनके ब्यौरे। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल है - आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, आबंटितियों (अलॉटी) के नाम, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाने से पहले कंपनी की शेयर पूँजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यदि कंपनी ने डी.आर.एच.पी. में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाए जाने से पहले प्लेसमेंट के संबंध में प्रावधान कर दिया हो, किंतु वह प्लेसमेंट पूरा न किया गया हो, तो इस संबंध में एक कथन शामिल किया जाना चाहिए।

2. यदि संप्रवर्तक (प्रोमोटर) (संप्रवर्तकों) तथा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) समूह (समूहों) द्वारा डी.आर.एच.पी. दाखिल किए जाने की तारीख से कंपनी की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) के 1% या उससे ज्यादा शेयरों का लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किया गया हो, तो उसकी जानकारी। सारणी में उपयुक्त जानकारी दें, जिसमें शामिल हैं - अंतरण (ट्रांसफर) / आबंटन (अलॉटमेंट) की तारीख, अंतरण (ट्रांसफर) करने वाले का नाम, जिसके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन हुआ हो उसका नाम, किस प्रकार का लेनदेन किया गया, इक्विटी शेयरों की संख्या, प्रस्ताव (ऑफर) लाए जाने से पहले कंपनी की शेयर पूंजी का प्रतिशत, प्रति शेयर कीमत, कुल कितनी रकम मिली। यह भी उल्लेख किया जाए कि जिनके नाम पर ट्रांसफर / आबंटन किया गया है, क्या वे इश्युअर कंपनी या उसके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या उसकी सहायक कंपनियों (समनुषंगी / सब्सिडियरी), समूह कंपनियों और उनके निदेशकों या फिर प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा न हो, तो यह उल्लेख करें कि वे उनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं।

प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) का आधार

{इस संबंध में भी जानकारी दी जाए कि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के पृष्ठ सं. [-] पर “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित खंड में दी गई जानकारी को उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट कर दिया गया है।

“इश्यू प्राइस के आधार” [उपरोक्त मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए] के लिए कृपया बी.आर.एल.एम. की वेबसाइटें देखें:

[-], [-] और [-] }

[एक क्यू.आर.कोड. भी दें - उस क्यू.आर.कोड. को स्कैन करने पर पाठक के सामने ‘लेफ्ट लीड बी.आर.एल.एम.’ का वह वेबपेज खुल जाएगा, जहाँ इश्यू से संबंधित दस्तावेज {जिसमें मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के अनुसार अपडेट किए गए “इश्यू प्राइस के आधार” से संबंधित अध्याय भी शामिल है}, दिए हुए हों।]

इश्यू से संबंधित अनुमानित समय-सीमाएँ

[इन समय-सीमाओं का उल्लेख भी किया जाए: (i) बोलियाँ जिस दौरान लगाई जा सकती हैं / इश्यू जिस दौरान खुला रहेगा (बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन को छोड़कर) उस दौरान और बोली लगाने के अंतिम दिन / इश्यू के खुले रहने के अंतिम दिन कितने बजे से कितने बजे तक बोलियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं और उनमें बदलाव किया जा सकता है (ii) बोली अपलोड करने की समय-सीमा (iii) स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग किस तारीख से शुरू हो सकती है]

मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन में बताए गए उद्देश्यों की जानकारी: कंपनी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यह जानने के लिए कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “हिस्ट्री एंड सर्टेन कारपोरेट मैटर्स” वाला हिस्सा देखें। इश्यू के सिलसिले में किए जाने वाले निरीक्षण हेतु कंपनी का मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन एक अहम दस्तावेज होता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रस्ताव दस्तावेज की पृष्ठ सं [-] पर दिया हुआ “मैटिरियल कॉण्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के सदस्यों की शेयरों में जितनी हिस्सेदारी, उतनी ही उनकी जवाबदारी।

कंपनी की शेयर पूंजी (शेयर कैपिटल) और कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना): प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी [-] की प्राधिकृत शेयर पूंजी (अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल) को [-] इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) [-] है। कंपनी के जितने शेयर जारी किए गए, जितने शेयरों में पैसा लगाया गया और जितने शेयर समादत्त (पेड-अप) शेयरों की श्रेणी में आते हैं उन्हें [-] इक्विटी शेयरों में बांट दिया गया। ऐसे प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य [-] है। अधिक जानकारी के लिए, आप कृपया प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के शुरूआती पृष्ठ सं. [-] पर दिया हुआ “कैपिटल स्ट्रक्चर” से संबंधित खंड देखें।

कंपनी के संज्ञम ज्ञापन (मैमोरंडम ऑफ असोसिएशन) पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और उनके द्वारा सस्क्राइब किए गए शेयरों (जिन शेयरों में पैसा लगाया गया उन शेयरों) की संख्या: [-]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) का डिस्कलेमर क्लॉज: “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के संबंध में केवल अपने टिप्पणियाँ आदि (अभिमत) देता है, और उसके संबंध में यह न समझा जाए कि इश्यू के संबंध में या फिर प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में जिन-जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का जिक्र किया गया है उनके संबंध में कोई मंजूरी प्रदान की गई है।”

स्टॉक एक्सचेंजों का दावात्याग से संबंधित खंड: [-]

क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के ब्यौरे [यदि लागू हो]

आई.पी.ओ. की ग्रेडिंग के ब्यौरे (यदि लागू हो)

बुक रनिंग लीड मैनेजर के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट

प्रस्ताव के रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, संपर्क व्यक्ति, वेबसाइट

कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) के ब्यौरे

नाम, दूरभाष सं., ई-मेल, वेबसाइट

यदि निवेशकों की इश्यू लाए जाने से पहले की तथा इश्यू लाए जाने के बाद की कोई शिकायतें हों [यानि कि उन्हें आबंटन-पत्र (लेटर ऑफ अलॉटमेंट) प्राप्त न हुए हों, आबंटित किए गए इक्विटी शेयर संबंधित बेनिफिशियरी के खाते में जमा न कराए गए हों, पैसे लौटाए जाने संबंधी आदेश न मिले हों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे न मिले हों, आदि], तो उनके लिए वे कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू द ऑफर) से संपर्क कर सकते हैं। इश्यू से जुड़े समस्त प्रश्नों के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए, निवेशक बी.आर.एल.एम. से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रस्ताव दस्तावेज की उपलब्धता: [-]

संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस की उपलब्धता: [-]

आवेदन फॉर्म की उपलब्धता: [-]

सिंडिकेट सदस्य: [-]

सब-सिंडिकेट सदस्य: [-]

प्रस्ताव (ऑफर) के बैंकरों / एस्क्रो कलेक्शन बैंक तथा रिफंड (पैसा लौटाने वाले) बैंक / पब्लिक ऑफर अकाउंट बैंक: [-]

प्रायोजक (स्पॉन्सर) बैंक: [-]

यू.पी.आई.: यू.पी.आई. के जरिए बोली लगाने वाले यू.पी.आई. व्यवस्था के जरिए भी बोली लगा सकते हैं।

[इश्युअर कंपनी का नाम] की ओर से

इश्युअर के प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: [-]

तारीख: [-]

टिप्पणियाँ:

- विज्ञापन में यह साफ-साफ जिक्र कर दिया जाए कि निवेशकों को किन-किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, ताकि वे निवेशकों की नज़र में आसानी से आ जाएँ।
- विज्ञापनों के कम से कम 33% हिस्से में जोखिमों से जुड़ी जानकारी दी जाए और बी.आर.एल.एम. की जानकारी 10% से अधिक हिस्से में न दी जाए।
- मूल्य दायरे / निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) और जोखिम से जुड़ी जो जानकारी दी जाए उसके फॉण्ट का आकार वही रखा जाए, जो बोली लगाने/ इश्यू से संबंधित जानकारी का हो। इसके अलावा, शेयरों के अर्जन (एक्विज़िशन) से संबंधित जानकारी सारणी में ही दी जाए।”

XCIV. अनुसूची-XIII में, शीर्षक में “भाग-क - बही-निर्माण प्रक्रिया” से पहले निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) होने वाले / पहले से सूचीबद्ध (लिस्टिड) इश्युअर द्वारा इन विनियमों के अध्याय-IX के अनुसार लाए जाने वाले पब्लिक इश्यू के प्रयोजनार्थ, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों” को शब्दों तथा चिह्नों “न्यूनतम रकम लगाने हेतु आवेदन करने वाले ‘एकल (इंडिविजुअल) निवेशक’ ” के रूप में पढ़ा जाएगा।”

XCV. अनुसूची-XIV में,

- भाग-क में, शीर्षक “भाग-क - छोटे व्यक्तिगत निवेशकों को आबंटन कैसे किया जाएगा उसका उदाहरण” के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) होने वाले / पहले से सूचीबद्ध (लिस्टिड) इश्युअर द्वारा इन विनियमों के अध्याय-IX के अनुसार लाए जाने वाले पब्लिक इश्यू के प्रयोजनार्थ, शब्दों “छोटे व्यक्तिगत निवेशकों” को शब्दों तथा चिह्नों “न्यूनतम रकम लगाने हेतु आवेदन करने वाले ‘एकल (इंडिविजुअल) निवेशक’ ” के रूप में पढ़ा जाएगा।”

- भाग-क-1 के बाद, निम्नलिखित नया भाग-क-2 जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“भाग-क-2 - एसएमई कंपनियों द्वारा लाए जाने वाले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर / आईपीओ) के मामले में संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) को आबंटन कैसे किया जाएगा उसका उदाहरण

उदाहरण-क.

- (1) जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव ₹20 प्रति शेयर की दर से लाया गया हो उनकी कुल संख्या: 7.2 करोड़ निर्धारित प्रतिभूतियाँ।
- (2) संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी के लिए जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाया गया हो उनकी संख्या: 108 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ (15% आबंटन)।
- (3) संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी के लिए निर्धारित कुल शेयरों में से,

क) एक-तिहाई हिस्सा ऐसे आवेदनों के लिए आरक्षित है जो दो लॉट से अधिक तथा आवेदन के आकार के बराबर तक के लॉट (अधिक से अधिक दस लाख रुपये) - यानि कि 36 लाख निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए किए जाएँ

ख) बचा हुआ दो-तिहाई हिस्सा दस लाख रुपये से अधिक (यानि कि 72 लाख निर्धारित प्रतिभूतियों) के लिए किए जाने वाले आवेदनों के लिए आरक्षित है।

- (4) इश्यू में कुल मिलाकर 2.5 गुना पैसा लगाया गया है, जबकि ऊपर 3(क) के अंतर्गत ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की जिस श्रेणी का जिक्र है उस श्रेणी के तहत 1.5 गुना पैसा लगाया गया है, और 3(ख) के अंतर्गत ‘संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों’ (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की जिस श्रेणी का उल्लेख है उस श्रेणी के तहत 3 गुना पैसा लगाया गया है।

- (5) इश्युअर ने लॉट का आकार 6000 निर्धारित प्रतिभूतियों का रखा है [सेबी के तारीख 21 फरवरी, 2012 के परिपत्र (जो एसएमई एक्सचेंज / प्लेटफॉर्म हेतु एक जैसा लॉट आकार तय किए जाने से संबंधित है) के अनुसार], और इस तरह से जैसे-जैसे और 6000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ जुड़ती जाएँगी उसी हिसाब से लॉट के आकार बनते जाएँगे।
- (6) इसीलिए, 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) के लिए आवेदन का न्यूनतम आकार 18,000 निर्धारित प्रतिभूतियों का है [यानि कि आवेदन दो लॉट से अधिक के लिए किया गया और एक-एक लॉट (यानि कि 6000 निर्धारित प्रतिभूतियों) के लिए आवेदन किया गया]।
- (7) 3 (क) के तहत आवेदन के अधिकतम दस लाख रुपये तक के आकार (8 लॉट के आवेदन का आकार = $8 \times 6000 \times 20 = 9,60,000/-$) के आधार पर, इश्यू में 3(क) में बताई गई श्रेणी के अंतर्गत कुल सौ निवेशकों ने आवेदन किया है, हालाँकि उनके आवेदन का आकार अलग-अलग रहा [यानि कि 3 से 8 लॉट के बीच (18,000 से 48,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए) आवेदन किया गया]।
- (8) सौ निवेशकों में से पाँच (क, ख, ग, घ और ङ) 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने इस प्रकार आवेदन किया है: "क" ने 18,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। "ख" ने 30,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। "ग" ने 36,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है। "घ" ने 42,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है और "ङ" ने 48,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है।
- (9) चूँकि 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी हेतु निर्धारित आवेदन के न्यूनतम आकार से कम का आबंटन किसी 'संस्थागत निवेश से भिन्न निवेशक' को नहीं किया जा सकता (बशर्ते कि शेयर उपलब्ध हों), इसलिए बाकी के उपलब्ध शेयरों (यदि कोई हों) का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

वास्तविक हकदारी निम्नानुसार होगी:

क्र. सं.	निवेशक का नाम	निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या - जिनके लिए आवेदन किया गया हो	निर्धारित प्रतिभूतियों की कुल संख्या - जिनका आबंटन किया जा सकता है
1.	क	18,000	18,000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (यानि कि आवेदन का न्यूनतम आकार)
2.	ख	24,000	18,000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (यानि कि आवेदन का न्यूनतम आकार) + 0 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $\{[36,00,000 - (100 * 18000)] / [54,00,000 - (100 * 18000)]\} * 6000$ (यानि कि $24,000 - 18,000 = 3000$ प्रतिभूतियाँ है; जो 1 लॉट से कम हैं, इसलिए कोई और लॉट आबंटित नहीं किया जाएगा)
3.	ग	30,000	18,000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (यानि कि आवेदन का न्यूनतम आकार) + 6000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ $\{[36,00,000 - (100 * 18000)] / [54,00,000 - (100 * 18000)]\} * 12000$ (अर्थात् $30,000 - 18,000 = 6000$ प्रतिभूतियाँ;
4.	घ	42,000	18,000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (यानि कि आवेदन का न्यूनतम आकार) + 12000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ {चूँकि, $[36,00,000 - (100 * 18000)] / [54,00,000 - (100$

			* 18000)]] * 24000 (यानि कि 42,000-18,000) = 12000 प्रतिभूतियाँ;
5.	ड	48,000	18,000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ (यानि कि आवेदन का न्यूनतम आकार) + 12000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ {चूँकि, [(36,00,000 - (100 * 18000)) / {54,00,000 - (100 * 18000)}] * 30000 (यानि कि 48,000-18,000) = 15000 प्रतिभूतियाँ हैं; जो 2 लॉट से ज्यादा लेकिन 3 लॉट से कम हैं, इसलिए केवल 2 लॉट ही आबंटित किए जाएँगे}

नोट: श्रेणी 3(ख) के लिए, उपरोक्तानुसार ही गणना की जाएगी।

उदाहरण-ख.

- (1) जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव ₹20 प्रति शेयर की दर से लाया गया हो उनकी कुल संख्या: 7.2 करोड़ निर्धारित प्रतिभूतियाँ।
- (2) संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी के लिए जिन निर्धारित प्रतिभूतियों का प्रस्ताव लाया गया हो उनकी संख्या: 108 लाख निर्धारित प्रतिभूतियाँ (15% आबंटन)।
- (3) संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी के लिए निर्धारित कुल शेयरों में से,
 - क) एक-तिहाई हिस्सा ऐसे आवेदनों के लिए आरक्षित है जो दो लॉट से अधिक तथा आवेदन के आकार के बराबर तक के लॉट (अधिक से अधिक दस लाख रुपये) - यानि कि 36 लाख निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए किए जाएँ
 - ख) बचा हुआ दो-तिहाई हिस्सा दस लाख रुपये से अधिक (यानि कि 72 लाख निर्धारित प्रतिभूतियों) के लिए किए जाने वाले आवेदनों के लिए आरक्षित है।
- (4) इश्यू में कुल मिलाकर 7.16 गुना पैसा लगाया गया है, जबकि ऊपर 3(क) के अंतर्गत 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की जिस श्रेणी का जिक्र है उस श्रेणी के तहत 15.5 गुना पैसा लगाया गया है, और 3(ख) के अंतर्गत 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की जिस श्रेणी का उल्लेख है उस श्रेणी के तहत 3 गुना पैसा लगाया गया है।
- (5) इश्युअर ने लॉट का आकार 6000 निर्धारित प्रतिभूतियों का रखा है [सेबी के तारीख 21 फरवरी, 2012 के परिपत्र (जो एसएमई एक्सचेंज / प्लेटफॉर्म हेतु एक जैसा लॉट आकार तय किए जाने से संबंधित है) के अनुसार], और इस तरह से जैसे-जैसे और 6000 निर्धारित प्रतिभूतियाँ जुड़ती जाएँगी उसी हिसाब से लॉट के आकार बनते जाएँगे।
- (6) इसीलिए, 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) के लिए आवेदन का न्यूनतम आकार 18,000 निर्धारित प्रतिभूतियों का है [यानि कि आवेदन दो लॉट से अधिक के लिए किया गया और एक-एक लॉट (यानि कि 6000 निर्धारित प्रतिभूतियों) के लिए आवेदन किया गया]।
- (7) 3 (क) के तहत आवेदन के अधिकतम दस लाख रुपये तक के आकार (8 लॉट के आवेदन का आकार = $8 \times 6000 \times 20 = 9,60,000/-$) के आधार पर, इश्यू में 3(क) में बताई गई श्रेणी के अंतर्गत कुल दो हजार निवेशकों ने आवेदन किया है, हालाँकि उनके आवेदन का आकार अलग-अलग रहा [यानि कि 3 से 8 लॉट के बीच (18,000 से 48,000 निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए) आवेदन किया गया]।

- (8) आबंटन की प्रक्रिया के अनुसार, 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) की श्रेणी में ऐसे निवेशकों को आवेदन के न्यूनतम आकार से कम का आबंटन नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि शेयर उपलब्ध हों।
- (9) चूँकि 3 (क) के हिसाब से 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' (गैर-संस्थागत निवेशकों / नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टर) को 36,00,000 कुल निर्धारित प्रतिभूतियों की पेशकश की जा सकती है और आवेदन का न्यूनतम आकार 18,000 निर्धारित प्रतिभूतियों का है, इसलिए अगर इस निर्धारित आकार के हिसाब से ही चला जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 200 'संस्थागत निवेशकों से भिन्न निवेशकों' को आबंटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 200 आवेदकों को ही आवेदन के न्यूनतम आकार के बराबर की प्रतिभूतियाँ मिलेंगी (जो लॉटरी से तय होगा) और बाकी के 1800 आवेदकों को कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

आबंटन के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

लॉट संख्या	की	प्रत्येक लॉट में शेयरों की सं.	प्रत्येक लॉट में आवेदन करने वाले निवेशकों की सं.	शेयरों की कुल सं. - जिनके लिए प्रत्येक लॉट में आवेदन किया गया	उन निवेशकों की संख्या जिन्हें आवेदन के न्यूनतम आकार के अनुसार लॉट मिलेंगे (जो लॉटरी से तय होगा)
क	ख	ग	घ = (ख*ग)	ङ	
3	18,000	600	90,00,000	60 = (200/2000)*600	
4	24,000	400	96,00,000	40 = (200/2000)*400	
5	30,000	300	90,00,000	30	
6	36,000	300	1,08,00,000	30	
7	42,000	300	1,26,00,000	30	
8	48,000	100	48,00,000	10	
कुल		2000	5,58,00,000	200	

"

- XCVI. अनुसूची-XVI में, शीर्षक के बाद, कोष्ठकों में दिए हुए विनियमों के संदर्भ में अंक तथा चिह्न "71(6)," हट जाएँगे।
- XCVII. अनुसूची-XVIII में, खंड (1) में, शब्दों तथा चिह्न "प्रबंधक का (प्रबंधकों के) के बाद और शब्द "नाम" से पहले, चिह्न तथा शब्द "/" नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज का" जोड़े जाएँगे।
- XCVIII. अनुसूची XX में, शीर्षक में, शब्दों तथा अंकों "विनियम 59 और 157" के स्थान पर शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर "विनियम 59, 157 और 281क" आ जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1007/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यु) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -

- (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
- (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
- (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
- (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा
- (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
- (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
- (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा
- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/011, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
- (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- (ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/31, द्वारा

- (ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03, द्वारा
- (त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/18, द्वारा
- (थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/30, द्वारा
- (द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा
- (ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा
- (न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा
- (प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2022/82, द्वारा
- (फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2022/90, द्वारा
- (ब) 21 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/107, द्वारा
- (भ) 13 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/114, द्वारा
- (म) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (य) 23 मई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/130, द्वारा
- (कक) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2023/162, द्वारा
- (कख) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/178, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd March, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/233.— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the provisions of these regulations with respect to the Rights Issue by a listed issuer shall come into force on the 31st day from the date of their publication in the Official Gazette and shall be applicable to Rights Issues that are approved by the Board of Directors of the issuer after coming into force of these regulations:

Provided further that the Rights Issues that were approved by the Board of Directors of the issuer before coming into force of these regulations shall be continued to be governed by the pre-amended provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Provided further that the amendments in regulation 3 [LX, LXI, LXII, LXV, LXVIII, LXIX, LXX, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVI, LXXVII, XC(iii)(A), XCIV and XCV] shall be applicable to the draft offer documents filed after the date of coming into force of these regulations.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

- I. In regulation 2, in sub-regulation (1),

- i. clause (e) shall be substituted with the following clause, namely, -

“(e) “associate” shall mean a person or any entity which is an associate under sub-section (6) of section 2 of the Companies Act, 2013 or under the applicable accounting standards;”

- ii. in clause (m), the word “Board” shall be substituted with the words and symbols “stock exchange(s)”.

- iii. after clause (o), the following clause shall be inserted, namely, -

“(oa) “financial year” shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (41) of section 2 of the Companies Act, 2013;”

- II. In regulation 3,

- i. in clause (b), after the words and symbol “by a listed issuer;” the words and symbol “where the aggregate value of the issue is fifty crore rupees or more;” shall be omitted;
 - ii. the first proviso shall be omitted.

- III. In regulation 5, in proviso to sub-regulation (2),

- i. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely, -

“(b) outstanding stock appreciation rights granted to employees pursuant to a stock appreciation right scheme, which are fully exercised for equity shares prior to the filing of the red herring prospectus (in case of book-built issues) or the prospectus (in case of fixed price issues), as the case may be, disclosures regarding such stock appreciation rights and the scheme and the total number of equity shares resulting from the exercise of such rights are made in the draft offer document and offer document.”

- ii. the existing clause (b) shall be re-numbered as clause (c).
- IV. In regulation 8A, after clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation.- The limits set out in (a) and (b) above shall be calculated with reference to the shareholding as on the date of filing of the draft offer document and shall apply cumulatively to the total number of shares offered for sale to the public and any secondary sale transactions prior to the issue.”
- V. In regulation 14, in clause (I) to Explanation, in sub-clause (b), after the words “employee stock options” and before the words “are outstanding”, the words “or stock appreciation rights” shall be inserted.
- VI. In regulation 15, in sub-regulation (1), in clause (b), after the existing proviso, the following new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, it is clarified that the price per share for determining securities ineligible for minimum promoters’ contribution, shall be determined, after adjusting the same for corporate actions such as share split, bonus issue, etc. undertaken by the issuer;”
- VII. In regulation 16, in the Explanation to sub-regulation (1), after the words “building and plant and machinery, etc.”, the words and symbol “and repayment of existing loan(s) that may have been taken for the purpose of such capital expenditure.” shall be inserted.
- VIII. In regulation 17,
 - i. in proviso,
 - A. in clause (a), after the words “employee stock purchase scheme” and before the words “of the issuer”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 - B. in clause (b), after the words “employee stock purchase scheme”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 - ii. in Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely,-

“(iii) For the purpose of clauses (a) and (b), equity shares shall include any equity shares allotted pursuant to a bonus issue against equity shares allotted pursuant to an employee stock option or employee stock purchase scheme or a stock appreciation right scheme.”
- IX. In regulation 23, in sub-regulation (8), after the words “shall appoint a” and before the words “compliance officer who”, the words “person qualified to be a company secretary as the” shall be inserted;
- X. In regulation 26,
 - i. in sub-regulation (1), the word “filing” shall be substituted with the words, symbols and figures “publication of the public announcement under sub-regulation (2)”;
 - ii. in sub-regulation (2), after the words “within two” and before the words “days of filing”, the word “working” shall be inserted.
- XI. In regulation 29, sub-regulation (4) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(4) The issuer shall announce the floor price or the price band at least two working days before the opening of the issue in the pre-issue and price band advertisement in the format specified under Part A of Schedule X in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 26 was published.”
- XII. In regulation 43,
 - i. sub-regulation (1) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(1) Subject to the provisions of the Companies Act, 2013, the issuer shall, after filing the red herring prospectus (in case of a book built issue) or prospectus (in case of fixed price issue) with the Registrar of Companies, make a pre-issue and price band advertisement in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 26 was published.”

- ii. in sub-regulation (2),
 - A. after the words “The pre-issue” and before the word “advertisement”, the words “and price band” shall be inserted;
 - B. the proviso shall be omitted.
- XIII. Regulation 54 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Reporting of transactions of the promoters and promoter group and other pre-IPO transactions

54. (1) The issuer shall ensure that all transactions in securities by the promoters and promoter group between the date of filing of the draft offer document or offer document, as the case may be, and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such transactions.

(2) The issuer shall also ensure that any proposed pre-IPO placement disclosed in the draft offer document shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such pre-IPO transactions (in part or in entirety).”
- XIV. In regulation 56, after the words “employee stock option scheme” and before the symbol and words “, during the period”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted.
- XV. In regulation 59C,
 - i. in sub-regulation (5), after the words “within two” and before the words “days of pre-filing”, the word “working” shall be inserted;
 - ii. in sub-regulation (9), the word “filing” shall be substituted with the words, symbols and figures “publication of the public announcement under sub-regulation (10)”;
 - iii. in sub-regulation (10), after the words “within two” and before the words “days of filing”, the word “working” shall be inserted.
- XVI. In regulation 59E, in sub-regulation (1), in second proviso to clause (a),
 - i. sub-clause (ii) shall be re-numbered as sub-clause (iii).
 - ii. after existing sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

“(ii) outstanding stock appreciation rights granted to employees pursuant to a stock appreciation right scheme, which are fully exercised for equity shares prior to the filing of the red herring prospectus (in case of book-built issues) or the prospectus (in case of fixed price issues), as the case may be, disclosures regarding such stock appreciation rights and the scheme and the total number of equity shares resulting from the exercise of such rights are made in the draft offer document and offer document;”
- XVII. Regulation 60 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Reference date

60. Unless otherwise provided in this Chapter, an issuer offering specified securities through a rights issue shall satisfy the conditions of this Chapter at the time of filing the draft letter of offer with the stock exchange(s), and at the time of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s).”
- XVIII. In regulation 61,
 - i. In clauses (b) and (c), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”
 - ii. after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,-

“d) if the equity shares of the issuer are suspended from trading as a disciplinary measure as on the reference date.”
 - iii. in Explanation, after the words “draft letter of offer with the”, the word “Board” shall be substituted with the words and symbol “stock exchange(s)”.
- XIX. In regulation 62,

- i. in sub-regulation 2A, the words “draft offer document and the offer document”, wherever they appear, shall be substituted with the words “draft letter of offer and the letter of offer” respectively;
 - ii. in sub-regulation 3, after the words “renunciation within the promoter group”, the words and symbol “or to the specific investor(s) as disclosed by the issuer in terms of these regulations” shall be inserted.
- XX. In title to Part IV, the words “LEAD MANAGERS AND OTHER” shall be omitted.
- XXI. In regulation 69,
 - i. sub-regulations (1), (2) and (3) shall be omitted;
 - ii. sub-regulation (4) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
 - “(4) The issuer shall appoint intermediaries which are registered with the Board after assessing the capability of intermediaries to carry out their obligations.”
 - iii. in sub-regulation (5),
 - A. the words, symbols and figures “lead manager(s) in the format specified in Schedule II and also enter into agreements with other” shall be omitted;
 - B. in the first proviso, the words and symbols “lead manager(s), other” shall be omitted.
 - iv. in sub-regulation (7), -
 - 1. in the first proviso, the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”
 - 2. the second proviso shall be omitted.
- XXII. In regulation 70,
 - i. in sub-regulation (2), the words, symbols and figures “Part B or Part B-1 of Schedule VI, as applicable” shall be substituted with the words and figure “Part B of Schedule VI”;
 - ii. sub-regulations (3) and (4) shall be omitted;
 - iii. in sub-regulation (5), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”;
 - iv. in sub-regulation (6), the words and symbols “, letter of offer and abridged letter of offer” shall be substituted with the words “and letter of offer”;
 - v. in sub-regulation (7), the words “and the abridged letter of offer” shall be omitted.
- XXIII. Regulation 71 shall be substituted with the following regulation, namely,-
 - “Filing of the draft letter of offer and letter of offer**
 - 71. (1)** The issuer shall file the draft letter of offer with the stock exchange(s) and shall submit to such stock exchange(s) the following:
 - a. the Permanent Account Number, bank account number and passport number of its promoters where they are individuals, and Permanent Account Number, bank account number, company registration number or equivalent, and the address of the Registrar of Companies with which the promoter is registered, where the promoter is a body corporate,
 - b. in case of an issue of convertible debt instruments, a due diligence certificate from the debenture trustee as per Form B of Schedule V.
 - (2)** The issuer shall file letter of offer with the stock exchanges/ the designated stock exchange.
 - (3)** The issuer shall file a letter of offer with the Board for information and dissemination on Board’s website along with fees specified in **Schedule III.**”
- XXIV. In regulation 72,
 - i. sub-regulations (1), (2) and (3) shall be omitted;

- ii. in sub-regulation (4), the words and symbol “issuer and the lead manager(s) shall ensure that the letters of offer” shall be substituted with the words “issuer shall ensure that the draft letter of offer and letter of offer”;
 - iii. in sub-regulation (5), the words and symbol “lead manager(s) and the” shall be omitted.
- XXV. In regulation 73, in sub-regulation (1), the words and symbols “,in consultation with the lead manager(s),” shall be omitted.
- XXVI. In regulation 74, sub-regulation (3) and the proviso to it shall be omitted.
- XXVII. In regulation 75,
 - i. in the marginal note, the words “Abridged letter” shall be substituted with the word “Letter”;
 - ii. sub-regulation (1) shall be omitted;
 - iii. in sub-regulation (2), the word “abridged” shall be omitted.
- XXVIII. In regulation 77,
 - i. in sub-regulation (1), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”;
 - ii. in sub-regulation (2), the word “abridged” shall be omitted;
 - iii. in sub-regulation (3), the words and symbol “or lead manager(s)” shall be omitted.
- XXIX. After regulation 77A and before regulation 78, the following regulation shall be inserted, namely, -

“Allotment to Specific Investors

77B. (1) For the purpose of this chapter, specific investor would mean any investor who is eligible to participate in rights issue of the issuer and -

 - (a) whose name has been disclosed by the issuer in terms of sub-clause (i) of clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 84 of these regulations;
 - (b) whose name has been disclosed by the issuer in terms of sub-clause (ii) of clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 84 of these regulations.

(2) The application by the specific investor(s) in terms of clause (a) shall be made on the first day of issue opening before 11 A.M. and the issuer shall disclose to the stock exchange(s) whether such specific investor(s) have made the application or not, for dissemination on the first day of issue opening by 11:30 A.M.

(3) No withdrawal of the application(s) shall be permitted when the application by the specific investor(s) is received in terms of clause (a).

(4) The application in terms of clause (b) shall be made by the specific investor(s) along with the application money before the finalisation of basis of allotment.”
- XXX. In regulation 81, sub-regulation (2) shall be omitted.
- XXXI. In regulation 82, in sub-regulation (1), the words and symbol “If the issue size exceeds one hundred crore rupees, the” shall be substituted with the word “The”.
- XXXII. In regulation 84,
 - i. in sub-regulation (1),
 - A. in clause (a), the word “abridged” shall be omitted;
 - B. in clause (c), the words “or lead managers” shall be omitted;
 - C. after clause (e), the following clause shall be inserted, namely, -

“(f) details of the specific investor(s):

 - i. name of the specific investor(s) (i.e. renouncees), name of the promoter(s)/promoter group (i.e. renouncer) and number of rights entitlements renounced, where the promoter(s)/promoter group is renouncing their rights

entitlements in terms of sub-regulation (3) of regulation 62 and clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 86 of these Regulations;

- ii. name of the specific investor(s), where the issuer intends to allot any under-subscribed portion of rights issue in terms of clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 90 of these regulations.”

- ii. in sub-regulation (3), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”.

XXXIII. Regulation 85 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Opening of the issue

85. Subject to the compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, a rights issue may be opened within such period as may be specified by the Board from time to time.”

XXXIV. In regulation 86, in sub-regulation (1), in the proviso, in clause (b), after the words “within the promoter group”, the words and symbol “or to the specific investor(s) as disclosed by the issuer in terms of these regulations” shall be inserted.

XXXV. In regulation 87, for the words “a minimum period of seven days and for a maximum period of thirty days”, the words “such period as may be specified by the Board from time to time” shall be inserted.

XXXVI. In regulation 90,

- i. in sub-regulation (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely,-
“(d) Allotment to any specific investor(s) disclosed by the issuer in terms of these regulations before opening of the issue, provided that there is an under-subscribed portion after making full allotment as per clauses (a), (b) and (c).” ;
- ii. in sub-regulation (3), the words and symbol “lead manager(s) and” shall be omitted.

XXXVII. In regulation 91,

- i. in sub-regulation (1), the words and symbol “and lead manager(s)” shall be omitted;
- ii. in sub-regulation (2), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”;
- iii. in sub-regulation (3), the words and symbol “and the lead manager(s) shall ensure the same” shall be omitted.

XXXVIII. In regulation 92, in sub-regulation (1), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”.

XXXIX. In Regulation 93, -

- i. in the marginal heading, the words and symbol “of the lead manager(s)” shall be omitted;
- ii. sub-regulation (1) shall be omitted;
- iii. in sub-regulation (2), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the words “designated stock exchange”;
- iv. in sub-regulations (3) and (4), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”;
- v. in sub-regulations (5), (6) and (7), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the words “designated stock exchange”.

XL. In Regulation 94, -

- i. in sub-regulation (1), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”;
- ii. in sub-regulation (3), the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the words “designated stock exchange”.

- XLI. Regulation 95 shall be substituted with the following regulation, namely,-
“Reporting of transactions of the promoters and promoter group and other pre-issue transactions
95. (1) The issuer shall ensure that all transactions in securities by the promoters and promoter group between the date of filing of draft letter of offer or letter of offer, as the case may be, and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such transactions.
 (2) The issuer shall also ensure that any proposed pre-issue placement disclosed in the draft letter of offer shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such pre-issue transactions (in part or in entirety).”
- XLII. In Regulation 96, the words and symbol “lead manager(s)” shall be substituted with the word “issuer”.
- XLIII. In Regulation 97, -
 i. after the words “employee stock option scheme”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 ii. clause (a) shall be omitted;
 iii. in clause (b),
 A. the words and symbol “in case of other issues,” shall be omitted;
 B. the word “Board” shall be substituted with the words and symbol “stock exchange(s)”.
- XLIV. Regulation 99 shall be omitted.
- XLV. Regulation 100 shall be omitted.
- XLVI. In regulation 113, in Explanation, in clause (I), in sub-clause (b), after the words “employee stock options” and before the words “are outstanding”, the words “or stock appreciation rights” shall be inserted.
- XLVII. In regulation 115, in the Explanation, after the words “building and plant and machinery, etc.”, the words “and repayment of existing loan(s) that may have been taken for the purpose of such capital expenditure.” shall be inserted.
- XLVIII. In regulation 121, in sub-regulation (8), after the words “shall appoint a” and before the words “compliance officer who”, the words “person qualified to be a company secretary as the” shall be inserted.
- XLIX. In regulation 124,
 i. in sub-regulation (1), the word “filing” shall be substituted with the words, symbols and figures “publication of the public announcement under sub-regulation (2)”;
 ii. in sub-regulation (2), after the words “within two” and before the words “days of filing”, the word “working” shall be inserted.
- L. In regulation 127, sub-regulation (4) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
 “(4) The issuer shall announce the floor price or the price band at least two working days before the opening of the bid in the pre-issue and price band advertisement in the format specified under Part A of Schedule X in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 124 was published.”
- LI. In regulation 139,
 i. sub-regulation (1) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
 “(1) Subject to the provisions of the Companies Act, 2013, the issuer shall, after filing the red herring prospectus (in case of a book built issue) or prospectus (in case of fixed price issue) with the Registrar of Companies, make a pre-issue and price band advertisement in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 124 was published.”

- ii. in sub-regulation (2),
 - A. after the words “The pre-issue” and before the word “advertisement”, the words “and price band” shall be inserted;
 - B. the proviso shall stand omitted.
- LII. Regulation 150 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Reporting of transactions by the promoters and promoter group and other pre-offer transactions

150. (1) The issuer shall ensure that all transactions in securities by the promoters and promoter group between the date of filing of the draft offer document or offer document, as the case may be, and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such transactions.

(2) The issuer shall also ensure that any proposed pre-offer placement disclosed in the draft offer document shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such pre-offer transactions (in part or in entirety).”
- LIII. In regulation 152, after the words “employee stock option scheme”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted.
- LIV. In regulation 184, in sub-regulation (7), after the words “shall appoint a” and before the words “compliance officer who”, the words “person qualified to be a company secretary as the” shall be inserted.
- LV. In regulation 187,
 - i. in sub-regulation (1), the word “filing” shall be substituted with the words, symbols and figures “publication of the public announcement under sub-regulation (2)”;
 - ii. in sub-regulation (2), after the words “within two” and before the words “days of filing”, the word “working” shall be inserted.
- LVI. In regulation 189, sub-regulation (4) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-

“(4) The issuer shall announce the floor price or the price band at least two working days before the opening of the issue in the pre-issue and price band advertisement in the format specified under Part A of Schedule X in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 187 was published.”
- LVII. In regulation 200, in sub-regulation (1), after the words Schedule X and before the symbol “.”, the words, symbols and figures “in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (2) of Regulation 187 was published” shall be inserted.
- LVIII. Regulation 209 shall be substituted with the following regulation, namely,-

“Reporting of transactions by the promoters and promoter group and other pre-IPO transactions

209. (1) The issuer shall ensure that all transactions in securities by the promoters and promoter group during the period between the date of filing of the draft offer document or offer document, as the case may be, and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such transactions.

(2) The issuer shall also ensure that any proposed pre-IPO placement disclosed in the draft offer document shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such pre-IPO transactions (in part or in entirety).”
- LIX. In regulation 219, sub-regulation (2) shall be substituted with the following sub-regulation namely,-

“(2) The issuer shall also appoint a person qualified to be a company secretary as the compliance officer who shall ensure compliance with the obligations under this Chapter, and shall function from within the territorial limits of India.”

LX. In regulation 228,

- i. in clause (d), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”;
- ii. after clause (d) and before the Explanation, following new clause (e) shall be inserted, namely-

“(e) if there are any outstanding convertible securities or any other right which would entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to:

(i) outstanding options granted to employees, whether currently an employee or not, pursuant to an employee stock option scheme in compliance with the Companies Act, 2013, the relevant Guidance Note or accounting standards, if any, issued by the Institute of Chartered Accountants of India or pursuant to the Companies Act, 2013, in this regard;

(ii) fully paid-up outstanding convertible securities which are required to be converted on or before the date of filing of the red herring prospectus (in case of book-built issues) or the prospectus (in case of fixed price issues), as the case may be.”

LXI. In regulation 229,

- i. in sub-regulation (2), the words “face value” shall be substituted with the words and symbol “paid-up”;
- ii. after sub-regulation (3), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-

“(4) In case of an issuer, which had been a proprietorship or a partnership firm or a limited liability partnership before conversion to a company or body corporate, such issuer may make an initial public offer only if the issuer company has been in existence for at least one full financial year before filing of draft offer document:

Provided that the restated financial statements of the issuer company prepared post conversion shall be in accordance with Schedule III of the Companies Act, 2013.

(5) In cases where there is a complete change of promoter of the issuer or there are new promoter(s) of the issuer who have acquired more than fifty per cent of the shareholding of the issuer, the issuer shall file draft offer document only after a period of one year from the date of such final change(s).

(6) An issuer may make an initial public offer, only if the issuer had minimum operating profits (earnings before interest, depreciation and tax) of ₹1 crore from operations for at least two out of the three previous financial years.”

LXII. In regulation 230,

- i. in sub-regulation (1),
 - A. in clause (e), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:” and thereafter the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that if there is a requirement of firm arrangement and the project is partially funded by the bank(s) / financial institution(s), the details regarding sanction letter(s) from the bank(s)/ financial institution(s) shall be disclosed in the draft offer document and offer document.”;
 - B. after clause (e) and the Explanation thereto, the following new clauses shall be inserted, namely,-

“(f) the size of offer for sale by selling shareholders shall not exceed twenty per cent of the total issue size;

(g) the shares being offered for sale by selling shareholders shall not exceed fifty per cent of such selling shareholders’ pre-issue shareholding on a fully diluted basis;

(h) its objects of the issue should not consist of repayment of loan taken from promoter, promoter group or any related party, from the issue proceeds, directly or indirectly.”
- ii. in sub-regulation (2),
 - A. the words “twenty five” shall be substituted with the word “fifteen”;
 - B. after the words “by the issuer” and before the symbol “.”, the words and symbol “or ₹10 crores, whichever is less” shall be inserted.

- LXIII. In regulation 236, in Explanation, in clause (I), in sub-clause (b), after the words “employee stock options” and before the words “are outstanding”, the words “or stock appreciation rights” shall be inserted.
- LXIV. In regulation 237, in sub-regulation (1), in clause (b),
- i. in the existing proviso, the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”;
 - ii. after the existing proviso, following new Explanation shall be inserted, namely,-
“Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, it is clarified that the price per share for determining securities ineligible for minimum promoters’ contribution, shall be determined after adjusting the same for corporate actions such as share split, bonus issue, etc. undertaken by the issuer;”
- LXV. In regulation 238, in sub-regulation (b), the words “for a period of one year from the date of allotment in the initial public offer” shall be substituted with the words and symbol “as follows:” and thereunder the following new clauses shall be inserted, namely,-
*“(i) fifty percent. of promoters’ holding in excess of minimum promoters’ contribution shall be locked in for a period of two years from the date of allotment in the initial public offer; and
(ii) remaining fifty percent. of promoters’ holding in excess of minimum promoters’ contribution shall be locked in for a period of one year from the date of allotment in the initial public offer.”*
- LXVI. In regulation 239,
- i. in proviso,
 - A. in clause (a), after the words “employee stock purchase scheme” and before the words “of the issuer”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 - B. in clause (b), after the words “employee stock purchase scheme”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 - ii. the existing Explanation shall be renamed as “Explanation I”;
 - iii. after the existing Explanation, a new Explanation shall be inserted, namely,-
“Explanation II. For the purpose of clauses (a) and (b), equity shares shall include any equity shares allotted pursuant to a bonus issue against equity shares allotted pursuant to an employee stock option or employee stock purchase scheme or a stock appreciation right scheme.”
- LXVII. In regulation 244, in sub-regulation (8), after the words “shall appoint a” and before the words “compliance officer who”, the words “person qualified to be a company secretary as the” shall be inserted.
- LXVIII. In regulation 245, in sub-regulation (2),
- i. in clause (a), the word “and” shall be omitted;
 - ii. in clause (b), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
 - iii. after clause (b), the following new clauses shall be inserted, namely,-
*“(c) disclosures pertaining to details of Employees’ Provident Fund and Employees State Insurance Corporation; such as number of employees registered, amount paid, etc.;
(d) site visit report of issuer prepared by the lead manager(s) shall be made available as a material document for inspection; and
(e) fees of lead manager(s) in any form/ name /purpose.”*
- LXIX. In regulation 246, the existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following new sub-regulation, namely,-
*“(3) The lead manager(s) shall submit a due-diligence certificate as per **Form A of Schedule V** to which the site visit report of the issuer prepared by the lead manager(s) shall also be annexed, including additional confirmations as provided in **Form G of Schedule V** along with the draft offer document to the SME Exchange(s), where the specified securities are proposed to be listed.”*

- LXX. In regulation 247,
- i. in the heading, before the words “Offer document” the words “Draft offer document and” shall be inserted;
 - ii. the existing sub-regulations (1) and (2) shall be renumbered as sub-regulations (4) and (5) respectively;
 - iii. before the existing sub-regulation (1), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-

“(1) The draft offer document filed with the SME exchange shall be made public for comments, if any, for a period of at least twenty one days from the date of filing, by hosting it on the websites of the issuer, SME exchange where specified securities are proposed to be listed and lead manager associated with the issue.

(2) The issuer shall, within two working days of filing the draft offer document with the SME Exchange, make a public announcement in one English national daily newspaper with wide circulation, one Hindi national daily newspaper with wide circulation and one regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated, disclosing the fact of filing of the draft offer document with the SME exchange and inviting the public to provide their comments to the SME exchange, the issuer or the lead manager(s) in respect of the disclosures made in the draft offer document.

(3) The lead manager(s) shall, after expiry of the period stipulated in sub-regulation (1), file with the SME exchange, details of the comments received by them or the issuer from the public, on the draft offer document, during that period and the consequential changes, if any, that are required to be made in the draft offer document.”
- LXXI. In regulation 250, sub-regulation (4) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
- “(4) The issuer shall announce the floor price or the price band at least two working days before the opening of the issue in the pre-issue and price band advertisement in the format specified under Part A of Schedule X in one English national daily newspaper with wide circulation, Hindi national daily newspaper with wide circulation and one regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated.”
- LXXII. In regulation 251, in sub-regulation (1), in clause (a), the words “retail individual investors” shall be substituted with the words “individual investors who applies for minimum application size”.
- LXXIII. In regulation 253,
- i. in sub-regulation (1),
 - A. in clause a;
 - (a) the word “retail” shall be omitted;
 - (b) after the words “individual investors” and before the symbol “;”, the words “who applies for minimum application size” shall be inserted;
 - ii. the existing sub-regulation (2) shall be renumbered as sub-regulation (3);
 - iii. before the existing sub-regulation (2), the following new sub-regulation and the proviso thereto shall be inserted, namely,-

“(2) In an issue made through book building process, the allocation in the non-institutional investors’ category shall be as follows:

(a) one third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs;

(b) two third of the portion available to non-institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10 lakhs:

Provided that the unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to applicants in the other sub-category of non-institutional investors.”
 - iv. in the existing sub-regulation (2),
 - A. in clause (a),
 - (a) the word “retail” shall be omitted;

- (b) after the words “individual investors” and before the symbol “;” the words “who applies for minimum application size” shall be inserted;
- B. in clause (b), in sub-clause (i), the words “other than retail individual investors” shall be substituted with the words “who applies for more than minimum application size”;
- C. in the Explanation,
 - (a) the symbols and numeral “(2)” shall be substituted with the symbols and numeral “(3)”;
 - (b) the word “retail” wherever appearing shall be omitted;
 - (c) the words “individual investor category” appearing after the words and symbol “, if the” and before the words “is entitled to”, shall be substituted with the words “category of individual investors who applies for minimum application size”;
 - (d) the word “the” appearing after the word and symbol “basis,” and before the words “individual investors”, shall be substituted with the word “such”.

LXXIV. In regulation 262,

- i. in sub-regulation (1), the words “one hundred crore rupees” shall be substituted with the words and symbols “₹50 crores”;
- ii. after sub-regulation (4), the following new sub-regulations shall be inserted, namely,-
 - “(5) In an issue where the issuer is not required to appoint a monitoring agency under this regulation, the issuer shall submit a certificate of the statutory auditor for utilization of money raised through the public issue (excluding offer for sale by selling shareholders) to SME exchange(s) while filing the quarterly financial results, till the issue proceeds are fully utilized.
 - (6) In an issue where working capital is one of the objects of the issue and the amount raised for the said object exceeds five crore rupees, the issuer shall submit a certificate of the statutory auditor to SME exchange(s) while filing the quarterly financial results, for use of funds as working capital in the same format as disclosed in the offer document, till the proceeds raised for the said object are fully utilized.”

LXXV. In regulation 264,

- i. sub-regulation (1) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,-
 - “(1) Subject to the provisions of the Companies Act, 2013, the issuer shall, after filing the prospectus with the Registrar of Companies, make a pre-issue and price band advertisement in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (4) of Regulation 250 was published.”
- ii. in sub-regulation (2),
 - A. after the words “The pre-issue” and before the word “advertisement”, the words “and price band” shall be inserted;
 - B. the proviso shall be omitted.

LXXVI. In regulation 267,

- i. in sub-regulation (2),
 - A. the words “one lakh rupees” shall be substituted with the words “two lots”;
 - B. the symbol “.” appearing after the words “per application” shall be substituted with the symbol “:” and thereafter the following proviso shall be inserted, namely,-
 - “Provided that the minimum application size shall be above ₹2 lakhs.”
- ii. in sub-regulation (3), the letter, words and numerals “minimum application amount, an illustration whereof is given in Part B of Schedule XIV” shall be substituted by the words “lot size”.

- LXXVII. In regulation 268,
- i. in sub-regulation (1), the word “fifty” shall be substituted with the words “two hundred”;
 - ii. in sub-regulation (3),
 - A. the word “retail” shall be omitted;
 - B. after the words “individual investors” and before the words “and anchor investors”, the words and symbol “who applies for minimum application size, non-institutional investors” shall be inserted;
 - iii. after the existing sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(3A) Subject to the availability of shares in non-institutional investors’ category, the allotment of specified securities to each non-institutional investor shall not be less than the minimum application size in non-institutional investor category, and the remaining shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of these regulations.”
 - iv. in sub-regulation (4), the word and letter “Part A” shall be substituted with the words, letter and numeral “Parts A and A2”.
- LXXVIII. Regulation 274 shall be substituted with the following regulation, namely,-
- “Reporting of transactions of the promoters and promoter group and other pre-IPO transactions**
- 274.** (1) The issuer shall ensure that all transactions in securities by the promoter and promoter group between the date of filing of the draft offer document or offer document, as the case may be, and the date of closure of the issue shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such transactions.
- (2) The issuer shall also ensure that any proposed pre-IPO placement disclosed in the draft offer document shall be reported to the stock exchange(s), within twenty-four hours of such pre-IPO transactions (in part or in entirety).”
- LXXIX. In regulation 276, the words “face value” shall be substituted with the words and symbol “paid-up”.
- LXXX. In regulation 277, the words “face value” shall be substituted with the words and symbol “paid-up”.
- LXXXI. In regulation 278, after the words “employee stock option scheme” and before the symbol and words “, during the period”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted.
- LXXXII. In regulation 280, in sub-regulation (2),
- i. the words “face value” shall be substituted with the words and symbol “paid-up”;
 - ii. after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that where the post-issue paid-up capital pursuant to further issue of capital including by way of rights issue, preferential issue, bonus issue, is likely to increase beyond ₹25 crores, the issuer may undertake further issuance of capital without migration from SME exchange to the main board, subject to the issuer undertaking to comply with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable to companies listed on the main board of the stock exchange(s).”
- LXXXIII. After the existing regulation 281, the following new regulation shall be inserted, namely,-
- “Post-listing exit opportunity for dissenting shareholders**
- 281A.** The promoters or shareholders in control of an issuer shall provide an exit offer to dissenting shareholders as provided for in the Companies Act, 2013 in case of change in objects or variation in the terms of contract related to objects referred to in the offer document as per the conditions and in the manner provided in **Schedule XX**:
- Provided that the exit offer shall not apply where there are neither any identifiable promoters nor any shareholders in control of the issuer.”

- LXXXIV. In regulation 288, in sub-regulation (1),
- i. in proviso,
 - A. in clause (a), after the words “employee stock purchase scheme” and before the words “of the issuer”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted;
 - B. in clause (b), after the words “employee stock purchase scheme”, the words “or a stock appreciation right scheme” shall be inserted.
 - ii. the existing Explanation shall be renamed as “Explanation I”;
 - iii. after the existing Explanation, a new Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation II. For the purpose of clauses (a) and (b), equity shares shall include any equity shares allotted pursuant to a bonus issue against equity shares allotted pursuant to an employee stock option or employee stock purchase scheme or a stock appreciation right scheme.”
- LXXXV. In Schedule I, after the title, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “69(2),” shall be omitted.
- LXXXVI. In Schedule II, -
- i. after the title, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “69(5), 71(2),” shall be omitted;
 - ii. in clause (1), in sub-clause (b), the words “or the draft letter of offer” shall be omitted;
 - iii. in clause (2), in sub-clause (b), the words “or the draft letter of offer” shall be omitted.
- LXXXVII. In Schedule III, -
- i. in the title, the word “DRAFT” appearing before the words “Letter of Offer” and after the word and symbol “Document /” shall be omitted;
 - ii. after the title, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “71(1), 71(6), 100(1),” shall be substituted with numbers and symbols “71(9),”;
 - iii. in clause (1), the word “draft” appearing after the words “fast track issue and” and before the words “letter of offer” shall be omitted;
 - iv. in clause (2), in sub-clause (b) with respect to ‘Rights Issue’, the third column of the first table with the heading “Amount / Rate of fees for filing within one year after expiry of SEBI Observation letter” shall be omitted:
- LXXXVIII. In Schedule IV, -
- i. after the title, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “71(1)” shall be substituted with the number and symbols “71(3)”;
 - ii. The existing clause shall be renamed as Clause (1), and the following new clause shall be inserted after the existing clause:

“(2) In case of Rights Issue, the issuer shall file the letter of offer with the Board at its Head Office in the address given at clause (1) above.”
- LXXXIX. In Schedule V, -
- i. in “Form A”, -
 - A. in its marginal heading, the words “or draft letter of offer” shall be omitted;
 - B. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “71(2)(b), 100(2)(a),” shall be omitted;
 - C. In the subject heading, the symbol and word “/Rights” appearing after the word “Public” shall be omitted;
 - D. the symbol and words “/draft letter of offer”, wherever appearing, shall be omitted;
 - E. The “Note” appearing before “Form AA” shall be omitted;

ii. In Form B, -

- A. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “100(2)(b),” shall be omitted;
- B. in the addressee portion, after the words “Securities and Exchange Board of India”, the symbol and words “/Stock Exchanges” shall be inserted;

iii. In Form C, -

- A. in its marginal heading, the symbol and words “/filing letter of offer” shall be omitted;
- B. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers, word and symbols “,71(7)(b)” shall be omitted;
- C. In the subject heading, the symbol and words “Rights Issue of” appearing after the word and symbol “Public/” shall be omitted;

D. In clause (1), -

- (i) the symbol and words “/letter of offer (in case of a rights issue) filed with the designated stock exchange” shall be omitted;
- (ii) the words “or letter of offer” appearing after the words “said offer document” shall be omitted;

E. The “Note” appearing before “Form CA” shall be omitted;

iv. In Form D, -

- A. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers, word and symbols “,71(7)(c)” shall be omitted;
- B. In the subject heading, the symbol and word “/Rights” appearing after the word “Public” shall be omitted;
- C. the symbol and words “/letter of offer (in case of a rights issue) filed with the designated stock exchange” shall be omitted;

v. In Form DA, in the subject heading, the symbol and word “/Rights” appearing after the word “Public” shall be omitted;

vi. In Form E, -

- A. in the marginal heading, the symbol and words “/letter of offer for a fast track issue” shall be omitted;
- B. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers, symbols and word “100(2)(a) and” shall be omitted;
- C. in the subject heading, the symbol and word “/Rights” appearing after the word “Public” shall be omitted;
- D. in clause (1), the symbol and words “/letter of offer (in case of a rights issue)” shall be omitted;
- E. in clause (2), -
 - (i) the words and numbers “regulation 99 in case of rights issues and” appearing within the brackets shall be omitted;
 - (ii) The symbol and words “/letter of offer” appearing after the words “offer documents” shall be omitted;
- F. In clause (3), the symbol and words “/abridged letter of offer” shall be omitted;
- G. In clause (4), the symbol and words “/letter of offer” appearing after the words “offer document” shall be omitted;

vii. In Form G, in the subject heading, the symbol and word “/Rights” appearing after the word “Public” shall be omitted;

XC. In Schedule VI, -

- i. in the title, the word “ABRIDGED” appearing before the words “LETTER OF OFFER” shall be omitted;

ii. after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers, word and symbols “71(2)(d), 75,” shall be omitted;

iii. in Part A,

A. under the heading ‘Applicability’, before item (1) titled ‘Cover pages’ the following new proviso shall be inserted, namely,-

“ Provided further that for the purpose of public issue by an issuer to be listed /listed on SME exchange made in accordance with Chapter IX of these regulations, the words “retail individual investors” shall be read as words “individual investors who applies for minimum application size”.”

B. in clause (4), after sub-clause (E), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

“(EA) – For the promoter(s), promoter group and additional top 10 shareholders, the pre-issue and post-issue shareholding as at allotment, in the following format in the prospectus:

Shareholding of Promoter / Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company as at allotment:

S. No.	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement			Post-Issue shareholding as at Allotment (3)			
	Shareholders	Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)	At the lower end of the price band (₹[●])		At the upper end of the price band (₹[●])	
				Number of Equity Shares (2)	Share holding (in %)(2)	Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)
1.	Promoter 1 [Name]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	Promoter 2 [Name]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	Promoter Group(1)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
2.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
3.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
.....							
9.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
10.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
11.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

Notes:

- 1) The Promoter Group shareholders are [●], [●] and [●].
 - 2) Includes all options that have been exercised until date of prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until date of prospectus.
 - 3) Based on the Issue price of ₹[●] and subject to finalization of the basis of allotment.”
- c. in clause (9), in sub-clause (A),
- (i) in item (2), after sub-item (b), the following proviso shall be inserted, namely,-
 “Provided that such certificate may be obtained from the Chartered Accountant, holding a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for:
 - i. the periods not audited by the current statutory auditor; or
 - ii. the loan which is proposed to be repaid was availed by a subsidiary and the current statutory auditor of the issuer is not the statutory auditor of the subsidiary.”

(ii) in item (5), after the words “on a standalone basis”, and before the symbol “:”, the words and symbols “, based on audited standalone financial statements” shall be inserted;

(iii) Following proviso to item (5) shall be inserted, namely,-

“Provided that such standalone financial statements shall be restated if there are any restatements/ adjustments in the restated consolidated financial statements which may have impact on the audited standalone financial statements.”

d. in clause (9), in sub-clause (K), in item (1), in sub-item (f),

(i) the existing illustrative format table after the words and symbol “is given hereunder:” shall be substituted with the following table:-

“

(1)	Adjusted Earnings Per Share (EPS) and Adjusted Diluted EPS	
	(a) Financial Year 1	₹ 0.41**
	(b) Financial Year 2	₹ 8.39 **
	(c) Financial Year 3	₹ 13.82 **
	(d) Weighted Average	
(2)	Price to Earnings Ratio (P/E) in relation to Issue Price	
	(a) Based on Financial Year 3 EPS	37.63
	(b) Industry P/E	
	(i) Highest	61.2
	(ii) Lowest	0.8
	(iii) Average	25.3
	(*Indicate relevant source)	
(3)	Return on Net Worth	
	(a) Financial Year 1	27.36 per cent.**
	(b) Financial Year 2	28.77 per cent. **
	(c) Financial Year 3	33.45 per cent. **
	(d) Weighted Average	

(4)	Net Asset Value	
	(a) As at last day of Financial Year 3	₹ 46.40
	(b) After issue	₹ 94.29
	(c) Issue price	₹ 520.00

”

- (ii) after the first clarification to the illustrative format table therein, following second clarification shall be inserted, namely,-

“***The entries shown in the above table are for illustrative purposes only. Lead manager(s) shall exercise due diligence and satisfy themselves before assigning weights.*”

- e. in clause (10), in sub-clause (E), after item (d) and before item (e), following item shall be inserted, namely,-

“(da) Details of agreements required to be disclosed under Clause 5A of paragraph A of part A of Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.”

- f. in clause (11), in sub-clause (I), in item B,

- (i) in sub-item (ii),

- (a) after the words “below the above materiality threshold.” and before the words “In cases where the general purpose financial statement”, the following words and symbols shall be inserted:

“The issuer company may also voluntarily provide proforma financial statements to disclose the impact of such acquisition, for such financial periods as determined by the issuer company, provided such proforma financial statements are prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time and certified by the statutory auditor or the chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI.”

- (b) the words “Guidance Note” shall be substituted with the words “any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines”;

- (ii) sub-item (iii) shall be substituted with the following sub-item, namely,-

“(iii) **Proforma financial statements** – The Issuer shall provide Proforma financial statements, as certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), of all the subsidiaries or businesses material to the consolidated financial statements (individually or collectively) where the issuer or its subsidiaries have made an acquisition or divestment including deemed disposal after the latest period for which financial information is disclosed in the offer document but before the date of filing of the offer document. For this purpose, the acquisition/divestment would be considered as material if acquired/divested business or subsidiary in aggregate contributes 20% or more to turnover, net worth or profit before tax in the latest annual CFS of the issuer. The Proforma financial statements shall be prepared for at least the last completed financial year and the stub period (if any). The Proforma financial statements shall be prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guideline issued by the ICAI from time to time and certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board

of the ICAI. The issuer Company may voluntarily choose to provide proforma financial statements of acquisitions or divestments (i) even when they are below the above materiality threshold, or (ii) if the acquisitions or divestments have been completed prior to the latest period(s) for which financial information is disclosed in the draft offer document or the offer document. Furthermore, the Proforma financial statements may be disclosed for such financial periods as determined by the issuer company. The issuer may also voluntarily include financial statements of the business or subsidiary acquired or divested, provided that such financial statements are certified by the auditor (of the business or subsidiary acquired or divested) or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI. In case of one or more acquisitions or divestments, one combined set of Proforma financial statements should be presented. Where the businesses acquired/ divested does not represent a separate entity, general purpose financial statement may not be available for such business. In such cases, combined/ carved-out financial statements for such businesses shall be prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the ICAI from time to time. Further, in case of non-material acquisitions/divestments disclosures in relation to the fact of the acquisition/divestment, consideration paid/received and mode of financing shall be certified by the statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI appointed by the issuer company.”

g. in Clause (11), in sub-clause (II), in item B,

(i) in sub-item (ii),

(a) after the words “below the above materiality threshold.” and before the words “In cases where the general purpose financial statement”, the following words and symbols shall be inserted:

“The issuer company may also voluntarily provide proforma financial statements to disclose the impact of such acquisition, for such financial periods as determined by the issuer company, provided such proforma financial statements are prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time and certified by the statutory auditor or the chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI.”

(b) the words “Guidance Note” shall be substituted with the words “any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines”;

(ii) sub- item (iii) shall be substituted with the following sub-item, namely,-

“(iii) Proforma financial statements –The Issuer shall provide Proforma financial statements, as certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), of all the subsidiaries or businesses material to the consolidated financial statements (individually or collectively) where the issuer or its subsidiaries have made an acquisition or divestment including deemed disposal after the latest period for which financial information is disclosed in the offer document but before the date of filing of the offer document. For this purpose, the acquisition/divestment would be considered as material if acquired/ divested business or subsidiary in aggregate contributes 20% or more to turnover, net worth or profit before tax in the latest annual CFS of the issuer. The Proforma financial statements shall be prepared for at least the period covering last completed financial year and the stub period (if any). The Proforma financial statements shall be prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the ICAI from time to time and certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the

Peer Review Board of the ICAI. The issuer Company may voluntarily choose to provide proforma financial statements of acquisitions or divestments (i) even when they are below the above materiality threshold, or (ii) if the acquisitions or divestments have been completed prior to the latest period(s) for which financial information is disclosed in the draft offer document or the offer document. Furthermore, the Proforma financial statements may be disclosed for such financial periods as determined by the issuer company. The issuer may also voluntarily include financial statements of the business or subsidiary acquired or divested, provided that such financial statements are certified by the auditor (of the business or subsidiary acquired or divested) or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI. In case of one or more acquisitions or divestments, one combined set of Proforma financial statements should be presented. Where the businesses acquired/ divested does not represent a separate entity, general purpose financial statement may not be available for such business. In such cases, combined/ carved-out financial statements for such businesses shall be prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the ICAI from time to time. Further, in case of non-material acquisitions/divestments disclosures in relation to the fact of the acquisition/divestment, consideration paid/received and mode of financing shall be certified by the statutory auditor of the issuer company or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI appointed by the issuer company.”

h. in clause (12), in sub-clause (A),

- (i) in item (1), the existing sub-item (v) shall be substituted with the following sub-item, namely,-

“(v) Other pending litigations based on lower of threshold criteria mentioned below—

(i) As per the policy of materiality defined by the board of directors of the issuer and disclosed in the offer document; or

(ii) Litigation where the value or expected impact in terms of value, exceeds the lower of the following:

- (a) two percent of turnover, as per the latest annual restated consolidated financial statements of the issuer; or
- (b) two percent of net worth, as per the latest annual restated consolidated financial statements of the issuer, except in case the arithmetic value of the net worth is negative; or
- (c) five percent of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three annual restated consolidated financial statements of the issuer.”

- (ii) after item (1) and before item (2), the following item shall be inserted, namely,-

“(1A) All criminal proceedings involving key managerial personnel and senior management of the issuer and also the actions by regulatory authorities and statutory authorities against such key managerial personnel and senior management of the issuer shall also be disclosed.”

iv. The Part B shall be substituted with the following:

“Part B-Disclosures in a letter of offer

- (1) An issuer proposing a rights issue shall make the following disclosures, as far as possible, in the draft letter of offer /letter of offer in the order in which the disclosures are specified in this clause:

(I) Cover Pages: The cover page paper shall be of adequate thickness (minimum hundred GSM quality).

(a) Front Cover Pages:

- i. Front inside cover page shall be kept blank.

ii. Front outside cover page shall contain only the following details:

- (a) Type of letter of offer ("Draft Letter of Offer" or "Letter of Offer").
- (b) Date of the draft letter of offer / letter of offer.
- (c) Name of the issuer, its logo, date and place of its incorporation, corporate identity number, telephone number, address of its registered and corporate offices, website address and e-mail address (mention if where there has been any change in the address of the registered office or the name of the issuer).
- (d) Nature, number and price of specified securities offered and issue size, as may be applicable.
- (e) Name of the promoter(s).
- (f) Name of the issuer or any of its promoters or directors being a wilful defaulter or a fraudulent borrower and a cross-reference to the relevant section.
- (g) The following clause on "General Risk" shall be incorporated in a box format:

"Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk with such investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors shall rely on their own examination of the issuer and the offer, including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' given on page number The following clause on 'Issuer's Absolute Responsibility' shall be incorporated in a box format:

"The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this letter of offer contains all information with regard to the issuer and the issue, which is material in the context of the issue, and that the information contained in the letter of offer is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect."
- (h) Name, logo and address of the registrar to the issue, along with its telephone number, website address and e-mail address.
- (i) Issue schedule:
 - a. Last date for credit of rights entitlements
 - b. Date of opening of the issue
 - c. Last date for on-market renunciation of rights entitlements
 - d. Date of closing of the issue
 - e. Date of finalization of basis of allotment
 - f. Date of allotment
 - g. Date of credit of rights equity shares
 - h. Date of listing
- (j) Name(s) of the stock exchanges where the specified securities are listed and the details of their in-principle approval for listing obtained from these stock exchange(s) along with the name of Designated Stock Exchange.

(II) Back cover pages:

1. The back inside cover page and back outside cover page shall be kept blank.
2. The letter of offer should be in clear readable font, preferably of minimum font size ten.

(III) Table of contents: The table of contents shall appear immediately after the front inside cover page.

(IV) Definitions and abbreviations:

- a) Conventional or general terms
- b) Issue related terms
- c) Issuer and industry related terms
- d) Abbreviations

(V) Letter of offer

- A. Description of the business of the Issuer in a summary form.
- B. Intention and extent of participation by promoter/promoter group with respect to:
 - a) their rights entitlement and intention to subscribe to their rights entitlement
 - b) their intention to subscribe over and above their rights entitlement
 - c) their intention to renounce their rights entitlement, to specific investor(s). The names of the specific investor(s) shall be disclosed in a public advertisement at least two days prior to the issue opening date.

Provided that such participation shall not result in a breach of the minimum public shareholding requirement stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- C. Intention of issuer to allot the under-subscribed portion of the rights issue to any specific investor(s). Name(s) of the specific investor(s) shall be disclosed in a public advertisement two days prior to the issue opening date.
- D. Details of the issuer or any of its promoters or directors being a wilful defaulter or a fraudulent borrower.
 - a) Name of the person declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower
 - b) Name of the bank declaring the person as a wilful defaulter or a fraudulent borrower
 - c) Year in which the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower
 - d) Outstanding amount when the person was declared as a wilful defaulter or a fraudulent borrower
 - e) Steps taken, if any, by the person for removal of its name from the list of wilful defaulter or a fraudulent borrower
 - f) Other disclosures, as deemed fit by the issuer, in order to enable investors to take an informed decision.
- E. Outstanding litigations: Summary of outstanding litigations in a tabular format along with the amount involved, wherever quantifiable for the pending matters which, if they result in an adverse outcome, would materially and adversely affect the operations or the financial position of the issuer:
 - 1. Matters which are pending:
 - i. Involving criminal liability on the part of the issuer.
 - ii. Material violations of the statutory regulations by the issuer.
 - iii. Economic offences where proceedings have been initiated against the issuer.
 - 2. For the purpose of determining materiality, the threshold shall be lower of threshold criteria mentioned below—
 - (1) As per the policy of materiality defined by the board of directors of the issuer and disclosed in the offer document;
 - (2) Litigation where the value or expected impact in terms of value, exceeds the lower of the following:

- (a) two percent of turnover, as per the latest annual restated consolidated financial statements of the issuer;
 - (b) two percent of net worth, as per the latest annual restated consolidated financial statements of the issuer, except in case the arithmetic value of the net worth is negative; or
 - (c) five percent of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three annual restated consolidated financial statements of the issuer.
3. These disclosures shall be made in respect of the issuer and the subsidiary companies of the issuer as per the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(VI) Risk factors:

A. Risk factors shall be in relation to the following:

- i. issue and objects of the issue;
- ii. risks material to the issuer and its business;

in each case above, where applicable, along with instances of occurrence of such risk in the past and financial or other impact thereof, if any, on the issuer and its business.

(VII) Whether the issuer is in compliance with the equity listing agreement or the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as applicable) for a period of at least three years immediately preceding the reference date. If not, details for such non-compliance.

(VIII) Whether the issuer has redressed at least ninety-five percent of the complaints received from the investors until the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date. If not, details of the same.

(IX) Details of the following actions along with the potential adverse impact on the company, where against the issuer or its promoters or whole time directors-

- i. Show-cause notice(s) has been issued by the Board or the Adjudicating Officer in a proceeding for imposition of penalty; or
- ii. Prosecution proceedings have been initiated by the Board;

(X) Details including reasons, period, etc. where the equity shares of the company have been suspended from trading as a disciplinary measure during last three years immediately preceding the reference date.

(XI) Introduction:

A. General Information:

- 1. Names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses of the Company Secretary and compliance officer of the issuer.
- 2. Name, address, telephone number and e-mail address of the Statutory Auditor(s) of the issuer.
- 3. Names, addresses, telephone numbers, contact person, website addresses and e-mail addresses of the bankers to the issue, self-certified syndicate bankers and legal advisors to the issue; URL of SEBI website listing out the details of self- certified syndicate banks, registrar to issue and share transfer agents, depository participants, etc.
- 4. Following details of credit rating in case of an issue of convertible debt instrument:
 - a. The names of all the credit rating agencies from which credit rating including unaccepted rating has been obtained for the issue of convertible debt instruments.
 - b. Details of all credit ratings, including unaccepted ratings, obtained for the issue of convertible debt instruments.
 - c. All credit ratings obtained during the preceding three years for any of the issuer's listed convertible debt instruments at the time of accessing the market through a convertible debt instrument.

5. Name, address, telephone number, website address and e-mail address of the debenture trustee in case of an issue of convertible debt instruments.
 6. Name, address, telephone number and e-mail address of the monitoring agency.
 7. Details of underwriting:
 - a. Names, address, telephone numbers, and e-mail address of the underwriters and the amount underwritten by each of them.
 - b. Declaration by the board of directors of the issuer that the underwriters have sufficient resources to discharge their respective obligations.
 - c. In case of partial underwriting of the issue, the extent of such underwriting.
 - d. Details of the final underwriting arrangement, indicating actual number of specified securities underwritten, in the letter of offer filed with the designated stock exchange.
 8. The fact of filing the letter of offer with the Board and the stock exchange(s) and the office of the Board where the letter of offer has been filed.
- B. Capital Structure:** The capital structure in the following manner in a tabular form:
1. Authorised, issued and subscribed capital, after suitable incorporation of the outstanding convertible securities (number of securities, description and aggregate nominal value).
 2. Paid-up capital.
 - (a) After the issue.
 - (b) Assuming conversion of convertible securities, warrants, if any, and employee stock options that vest until the allotment date.
 3. The following details of outstanding instruments:
 - (A) Details of options, if any.
 - (B) Details of convertible securities, if any.
 4. Details of specified securities held by the promoter and promoter group including the details of lock-in, pledge of and encumbrance on such specified securities. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.
 5. Details of specified securities acquired by the promoter and promoter group in the last one year immediately preceding the date of filing of the letter of offer with the designated stock exchange
 6. Ex-rights price as referred to under clause (b) of sub-regulation 4 of regulation 10 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011.
 7. Shareholding pattern as in the format prescribed in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as submitted to the stock exchanges. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.
 8. Details of the shareholders holding more than one per cent. of the share capital of the issuer. This information can be either incorporated by reference with specific website details of stock exchange(s) or by providing required details in the letter of offer.
 9. Any issuance of equity shares made in the last one year for consideration other than cash.

(XII) Particulars of the Issue

(A) Objects of the Issue:

- (1) Objects of the issue for which funds are being raised
- (2) If the objects of the issue is repayment of loan or any other debt, then the following disclosures shall be made:
 - (a) details of loan proposed to be repaid such as name of the lender, tenure, brief terms and conditions and amount outstanding;
- (3) If one of the objects is investment in a joint venture or subsidiary or an acquisition, the following additional disclosures shall be made:

- (a) details of the form of investment, i.e. equity, debt or any other instrument;
 - (b) if the form of investment has not been decided, a statement to that effect;
 - (c) if the investment is in debt instruments, complete details regarding the rate of interest, nature of security, terms of repayment, subordination, etc.;
 - (d) nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment;
- (4) If one of the objects of the issue is to grant a loan to an entity other than a subsidiary, details of the loan agreements including the rate of interest, whether secured or unsecured, duration, nature of security, terms of repayment, subordination, etc. and the nature of benefit expected to accrue to the issuer as a result of the investment. If such a loan is to be granted to any of the group companies, details of the same.
- (5) If one of the objects of the issue is utilisation of the issue proceeds for long term working capital, the following additional disclosures on a standalone basis, based on audited standalone financial statements:
- (a) Basis of estimation of working capital requirement, along with relevant assumptions.
 - (b) Reasons for raising additional working capital, substantiating the same with relevant facts and figures.
 - (c) Details of the projected working capital requirement including detailed assessment of working capital after implementation of the project or achievement of objects of the issue, as the case may be, capacity utilisation assumptions, break-up of expected current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors etc., along with the assumption about the holding norms for each type of current asset, total current liabilities, net current assets and envisaged sources of finance for net current assets, i.e. bank finance, institutional finance, own funds, etc.
 - (d) Total envisaged working capital requirement in a tabular form, the margin money thereof and the portion to be financed by any bank(s) or otherwise.
 - (e) Details of the existing working capital available with the issuer, along with a break-up of total current assets into raw materials, finished goods, work in progress, sundry debtors, etc., total current liabilities, net current assets and sources of finance for net current assets, i.e. bank finance, institutional finance, own funds, etc.
 - (f) If no working capital is shown as a part of the project for which the issue is being made, the reasons for the same.
- Provided that such standalone financial statements shall be restated if there are any restatements/adjustments in the restated consolidated financial statements which may have impact on the audited standalone financial statements.
- (6) If an object of the issue is to fund a project, the following details shall be given:
- (a) break-up of the cost of the project for which the money is being raised;
 - (b) means of financing for the project.
 - (c) location of the project
 - (d) plant and machinery, technology, process, etc.
 - (e) collaboration, performance guarantee if any, or assistance in marketing by the collaborators.
 - (f) facilities for raw materials and utilities like water, electricity, etc.
 - (g) if no working capital is shown as a part of the project for which the issue is being made, the reasons for the same.
- (7) If one of the objects of the issue is to purchase any plant, machinery, technology, process, etc., the following details shall be given:
- (a) Details shall be given in a tabular form, which shall include the details of the equipment required to be bought by the issuer, cost of the equipment, name of the

suppliers, date of placement of order and the date or expected date of supply, etc.

- (b) In case the order for the equipment is yet to be placed, the date of quotations relied upon for the cost estimates given shall also be mentioned.
 - (c) The percentage and value terms of the equipment for which orders are yet to be placed shall be stated.
 - (d) The details of the second hand equipment bought or proposed to be bought, if any, including the age of the machines, balance estimated life, etc. shall also be given.
- (8) If warrants or partly paid shares are proposed to be issued in a rights issue, disclosure of the objects towards which the funds from conversions of warrants/call money for partly paid shares are proposed to be used.

(B) Requirement of Funds:

- (1) Where the issuer proposes to undertake more than one activity or project, such as diversification, modernisation, expansion, etc., the total project cost activity-wise or project wise, as the case may be.
- (2) Where the issuer is implementing the project in a phased manner, the cost of each phase including the phase, if any, which has already been implemented.
- (3) Details of all material existing or anticipated transactions in relation to the utilisation of the issue proceeds or project cost with promoters, directors, key managerial personnel, senior management, associate companies (as defined under the Companies Act, 2013). The relevant documents shall be included in the list of material documents for inspection.
- (4) If any part of the proceeds of the issue is to be applied directly or indirectly:

(a) in the purchase of any business; or

(b) in the purchase of an interest in any business and by reason of that purchase, or anything to be done in consequence thereof, or in connection therewith; the issuer will become entitled to an interest in respect to either the capital or profits and losses or both, in such business exceeding fifty per cent. thereof;

a report made by accountants (who shall be named in the letter of offer) upon:

- i. the profits or losses of the business of each of three completed financial years immediately preceding the issue of the letter of offer; and
- ii. the assets and liabilities of the business at the last date to which the accounts of the business were made, being a date not more than six months before the date of the issue of the letter of offer.
- iii. the issuer company may also voluntarily include proforma financial statements to disclose the impact of such purchase, for such financial periods as determined by the issuer company, provided such proforma financial statements are prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time and certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI.

(5) If:

A. any part of the proceeds of the issue is to be applied directly or indirectly in any manner resulting in the acquisition by the issuer of shares in any other body corporate; and

B. by reason of that acquisition or anything to be done in consequence thereof or in connection therewith, that body corporate will become a subsidiary of the issuer;

a report made by accountants (who shall be named in the letter of offer) upon:

- i. the profits or losses of the other body corporate for each of the three completed financial years immediately preceding the issue of the Letter of Offer; and

- ii. the assets and liabilities of the other body corporate at the last date to which its accounts were made, being a date not more than six months before the date of the issue of the letter of offer.
- iii. the issuer company may also voluntarily include proforma financial statements to disclose the impact of such acquisition, for such financial periods as determined by the issuer company, provided such proforma financial statements are prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guidelines issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time and certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI.

(C) Strategic partners to the project or objects of the issue.

(D) Financial partners to the project or objects of the issue.

(E) Funding plan (Means of Finance):

1. An undertaking by the issuer confirming that firm arrangements of finance through verifiable means towards seventy-five per cent. of the stated means of finance, excluding the amount to be raised through the proposed issue and existing identifiable internal accruals, have been made.
2. Balance portion of the means of finance for which no firm arrangement has been made without specification.
3. Details of funds tied up and the avenues for deployment of excess proceeds, if any.

(F) Appraisal (if applicable):

1. Scope and purpose of the appraisal, if any, along with the date of appraisal.
2. Cost of the project and means of finance as per the appraisal report.
3. Explanation of revision, if any, in the project cost and the means of finance after the date of issue of the appraisal report.
4. Weaknesses, qualifications and threats given in the appraisal report, by way of risk factors.

(G) Schedule of implementation: The schedule of implementation of the project and the progress made so far, giving details of land acquisition, civil works, installation of plant and machinery, trial production, date of commercial production and reasons for delay, if any.

(H) Deployment of funds:

1. Details of the sources of funds and the deployment of these funds on the project (where the issuer is raising capital for a project), up to a date not earlier than two months from the date of filing the letter of offer with the designated stock exchange, as certified by a chartered accountant, along with the name of the chartered accountant and the date of the certificate.
2. Where share application money brought in advance by the promoters is deployed in the project and the same is being adjusted towards their rights entitlement in the rights issue, the extent of deployment and utilisation of the funds brought in by the promoters.

(I) Sources of financing of funds already deployed: Means and source of financing, including details of "bridge loan" or other financial arrangement, which may be repaid from the proceeds of the issue.

(J) Details of balance fund deployment: Year wise break-up of the expenditure proposed to be incurred on the said project.

(K) Interim use of funds: A statement that net issue proceeds pending utilization (for the stated objects) shall be deposited only in the scheduled commercial banks.

(L) Expenses of the issue: Expenses of the issue (in terms of amount, as a percentage of total issue expenses and as a percentage of total issue size) under the following heads:

- (1) Brokerage, selling commission and upload fees

- (2) Registrars to the issue
- (3) Legal Advisors (if any)
- (4) Advertising and marketing expenses
- (5) Regulators including stock exchanges
- (6) Printing and distribution of issue stationary
- (7) Others, if any (to be specified).

(M) Any special tax benefits for the issuer and its shareholders and its material subsidiaries identified in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(N) Key Industry Regulations for the proposed objects of the issue (if different from existing business of the issuer).

(O) Interest of promoters, promoter group and directors, as applicable to the project or objects of the issue.

(XIII) Management (Board of Directors and Senior Management) and Organisational Structure:

(A) Name, date of birth, age, Director Identification Number, address, occupation and date of expiration of the current term of office of manager, managing director and other directors (including nominee directors and whole-time directors),

(XIV) Financial Information of the issuer:

One standard financial unit shall be used in the Letter of Offer.

The following extract of the audited consolidated financial statements prepared in accordance with applicable accounting standards for the last financial year (with the comparative prior full year period) and latest limited review financial statements, if any, disclosed to the stock exchange with the comparative prior year period shall be included in the draft letter of offer and letter of offer (for the limited reviewed period, this information should not be earlier than six months prior to the date of the opening of the issue). The latest quarterly results disclosed to the public can be included in the draft letter of offer and letter of offer.

- i. Total income from operations
- ii. Net profit/loss before tax and extraordinary items
- iii. Net profit/loss after tax and extraordinary items
- iv. Equity share capital
- v. Reserves and surplus
- vi. Net worth
- vii. Basic Earnings per share
- viii. Diluted Earnings per share
- ix. Return on net worth
- x. Net Asset Value per Share

(XV) Detailed rationale for the issue price: How the issuer has arrived at the price of the rights shares.

(XVI) Government Approvals or Licensing Arrangements: All material pending government and regulatory approvals pertaining to the objects of the issue.

(XVII) Other Regulatory and Statutory Disclosures:

- (a) Authority for the issue and details of the resolution passed for the issue.
- (b) A statement by the issuer that the issuer, promoters, promoter group, directors have not been or are not prohibited from accessing or operating in the capital markets or restrained from buying, selling or dealing in securities under any order or direction passed by the Board.
- (c) A statement by the issuer if any of the directors of the issuer are associated with the

securities market in any manner, and if yes, details of any outstanding action initiated by the Board against the said entities with the relevant details.

- (d) Disclaimer clauses:
- (e) Disclaimer in respect of jurisdiction: A brief paragraph mentioning the jurisdiction under which the provisions of law and the rules and regulations are applicable to the letter of offer.
- (f) Disclaimer clause of the stock exchanges.
- (g) Disclaimer clause of the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India and of any other regulatory authority (if applicable).
- (h) Arrangements or any mechanism evolved by the issuer for redressal of investor grievances and the time normally taken by it for disposal of various types of investor grievances.

(XVIII) Offering Information:

- (1) Terms of payments and procedure and time schedule for allotment and demat credit of securities.
- (2) How to apply, availability of application forms and letter of offer and mode of payment, including the following:
 - (a) Applications by mutual funds:
 - i. A statement under the heads "Procedure for applications by mutual funds" and "Multiple Applications" to indicate that a separate application can be made in respect of each scheme of an Indian mutual fund registered with the Board and that such applications shall not be treated as multiple applications.
 - ii. A statement that the application made by an asset management company or by custodian of a mutual fund shall clearly indicate the name of the concerned scheme for which the application is being made.
 - (b) Applications by non-resident Indians:
 - i. the name and address of at least one place in India from where individual non-resident Indian applicants can obtain the application forms.
 - ii. Application by ASBA investors: Details of Application Supported by Blocked Amount process including specific instructions for submitting Application Supported by Blocked Amount.
 - iii. A statement that the shareholders who have not received the application form can apply, along with the requisite application money, by making an application that is available on the website of registrar, stock exchanges, lead managers or on a plain paper with same details as per application form available online.
 - iv. The format to enable shareholders to make an application on a plain paper specifying therein necessary particulars such as name, address, ratio of rights issue, issue price, number of equity shares held, depository participant ID, client ID, number of equity shares applied for, amount to be blocked with SCSB for using ASBA facility. Application form available online on the website of registrar, stock exchanges, lead managers may be used for providing requisite details;
 - v. A statement that shareholders making an application on a plain paper cannot renounce their rights and shall not utilise the application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.
- (3) Dealing with Fractional Entitlement: Manner of dealing with fractional entitlement viz. payment of the equivalent of the value, if any, of the fractional rights in cash etc.
- (4) Provisions of the Companies Act, 2013, as relating to punishment for fictitious applications, including the disclosures that any person who:
 - (a) makes or abets making of an application in a fictitious name to a company for acquiring, or subscribing for, its securities; or
 - (b) makes or abets making of multiple applications to a company in different names or in different combinations of his/her name or surname for acquiring or subscribing for its securities; or

- (c) otherwise induces directly or indirectly a company to allot, or register any transfer of, securities to such person, or to any other person in a fictitious name.

Provided that any penalty imposed pursuant to Companies Act, 2013 shall also be disclosed.

- (5) A statement that credit of specified securities to the demat account/ issuing instructions for un-blocking of ASBA shall be done within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay in issuing instructions for un-blocking of ASBA at the prescribed rate. In cases where refunds are applicable, such refunds shall be made within a period of fifteen days and interest shall be payable in case of delay. Liability of issuer and its directors (who are officers in default) to issue instructions for unblocking/ make refunds along with specified rate of interest shall also be mentioned, in case refunds are not made within the specified timeline.
- (6) Mode of making refunds:
- a) The mode in which the issuer shall make refunds to applicants in case of an oversubscription or failure to list or otherwise.
 - b) If the issuer proposes to use more than one mode of making refunds to applicants, the respective cases where each such mode will be adopted shall be disclosed.
 - c) The permissible modes of making refunds are as follows:
 - i. Unblocking amounts blocked using ASBA facility;
 - ii. In case of applicants residing in any of the centres specified by the Board: by crediting of refunds to the bank accounts of applicants through electronic transfer of funds by using Direct Credit, RTGS (Real Time Gross Settlement) or NEFT (National Electronic Funds Transfer) or NACH (National Automated Clearing House), as applicable, as is for the time being permitted by the Reserve Bank of India;
 - iii. In case of other applicants: by despatch of refund orders by registered post, where the value is ₹1500 or more, or under certificate of posting in other cases, (subject however to postal rules); and
 - iv. In case of any category of applicants specified by the Board: crediting of refunds to the applicants in any electronic manner permissible by the Board.
- (7) Basis of Allotment: Allotment shall be made in the following manner-
- i. Full allotment to those eligible shareholders who have applied for their Rights Entitlement either in full or in part and also to the renouncee(s), who has or have applied for the specified securities in their favour, in full or in part, as adjusted for fractional entitlement.
 - ii. Allotment to eligible shareholders who having applied for the specified securities in full to extent of their Rights Entitlement and have also applied for additional specified securities, shall be made as far as possible on an equitable basis having due regard to the number of specified securities held by them on record date, provided there is an under-subscribed portion after making allotment in (i) above.
 - iii. Allotment to the renouncee(s), who having applied for the specified securities renounced in their favour and also applied for additional specified securities, provided there is an under-subscribed portion after making full allotment specified in (i) and (ii) above. The allotment of such additional specified securities may be made on a proportionate basis.
 - iv. Allotment to specific investor(s) or to any other person, subject to applicable laws, that the board of issuer may deem fit, provided there is an under-subscribed portion after making allotment under (i), (ii) and (iii) above.

(XIX)

Undertakings by the issuer in connection with the issue: The issuer shall undertake that:

- a) complaints received in respect of the issue shall be attended to by the issuer expeditiously and satisfactorily.
- b) steps for completion of the necessary formalities for listing and commencement of trading at all stock exchanges where the specified securities are to be listed are taken within the time limit specified by the Board.

- c) funds required for making refunds to unsuccessful applicants as per the mode(s) disclosed shall be made available to the Registrar to the issue by the issuer.
- d) where refunds are made through electronic transfer of funds, a suitable communication shall be sent to the applicant within 15 days of closure of the issue giving details of the bank where refunds shall be credited along with amount and expected date of electronic credit of refund.
- e) where release of block on the application amount for unsuccessful bidders or part of the application amount in case of proportionate allotment, a suitable communication shall be sent to the applicants.
- f) adequate arrangements shall be made to collect all ASBA applications
- g) in case of convertible debt instruments, the issuer shall additionally undertake that:
 - i. it shall forward the details of utilisation of the funds raised through the convertible debt instruments, duly certified by the statutory auditors of the issuer, to the debenture trustee at the end of each half-year.
 - ii. it shall disclose the name and address of the debenture trustee in the annual report.
 - iii. it shall provide a compliance certificate to the convertible debt instrument holders on a yearly basis in respect of compliance with the terms and conditions of issue of debentures as contained in the Letter of Offer, duly certified by the debenture trustee.
 - iv. it shall furnish a confirmation certificate that the security created by the issuer in favour of the convertible debt instrument holders is properly maintained and is adequate to meet the payment obligations towards the convertible debt instrument holders in the event of a default.
 - v. it shall extend necessary cooperation to the credit rating agency(ies) in providing the requisite information in a true and adequate manner till the debt obligations in respect of the instrument are outstanding.

(XX) Utilisation of Issue Proceeds: The letter of offer, other than for an issue made by a scheduled commercial bank or a public financial institution, shall contain a statement of the board of directors of the issuer to the effect that:

- A. all monies received out of issue of shares or specified securities to the public shall be transferred to a separate bank account.
- B. details of all monies utilised out of the issue referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the purpose for which such monies had been utilised; and
- C. details of all unutilised monies out of the issue of specified securities referred to in clause (A) shall be disclosed under an appropriate separate head in the balance sheet of the issuer indicating the form in which such unutilised monies have been invested.

(XXI) Restrictions on foreign ownership of Indian securities, if any:

- a) Investment by NRIs.
- b) Investment by foreign portfolio investors and foreign venture capital investors.
- c) Investment by other non-residents.

(XXII) Statutory and other information:

- A. Allotment of specified securities shall be in the dematerialised form.
- B. Material contracts and time and place of inspection which shall include copies of the Annual Reports of the issuer for the last three years:

Provided that the material contracts shall also be made available for inspection through online means.

- (XXIII) **Any other material disclosures, as deemed necessary.**
- (XXIV) **Declaration:**
 “No statement made in this letter of offer contravenes any of the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder. All the legal requirements connected with the issue as also the guidelines, instructions, etc., issued by SEBI, Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with.”
 The draft letter of offer and the letter of offer shall be approved by the Board of Directors of the issuer and shall be signed by all directors including the Managing Director within the meaning of the Companies Act, 2013 or Manager within the meaning of the Companies Act, 2013 and the Chief Financial Officer or any other person heading the finance function and discharging that function. The signatories shall further certify that all disclosures made in the letter of offer are true and correct.
- (XXV) An issuer shall make a copy of the offer document of the immediately preceding public issue or rights issue available to the public in the manner specified in these regulations and shall also make such document available as a material document for inspection.”
 v. Part B1 shall be omitted;
 vi. Part F shall be omitted;
- (XCI) In Schedule VII, in clause (11), after the words and symbol “last three financial years.” and before the words and symbol “In addition, latest reviewed financials”, the following words and symbols shall be inserted, namely,-
 “The issuer company may voluntarily provide proforma financial statements for acquisitions or divestments, for such financial periods as determined by the issuer company, provided such proforma financial statements are prepared in accordance with any guidance note, standard on assurance engagement or guideline issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) from time to time and certified by the statutory auditor or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI. The issuer may also voluntarily include financial statements of the business or subsidiary acquired or divested, provided that such financial statements are certified by the auditor (of the business or subsidiary acquired or divested) or chartered accountants, who hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of the ICAI.”
- (XCII) In Schedule IX, in clause (1), the words “or the draft letter of offer/letter of offer” shall be inserted after the words “draft offer document/offer document”.
- (XCIII) Schedule X shall be substituted with the following schedule, namely,-

“SCHEDULE X: FORMATS OF ADVERTISEMENT FOR A PUBLIC ISSUE

Part A - Format of pre-issue and price band advertisement for a public issue

[See regulations 43(2), 29(4), 127(4), 139(2), 189(4), 264(2) and 250(4)]

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

ABC Limited (Name of issuer)

For details of changes in name and the registered office of the Company, see “History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company” and “History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office” on page [-] of the red herring prospectus [-] (“RHP” or “Red Herring Prospectus”).

Registered Office: [-];

Corporate Office: [-];

Contact Person: [-]; Tel: [-]; E-mail: [-]; Website: [-]; Corporate Identity Number: [-]

QR Code (Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue such as the offer documents, price band advertisement etc. are available)

PROMOTERS

[_XYZ_]

THE ISSUE

Public issue of _____ (nature of the specified securities) of _____ each at a price of _____

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION, AS APPLICABLE

(Name of selling shareholder, Type (promoter selling shareholder, investor etc.), No. of shares offered, Aggregate proceeds from offered shares, Weighted average cost of acquisition per equity share, in tabular form)

The Company has completed pre-IPO placements in a price range of Rs. [-] to Rs. [-] per Equity Share. For further details of pre-IPO placements by the Company from the date of the DRHP, please refer to "Additional Information to investors" herein below.

PRICE BAND: Rs. [-] TO Rs. [-] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF Rs. [-] EACH.

THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL [-] AT THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES AND AT THE CAP PRICE IS [-] TIMES.

(The above assumes a price band. The above may be suitably modified for fixed price or floor price, as the case maybe.)

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF [-] EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF [-] EQUITY SHARES THEREAFTER.

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: [-] (as applicable)

BID/ ISSUE OPENS ON: [-]

BID/ ISSUE CLOSES ON: [-]

Brief description of the business of the issuer company

The issue is being made pursuant to [Regulation 6(1) or Regulation 6(2) or Chapter IX (Initial Public Offer by Small and Medium Enterprises) or any other regulation as may be applicable] of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON [NAME THE BOARD] OF [NAME THE STOCK EXCHANGES]. [NAME OF STOCK EXCHANGE] SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.

(In the case of book building issues, disclosure about the details of allocation shall be given in the following manner, as percentage of issue size/ net offer:

QIB Category: _____%

Retail Category: _____%

Non institutional investor category: _____%

Reserved categories: _____Equity Shares or _____%)

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

Recommendation of the Independent Directors of the Company on justification of the price band.

RISKS TO INVESTORS: This will include the following:

1. Risk to Investors: Summary description of key risk factors based on materiality.
2. Details of suitable ratios such as price/ revenues, price/ earnings, enterprise value/ EBITDA, earnings per share, net asset value per share, return on equity, return on capital employed, of the company and its peer group for the latest full financial year.
3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs, and return on net worth for any interim period for the issuer company.

4. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI, as applicable.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS: This will include the following:

- Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including details of date of allotment, name of allottees, number of equity shares, percentage of pre-Offer share capital of the company, price per share, total consideration. In case the company had made a provision for Pre-IPO placement in the DRHP and does not complete such a placement, a statement to this effect shall also be included.
- Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including date of transfer/ allotment, name of transferor, name of transferee/ allottee, nature of transaction, number of equity shares, percentage of pre-offer share capital of the company, price per shares, total consideration. Disclose if the transferees/ allottees are connected to the issuer company or its promoters, promoter group, directors, KMPs or its subsidiaries, group companies and their directors or KMPs in any manner. If not, a negative statement shall be made to this effect.
- Pre-issue shareholding as at the date of advertisement and post-issue shareholding as at allotment for promoter(s), promoter group and additional top 10 shareholders, in the following format:

Shareholding of Promoter / Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company

S. No.	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement			Post-Issue shareholding as at Allotment (3)			
	Shareholders	Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)	At the lower end of the price band (₹[●])		At the upper end of the price band (₹[●])	
				Number of Equity Shares (2)	Share holding (in %)(2)	Number of Equity Shares(2)	Share holding (in %)(2)
1.	Promoter 1 [Name]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	Promoter 2 [Name]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
	Promoter Group(1)	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
2.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
3.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
.....							
9.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
10.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%
11.	[●]	[●]	[●]%	[●]	[●]%	[●]	[●]%

Notes:

- The Promoter Group shareholders are [●], [●] and [●].
- Assuming all vested ESOPs as on date of advertisement are exercised. The post issue shareholding shall be updated in the prospectus based on ESOPs exercised until such date.
- Assuming full subscription in the Issue (fresh issue and/or offer for sale). The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final Issue price and updated in the prospectus, subject to finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus).

BASIS FOR OFFER PRICE

(Include a disclosure to the effect that the "Basis for Issue Price" on page [-] of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the websites of the BRLMs: [-], [-] and [-] for the "Basis for Issue Price" updated with the above price band.)

(Give **QR Code** - Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue including the "Basis for Issue Price" chapter updated with the price band, are available.)

INDICATIVE TIMELINES FOR THE ISSUE

(including timelines for (i) submission and revision of bids during the bid/ issue period (except the bid/ issue closing date) and on the bid/ issue closing date, (ii) bid upload timings, (iii) Expected date for commencement of trading of the equity shares on the stock exchanges)

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page [-] of the offer document. The Memorandum of Association of the company is a material document for inspection in relation to the issue. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page [-] of the offer document.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the offer document, the authorised share capital of the company [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. For details, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page [-] of the offer document.

NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: [-]

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: "SEBI only gives its observations on the draft offer document and this does not constitute approval of either the issue or the specified securities stated in the offer document."

DISCLAIMER CLAUSE OF STOCK EXCHANGES: [-]

CREDIT RATING (if applicable)

DEBTENTURE TRUSTEE (if applicable)

IPO GRADING (if applicable)

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

REGISTRAR TO THE OFFER

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Name, Telephone no., E-mail, Website

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.

Availability of the offer document: [-]

Availability of the abridged prospectus: [-]

Availability of application forms: [-]

Syndicate member(s): [-]

Sub-syndicate members: [-]

Bankers to the Offer/ Escrow Collection Bank and Refund Bank/ Public Offer Account Bank: [-]

Sponsor Banks: [-]

UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism

For [Name of issuer company]

Authorized personnel of the issuer

Place: [-]

Date: [-]

Notes:

- “Risks to Investors” needs to be adequately highlighted in the advertisement ensuring prominent visibility.
- Risk Factors should constitute at least 33% and information of BRLM not more than 10% of the advertisements.
- Font size of price band/ floor price and the risk factors should match that of bid/ issue programme. In addition, information on acquisition of shares should be given a tabular form.

Part B - Format of issue opening advertisement for a public issue

[See regulation 43(3), 200(1) and 264(3)]

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

ABC Limited (Name of issuer)

For details of changes in name and the registered office of the Company, see “History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company” and “History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office” on page [-] of the red herring prospectus [-] (“RHP” or “Red Herring Prospectus”).

Registered Office: [-];

Corporate Office: [-];

Contact Person: [-]; Tel: [-]; E-mail: [-]; Website: [-]; Corporate Identity Number: [-]

QR Code (Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue such as the offer documents, price band advertisement etc. are available)

PROMOTERS

[__XYZ__]

THE ISSUE

Public issue of _____ (nature of the specified securities) of _____ each at a price of _____

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION, AS APPLICABLE

(Name of selling shareholder, Type (promoter selling shareholder, investor etc.), No. of shares offered, Aggregate proceeds from offered shares, Weighted average cost of acquisition per equity share, in tabular form)

The Company has completed pre-IPO placements in a price range of Rs. [-] to Rs. [-] per Equity Share. For further details of pre-IPO placements by the Company from the date of the DRHP, please refer to "Additional Information to investors" herein below.

PRICE BAND: Rs. [-] TO Rs. [-] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF Rs. [-] EACH.

THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL [-] AT THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES AND AT THE CAP PRICE IS [-] TIMES.

(The above assumes a price band. The above may be suitably modified for fixed price or floor price, as the case maybe.)

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF [-] EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF [-] EQUITY SHARES THEREAFTER.

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: [-] (as applicable)

BID/ ISSUE OPENS TODAY

BID/ ISSUE CLOSES ON: [-]

Brief description of the business of the issuer company

The issue is being made pursuant to [Regulation 6(1) or Regulation 6(2) or Chapter IX (Initial Public Offer by Small and Medium Enterprises) or any other regulation as may be applicable] of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON [NAME THE BOARD] OF [NAME THE STOCK EXCHANGES]. [NAME OF STOCK EXCHANGE] SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.

(In the case of book building issues, disclosure about the details of allocation shall be given in the following manner, as percentage of issue size/ net offer:

QIB Category: _____%

Retail Category: _____%

Non institutional investor category: _____%

Reserved categories: _____ Equity Shares or _____%)

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

Recommendation of the Independent Directors of the Company on justification of the price band.

RISKS TO INVESTORS: This will include the following:

1. Risk to Investors: Summary description of key risk factors based on materiality.
2. Details of suitable ratios such as price/ revenues, price/ earnings, enterprise value/ EBITDA, earnings per share, net asset value per share, return on equity, return on capital employed, of the company and its peer group for the latest full financial year.
3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs, and return on net worth for any interim period for the issuer company.
4. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI, as applicable.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS: This will include the following:

1. Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including details of date of allotment, name of allottees, number of equity shares, percentage of pre-Offer share capital of the company, price per share, total consideration. In case the company had made a provision for Pre-IPO placement in the DRHP and does not complete such a placement, a statement to this effect shall also be included.
2. Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including date of transfer/ allotment, name of transferor, name of transferee/ allottee, nature of transaction, number of equity shares, percentage of pre-offer share capital of the company, price per shares, total consideration. Disclose if the transferees/ allottees are connected to the issuer company or its promoters, promoter group, directors, KMPs or its subsidiaries, group companies and their directors or KMPs in any manner. If not, a negative statement shall be made to this effect.

BASIS FOR OFFER PRICE

(Include a disclosure to the effect that the "Basis for Issue Price" on page [-] of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the websites of the BRLMs: [-], [-] and [-] for the "Basis for Issue Price" updated with the above price band.)

(Give **QR Code** - Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue including the "Basis for Issue Price" chapter updated with the price band, are available.)

INDICATIVE TIMELINES FOR THE ISSUE

(include timelines for (i) submission and revision of bids during the bid/ issue period (except the bid/ issue closing date) and on the bid/ issue closing date, (ii) bid upload timings, (iii) Expected date for commencement of trading of the equity shares on the stock exchanges)

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page [-] of the offer document. The Memorandum of Association of the company is a material document for inspection in relation to the issue. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page [-] of the offer document.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the offer document, the authorised share capital of the company [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. For details, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page [-] of the offer document.

NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: [-]

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: "SEBI only gives its observations on the draft offer document and this does not constitute approval of either the issue or the specified securities stated in the offer document."

DISCLAIMER CLAUSE OF STOCK EXCHANGES: [-]

CREDIT RATING (if applicable)

DEBTENTURE TRUSTEE (if applicable)

IPO GRADING (if applicable)

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

REGISTRAR TO THE OFFER

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Name, Telephone no., E-mail, Website

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.

Availability of the offer document: [-]

Availability of the abridged prospectus: [-]

Availability of application forms: [-]

Syndicate member(s): [-]

Sub-syndicate members: [-]

Bankers to the Offer/ Escrow Collection Bank and Refund Bank/ Public Offer Account Bank: [-]

Sponsor Banks: [-]

UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism.

For [Name of issuer company]

Authorized personnel of the issuer

Place: [-]

Date: [-]

Notes:

- “Risks to Investors” needs to be adequately highlighted in the advertisement ensuring prominent visibility.
- Risk Factors should constitute at least 33% and information of BRLM not more than 10% of the advertisements.
- Font size of price band/ floor price and the risk factors should match that of bid/ issue programme. In addition, information on acquisition of shares should be given a tabular form.

Part C - Format of issue closing advertisement for a public issue

[See regulation 43(3), 200(1) and 264(3)]

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

ABC Limited (Name of issuer)

For details of changes in name and the registered office of the Company, see “History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company” and “History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office” on page [-] of the red herring prospectus [-] (“RHP” or “Red Herring Prospectus”).

Registered Office: [-];

Corporate Office: [-];

Contact Person: [-]; Tel: [-]; E-mail: [-]; Website: [-]; Corporate Identity Number: [-]

QR Code (Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue such as the offer documents, price band advertisement etc. are available)

PROMOTERS

[_XYZ_]

THE ISSUE

Public issue of _____ (nature of the specified securities) of _____ each at a price of _____

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION, AS APPLICABLE

(Name of selling shareholder, Type (promoter selling shareholder, investor etc.), No. of shares offered, Aggregate proceeds from offered shares, Weighted average cost of acquisition per equity share, in tabular form)

The Company has completed pre-IPO placements in a price range of Rs. [-] to Rs. [-] per Equity Share. For further details of pre-IPO placements by the Company from the date of the DRHP, please refer to "Additional Information to investors" herein below.

PRICE BAND: Rs. [-] TO Rs. [-] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF Rs. [-] EACH.

THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS [-] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL [-] AT THE FLOOR PRICE IS [-] TIMES AND AT THE CAP PRICE IS [-] TIMES.

(The above assumes a price band. The above maybe suitably modified for fixed price or floor price, as the case maybe.)

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF [-] EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF [-] EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/ ISSUE CLOSES TODAY

Brief description of the business of the issuer company

The issue is being made pursuant to [Regulation 6(1) or Regulation 6(2) or Chapter IX (Initial Public Offer by Small and Medium Enterprises) or any other regulation as may be applicable] of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (SEBI ICDR Regulations)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON [NAME THE BOARD] OF [NAME THE STOCK EXCHANGES]. [NAME OF STOCK EXCHANGE] SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.

(In the case of book building issues, disclosure about the details of allocation shall be given in the following manner, as percentage of issue size/ net offer:

QIB Category: _____%

Retail Category: _____%

Non institutional investor category: _____%

Reserved categories: _____Equity Shares or _____%)

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

Recommendation of the Independent Directors of the Company on justification of the price band.

RISKS TO INVESTORS: This will include the following:

1. Risk to Investors: Summary description of key risk factors based on materiality.
2. Details of suitable ratios such as price/ revenues, price/ earnings, enterprise value/ EBITDA, earnings per share, net asset value per share, return on equity, return on capital employed, of the company and its peer group for the latest full financial year.
3. Weighted average return on net worth for the last 3 FYs, and return on net worth for any interim period for the issuer company.
4. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI, as applicable.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS: This will include the following:

1. Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including details of date of allotment, name of allottees, number of equity shares, percentage of pre-Offer share capital of the company, price per share, total consideration. In case the company had made a provision for Pre-IPO placement in the DRHP and does not complete such a placement, a statement to this effect shall also be included.
2. Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date. Make suitable disclosure, in tabular format, including date of transfer/ allotment, name of transferor, name of transferee/ allottee, nature of transaction, number of equity shares, percentage of pre-offer share capital of the company, price per shares, total consideration. Disclose if the transferees/ allottees are connected to the issuer company or its promoters, promoter group, directors, KMPs or its subsidiaries, group companies and their directors or KMPs in any manner. If not, a negative statement shall be made to this effect.

BASIS FOR OFFER PRICE

(Include a disclosure to the effect that the "Basis for Issue Price" on page [-] of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the websites of the BRLMs: [-], [-] and [-] for the "Basis for Issue Price" updated with the above price band.)

(Give **QR Code** - Scan of QR Code should take the reader to the webpage of the left lead BRLM where documents relating to the issue including the "Basis for Issue Price" chapter updated with the price band, are available.)

INDICATIVE TIMELINES FOR THE ISSUE

(include timelines for (i) submission and revision of bids during the bid/ issue period (except the bid/ issue closing date) and on the bid/ issue closing date, (ii) bid upload timings, (iii) Expected date for commencement of trading of the equity shares on the stock exchanges)

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS

REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of the company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page [-] of the offer document. The Memorandum of Association of the company is a material document for inspection in relation to the issue. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page [-] of the offer document.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the offer document, the authorised share capital of the company [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is [-] divided into [-] equity shares of face value of [-] each. For details, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page [-] of the offer document.

NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: [-]

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA: "SEBI only gives its observations on the draft offer document and this does not constitute approval of either the issue or the specified securities stated in the offer document."

DISCLAIMER CLAUSE OF STOCK EXCHANGES: [-]

CREDIT RATING (if applicable)

DEBTENTURE TRUSTEE (if applicable)

IPO GRADING (if applicable)

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

REGISTRAR TO THE OFFER

Name, Telephone no., E-mail, Contact person, Website

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Name, Telephone no., E-mail, Website

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.

Availability of the offer document: [-]

Availability of the abridged prospectus: [-]

Availability of application forms: [-]

Syndicate member(s): [-]

Sub-syndicate members: [-]

Bankers to the Offer/ Escrow Collection Bank and Refund Bank/ Public Offer Account Bank: [-]

Sponsor Banks: [-]

UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism.

For [Name of issuer company]

Authorized personnel of the issuer

Place: [-]

Date: [-]

Notes:

- “Risks to Investors” needs to be adequately highlighted in the advertisement ensuring prominent visibility.
- Risk Factors should constitute at least 33% and information of BRLM not more than 10% of the advertisements.
- Font size of price band/ floor price and the risk factors should match that of bid/ issue programme. In addition, information on acquisition of shares should be given a tabular form.”

XCIV. In Schedule XIII, in the heading, before the title “Part A –Book building process” the following clause shall be inserted, namely,-

“For the purpose of public issue by an issuer to be listed /listed on SME exchange made in accordance with Chapter IX of these regulations, the words “retail individual investors” shall be read as words “individual investors who applies for minimum application size”.”

XCV. In Schedule XIV,

- i. in Part A, after the head “Part A- Illustration explaining the procedure of allotment for retail individual investors”, following clause shall be inserted, namely,-

“For the purpose of public issue by an issuer to be listed /listed on SME exchange made in accordance with Chapter IX to these regulations, the words “retail individual investors” shall be read as words “individual investors who applies for minimum application size”.”

- ii. after Part A1, the following new Part A2 shall be inserted, namely,-

“Part A2 - Illustration explaining the procedure of allotment for non-institutional investors in case of initial public offer by SME companies.

Example A.

(1) Total number of specified securities on offer @₹ 20 per share: 7.2 crore specified securities.

(2) Specified securities on offer for non-institutional investors’ category: 108 lakhs specified securities (with 15% allocation).

(3) Out of the total non-institutional investors’ category,

(a) one third is reserved for applications above two lots and up to such lots equivalent to application size not more than ten lakh rupees -i.e. 36 lakhs of specified securities

(b) balance two-third is reserved for applications above ten lakh rupees – i.e. 72 lakhs of specified securities

(4) The issue is over-all subscribed by 2.5 times, whereas the non-institutional investors’ category mentioned in 3 (a) above is oversubscribed 1.5 times and 3(b) is oversubscribed 3 times.

(5) The issuer has fixed the lot size as 6000 specified securities (based on SEBI Circular dated February 21, 2012 – Standardized lot size for SME Exchange/ Platform) and in multiples thereof.

(6) Therefore, the minimum application size for non-institutional investors is 18,000 specified securities (i.e. the application should be for more than two lots and in multiples of one lot (i.e. 6000 specified securities) thereof).

(7) A total of one hundred investors have applied in the issue under 3(a) category, in varying number of application size i.e. between 3 to 8 lots (18,000 to 48,000 specified securities), based on the maximum application size under 3(a) not more than ten lakh rupees (Application size of 8 lots = $8 \times 6000 \times 20 = 9,60,000/-$).

(8) Out of the one hundred investors, there are five non-institutional investors A, B, C, D and E who have applied as follows: A has applied for 18,000 specified securities. B has applied for 30,000 specified securities. C has applied for 36,000 specified securities. D has applied for 42,000 specified securities and E has applied for 48,000 specified securities.

(9) As the allotment to a non-institutional investor cannot be less than the minimum application size in NII category, subject to availability of shares, the remaining available shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis.

The actual entitlement shall be as follows:

Sr. No.	Name of Investor	Total Number of specified securities applied for	Total number of specified securities eligible to be allotted
1	A	18,000	18,000 specified securities (i.e. the minimum applications size)
2	B	24,000	18,000 specified securities (i.e. the minimum applications size) + 0 specified securities {Since, $[\{36,00,000 - (100 * 18000)\} / \{54,00,000 - (100 * 18000)\}] * 6000$ (i.e. $24,000-18,000$) = 3000 securities; which is less than 1 lot, so no additional lot shall be allotted}
3	C	30,000	18,000 specified securities (i.e. the minimum applications size) + 6000 specified securities {Since, $[\{36,00,000 - (100 * 18000)\} / \{54,00,000 - (100 * 18000)\}] * 12000$ (i.e. $30,000-18,000$) = 6000 securities}
4	D	42,000	18,000 specified securities (i.e. the minimum applications size) + 12000 specified securities {Since, $[\{36,00,000 - (100 * 18000)\} / \{54,00,000 - (100 * 18000)\}] * 24000$ (i.e. $42,000-18,000$) = 12000 securities}
5	E	48,000	18,000 specified securities (i.e. the minimum applications size) + 12000 specified securities {Since, $[\{36,00,000 - (100 * 18000)\} / \{54,00,000 - (100 * 18000)\}] * 30000$ (i.e. $48,000-18,000$) = 15000 securities; which is more than 2 lots but less than 3 lots, therefore only 2 lots shall be allotted}

NOTE: For category 3(b), calculation methodology shall be similar to above.

Example B.

- (1) Total number of specified securities on offer @₹ 20 per share: 7.2 crore specified securities.
- (2) Specified securities on offer for non-institutional investors' category: 108 lakhs specified securities (with 15% allocation).
- (3) Out of the total non-institutional investors' category,
 - (a) one third is reserved for applications above two lots and up to such lots equivalent to application size not more than ten lakh rupees -i.e. 36 lakhs of specified securities
 - (b) balance two-third is reserved for applications above ten lakh rupees – i.e. 72 lakhs of specified securities
- (4) The issue is over-all subscribed by 7.16 times, whereas the non-institutional investors' category mentioned in 3 (a) above is oversubscribed 15.5 times and 3(b) is oversubscribed 3 times.
- (5) The issuer has fixed the lot size as 6000 specified securities (based on SEBI Circular dated February 21, 2012 – Standardized lot size for SME Exchange/ Platform) and in multiples thereof.

(6) Therefore, the minimum application size for non-institutional investors' is 18,000 specified securities (i.e. the application should be for more than two lots and in multiples of one lot (i.e. 6000 specified securities) thereof).

(7) A total of two thousand investors have applied in the issue under 3(a) category, in varying number of application size i.e. between 3 to 8 lots (18,000 to 48,000 specified securities), based on the maximum application size under 3(a) not more than ten lakh rupees (Application size of 8 lots = $8 \times 6000 \times 20 = 9,60,000/-$).

(8) As per the allotment procedure, the allotment to non-institutional investors shall not be less than the minimum application size in NII category, subject to availability of shares.

(9) Since the total number of specified securities on offer to the non-institutional investors' applications under 3(a) is 36,00,000 and the minimum application size is 18,000 specified securities, the maximum number of non-institutional investors' who can be allotted this minimum application size should be 200. In other words, 200 applicants shall get the minimum application size (by draw of lots) and the remaining 1800 applicants will not get any allotment.

The details of the allotment shall be as follows:

No. of lots	No. of shares at each lot	No. of investors applying at each lot	Total no. of shares applied for at each lot	No. of investors who shall receive lots according to minimum application size (to be selected by a lottery)
A	B	C	D= (B*C)	E
3	18,000	600	90,00,000	$60 = (200/2000) \times 600$
4	24,000	400	96,00,000	$40 = (200/2000) \times 400$
5	30,000	300	90,00,000	30
6	36,000	300	1,08,00,000	30
7	42,000	300	1,26,00,000	30
8	48,000	100	48,00,000	10
Total		2000	5,58,00,000	200

”

XCVI. In Schedule XVI, after the marginal heading, in the reference to regulations mentioned within brackets, the numbers and symbols “71(6),” shall be omitted.

XCVII. In Schedule XVIII, in clause (1), after the word “manager(s)” and before the symbol “:”, symbol and words “/ designated stock exchange” shall be inserted.

XCVIII. In Schedule XX, in the sub-marginal head, the words and numerals “regulation 59 and 157” shall be replaced with the words and numerals “regulations 59, 157 and 281A” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-IIII/4/Ext./1007/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.

- (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
- (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
- (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
- (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
- (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
- (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
- (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
- (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
- (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
- (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
- (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
- (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
- (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
- (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.
- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.

- (t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/ 63.
- (u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.
- (v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.
- (w) November 21, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.
- (x) January 13, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114.
- (y) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (z) May 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/130.
- (aa) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/162.
- (ab) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/178.